महानगर नई दिल्ली रविवार 5 जुलाई, 2020, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

कोरोना विषाणु का कहर

दिल्ली में अब तक तीन हजार लोगों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

दिल्ली में कोरोना के मामलों में भले ही कमी आई हो लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण से तीन हजार से अधिक मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को इस बीमारी से 55 और मरीजों ने अपनी जान गंवाई। अब दिल्ली में कोराना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 3004 हो गया है।

दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में 2505 नए मामले आए हैं। बीते कई दिनों से नए मरीजों का आंकड़ा औसतन इतना ही दर्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2632 मरीज इस बीमारी से ठीक होकर अपने घरों में भी पहुंचे हैं। केवल मौत का आंकड़ा ही दिल्ली में नियंत्रित नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को 13748 त्वरित परीक्षण कि, जबकि अब तक कुल 620368 जांच की जा चुकी हैं।

नए मामलों के शामिल होने के बाद कुल कोरोना संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 97200 हो गया है। इन मरीजों में से 68256 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 25940 है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस समय कोरोना के मरीजों के लिए बाकी पेज 8 पर

देश में चौबीस घंटे में रेकार्ड 22,771 संक्रमित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों में चौबीस घंटों के दौरान रेकॉर्ड 22,771 वृद्धि दर्ज की गई है। इसके कारण संक्रमितों की कुल संख्या 6,48,315 पहुंच गई। एक सप्ताह के दौरान संक्रमण के 1,39,362 मामले बढ़े हैं।

इस महामारी से अब तक 18,655 लोगों ने अपने जान गंवाई है। एक दिन के दौरान 442 मरीजों की मौत हुई है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर बाकी पेज 8 पर

रोजाना वृद्धि

4 जुलाई : 22771
3 जुलाई : 20903
2 जुलाई : 19148

रोजाना स्वस्थ

4 जुलाई : 14335
3 जुलाई : 20032
2 जुलाई : 11881

रोजाना मौतें

4 जुलाई : 442
3 जुलाई : 379
2 जुलाई : 434

टीका कार्यक्रम पर वैज्ञानिकों ने सतर्क रहने को कहा

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

भारतीय कोविड-19 टीका कार्यक्रम को लेकर वैज्ञानिकों ने शनिवार को कहा कि इसे उच्च प्राथमिकता देने में जल्दबाजी बरतने से बचना होगा। टीका विकसित होने में कई महीना यहां तक सालों लग सकते हैं। वैज्ञानिकों की यह सलाह आइसीएमआर द्वारा अगले महीने टीके के उत्पादन की शुरुआत करने की घोषणा के एक दिन बाद आई है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) शुक्रवार को कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला टीका 15 अगस्त तक बाजार बाकी पेज 8 पर

पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी दुबे का घर जमींदोज

कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के घर को जेसीबी से ढाहता प्रशासनिक अमला। इस मामले में चौबेपुर के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25 टीमें गठित की हैं जो कई जिलों में सघन छापेमारी कर रही है। उसके बारे में सूचना देने वाले को 50 हजार के इनाम की घोषणा भी की गई है। लगभग 500 मोबाइल फोन को निगरानी पर रखा गया है। - खबर पेज 8 पर

स्टार्ट-अप और तकनीकी क्षेत्र से आत्मनिर्भरता का आह्वान

प्रधानमंत्री ने ऐप बनाने के लिए युवाओं को दी चुनौती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टार्ट-अप और तकनीकी क्षेत्र के लोगों को 'आत्मनिर्भर भारत ऐप नवप्रवर्तन चुनौती' में भाग लेने को आमंत्रित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री के इस एलान को लेकर ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय ऐप निर्माताओं और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की है। इस चुनौती को सरकार और प्रौद्योगिकी समुदाय दोनों मिलकर संचालित करेंगे।

> *प्रधानमंत्री* ने लिंक्डइन पर लिखे अपने लेख में कहा, भारत निर्मित ऐप बनाने के लिए लोगों में उत्साह, मैं भी कर सकता हूं आपके बनाए ऐप का इस्तेमाल

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इससे 'आत्मनिर्भर ऐप पारिस्थितिकी तंत्र' बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिंक्डइन पर एक लेख में कहा, 'कौन जानता है कि मैं भी आपके बनाए कुछ ऐप का इस्तेमाल कर सकता हूं।' मोदी ने कहा कि आज प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप समुदाय में विश्वस्तरीय 'भारत निर्मित ऐप' बनाने को बाकी पेज 8 पर

मोदी ने की बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा के बिहार के कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार भाजपा के कार्यकर्ता और लोग बधाई के पात्र हैं। कई लोग कह रहे थे कि उच्च तापमान के कारण कोरोना देश के पूर्वी हिस्सों में तेजी से फैलेगा, लेकिन आप सभी ने इसे गलत साबित किया।

> *प्रधानमंत्री* ने भोजपुरी में कहा, कोरोना पर आपने आशंकाओं को गलत साबित किया

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते प्रधानमंत्री।

इस आयोजन में बिहार के अलावा भाजपा की सात राज्य बाकी पेज 8 पर

लद्दाख में सिंधु पूजा की तस्वीरें साझा कीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में की गई सिंधु पूजा की तस्वीरें शनिवार को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने देश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने चीन के साथ सीमा पर गतिरोध के बीच शुक्रवार को लद्दाख का दौरा किया था। ट्विटर पर तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'कल निमू में सिंधु पूजा की। हमारे देश की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।'

एक पखवाड़े तक छह शहरों से कोलकाता की उड़ानों पर रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए छह से 19 जुलाई के बीच कोई भी यात्री उड़ानें संचालित नहीं होंगी। कोलकाता हवाई अड्डा प्रशासन ने शनिवार को इसकी घोषणा की। यह फैसला देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के मद्देनजर लिया गया है। इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कोविड-19 के अधिक मामले वाले राज्यों से कोलकाता आने वाली घरेलू उड़ानों को 31 जुलाई तक रोकने का आग्रह किया था।

> *दिल्ली*, मुंबई, चेन्नई व तीन अन्य शहरों से छह से 19 जुलाई के बीच यात्री उड़ान नहीं होगी
>
> *ममता* बनर्जी ने केंद्र सरकार से घरेलू उड़ानें 31 जुलाई तक रोकने का आग्रह किया था

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने 30 जून को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध किया था कि कोविड-19 मामलों में अधिक वृद्धि को देखते हुए राज्य के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों से छह जुलाई से 19 जुलाई के बीच किसी भी उड़ान का संचालन न किया जाए।

कोलकाता हवाईअड्डा प्रशासन ने शनिवार को ट्विटर पर कहा, 'यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली, मुंबई, बाकी पेज 8 पर

राजौरी में आतंकी ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में दूरदराज के एक गांव में शनिवार को आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया और वहां से हथियार एवं गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि थाना मंडी इलाके के दरदासन गांव में पुलिस तथा राष्ट्रीय राइफल्स के संयुक्त तलाश अभियान के दौरान आतंकवादी ठिकाने का खुलासा हुआ। हथियारों के जखीरे से अंदाज लगाया गया है कि आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

उन्होंने बताया बाकी पेज 8 पर

चीनी पिस्तौलें, राइफल ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल), एके असॉल्ट राइफल और आइईडी बनाने में इस्तेमाल बैटरियां जब्त की गई

मणिपुर में नगा उग्रवादियों की हथियार फैक्टरी पकड़ी गई - खबर पेज 8 पर

लेह के अस्पताल को लेकर आरोप

रक्षा मंत्रालय और सेना ने कहा, बेबुनियाद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लेह का दौरा किया और जवानों से मिलकर उनकर हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने लेह स्थित अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती जवानों से उनका हाल जाना। इस दौरान अस्पताल में ली गई उनकी तस्वीर को लेकर शुरू हुए विवादों को लेकर रक्षा मंत्रालय और सेना ने अलग-अलग स्पष्टीकरण जारी किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने पूरे विवाद को बेबुनियाद बताते हुए आलोचनाओं को दुर्भावनापूर्ण एवं निराधार बताया है।

> *रक्षा मंत्रालय* ने कहा, प्रधानमंत्री ने जहां का दौरा किया, वह जनरल अस्पताल का हिस्सा और वहां 100 बिस्तरों का इंतजाम
>
> *सेना ने* कहा, इस कक्ष का इस्तेमाल 'प्रशिक्षण दृश्य श्रव्य सभागार' के रूप में किया जाता था। कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए चिह्नित करने के बाद से इसे वार्ड में बदला गया

रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'तीन जुलाई को लेह के जनरल अस्पताल दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ लोगों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां यह स्पष्ट करना होगा कि प्रधानमंत्री ने जहां का दौरा किया, वह अस्पताल का एक हिस्सा है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सशस्त्र बलों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, इसको लेकर शक किया जा रहा है। सशस्त्र बल अपने कर्मियों को सर्वोत्तम उपचार देते हैं। जिस सुविधा केंद्र का प्रधानमंत्री ने दौरा किया था, वह जनरल अस्पताल का हिस्सा है। कोरोना संकट को देखते हुए यहां 100 बिस्तरों का प्रबंधन किया गया था।'

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन बहादुर जवानों को गलवान घाटी से लौटने के बाद यहां रखा गया था, ताकि इन्हें कोविड संक्रमण से मुक्त रखा जा सके। लेह में सेना का अस्पताल 1962 से बाकी पेज 8 पर

दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 18 जुलाई तक : डीयू

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शनिवार को घोषणा की कि स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की तिथि 18 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीबीएसई परिणाम की घोषणा संबंधी अधिसूचना और जेईई तथा एनईईटी परीक्षाओं के स्थगित होने के मद्देनजर तिथि को बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने घोषणा की थी कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि की आशंका के मद्देनजर नीट और जेईई परीक्षाओं को शुक्रवार को सितंबर तक स्थगित कर दिया था।

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पहले अंतिम तिथि चार जुलाई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 जुलाई कर दिया गया है। छात्र अब विश्वविद्यालय के दाखिला पोर्टल पर शाम पांच बजे तक पंजीकरण कर सकेंगे।

शनिवार को बाकी पेज 8 पर

पेश किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप | **शुरू होगा कीमत युद्ध** | **एक साथ सौ लोगों से होगी बात**

जूम को टक्कर देगा रिलायंस का जियोमीट

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

फेसबुक और इन्टेल जैसी कंपनियों को अपने डिजिटल कारोबार में हिस्सेदारी बेच कर अरबों डॉलर जुटाने के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जूम को टक्कर देने की तैयारी की है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप 'जियोमीट' पेश की है, जिसमें असीमित मुफ्त कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। रिलायंस के इस कदम को प्रतिद्वंद्वी जूम के साथ 'कीमत युद्ध' के रूप में देखा जा रहा है।

बीटा परीक्षण के बाद जियोमीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिग ऐप एंड्रॉयड, आइओएस, विंडोज, मैकओएस और वेब पर उपलब्ध है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार जियोमीट पर एचडी ऑडियो और वीडियो कॉल की गुणवत्ता मिलेगी। इसमें एक साथ 100 लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसमें स्क्रीन साझा करने, पहले से बैठक का समय तय करने और अन्य फीचर्स है।

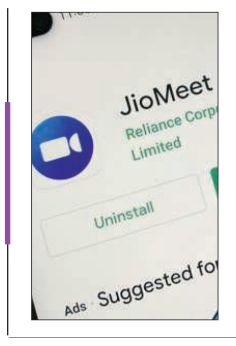

चौबीस घंटे बैठकें

जियोमीट के जरिये एक दिन में कितनी भी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और कोई भी बैठक बिना किसी बाधा के 24 घंटे चल सकती है। प्रत्येक बैठक पासवर्ड से संरक्षित है। बैठक आयोजित करने वाला व्यक्ति 'वेटिंग रूम' की सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। इससे कोई भी भागीदार बैठक में बिना अनुमति शामिल नहीं हो सकता।

जनसत्ता रविवारी
5 जुलाई, 2020
रविवारी के स्तंभ आज पढ़ें
पेज 7 पर

> *जियोमीट* में समय की कोई सीमा नहीं होने की वजह से शिक्षकों को अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को छोटा करने की जरूरत नहीं होगी।

खास बात यह है कि इसमें जूम की तरह 40 मिनट की समय सीमा नहीं है। कंपनी ने दावा किया कि इसमें कॉल्स 24 घंटे तक जारी रखी जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग बैठक 'कूटलेखन' और पासवर्ड से संरक्षित रहेगी।

कंपनी के सूत्रों ने कहा कि जूम पर 40 मिनट से अधिक की बैठक के लिए मासिक शुल्क 15 डॉलर है। सालाना आधार पर यह 180 डॉलर बैठेगा। वहीं जियोमीट इससे अधिक सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। इससे जूम बैठक आयोजित करने वाले को जियोमीट का इस्तेमाल करने पर सालाना 13,500 रुपए की बचत होगी।

गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप के कई फीचर्स की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार जियोमीट के लिए मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी के जरिये आसानी से 'साइन अप' किया जा सकता है। इसमें तुरंत बैठक आयोजित की जा सकती है। एचडी ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता वाली बैठक का समय पहले से तय किया बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर प्रशासन की इस साल 'सीमित' अमरनाथ यात्रा की योजना

जम्मू, 4 जुलाई (भाषा)।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा को 'सीमित तरीके' से आयोजित करने पर जोर देते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को कहा कि सड़क मार्ग से 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा जाने के लिए रोजाना सिर्फ 500 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।

प्रशासन ने यह भी कहा कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर भी केंद्र शासित क्षेत्र में प्रवेश के दौरान की जाने वाली जांच की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Kanupriya Sharma W/o Saurabh Kumar R/o Flat No.005,Tower No. CS5,Supertech Capetown, Sector 74, Noida Distt Gautam Budh Nagar, UP-201301. I was known by name Kanupriya/ Kanupriya Gupta/Kanupriya Sharma. And henceforth my name will be considered as Kanupriya Sharma for all future Purposes. 0040541080-1

I Ravindra Nath Das S/o Late Sh.Niranjan Nath Das R/o J-1980, First Floor, Chittaranjan Park, Ali South Delhi, Delhi-110019 have changed the name of my minor daughter from Gargi Das to Shubhashree Das for all purposes. 0040541163-1

I Movin Qureshi W/O, Neil Aldrin Milton R/o C-62/j, Gali No-2, Bhajan Pura, Delhi-110053 have changed my name to Movin N. Milton for all purposes. 0040540969-1

I Nandini D/o Govind Gupta R/o T-64, Indira Colony Narela, Delhi-110040, have changed my name to Nandini Gupta 0070707993-1

I,Harpreet Kaur wadhwa,Harpreet wadhwa D/o-Gurdeep Singh shandilya r/o-A1/147,Third-floor Inderpuri, I.A.R.I., Delhi-110012.have changed to Harpreet Kaur,for all, purposes. 0040541179-1

I, Yogendra Singh, R/o of Plot No E001,Flat No. 146, Resident H and G Building Society, Sector-42, Noida-201303,have to changed my name to Yogendra Singh Kataria as per my Aadhar card name mentioned & my father's name changed to Shambra Singh Kataria 0070707948-1

I, Vijay Laxmi W/o Sabha Raj Saini,R/o H.No.2977, Street. No.74,Block-B,Sant Nagar, Burari,Delhi-84, Have Changed My Name,From Vijay Laxmi to Laxmi Devi. 0040541179-3

I, Umesh Kumar Patel S/o Hari Prasad Patel R/o Peepal Chowk, Dallupura Village, Delhi-110096 have changed my name to Umesh Prasad Patel for all future purposes. 0050166248-1

I, Rajya Shree D/o-Ramchander, W/o Rajender Singh Dalal, H.No.537, Sector-5, Gurgaon-122001(Haryana), have changed my name to Rajya Shree Dalal. 0040541179-2

I, Nivedita W/o Late Sushanta Das Gupta, a resident of B-160, DDA Flats, Type A, Pocket-3,Bindapur, New Delhi - 110059 here by inform my name as Nivedita Das Gupta. I also inform that Nivedita and Nivedita Das Gupta is one and same person in all for all future purposes. 0040541172-1

I, Dinesh s/o Sham Lal Goyal r/o A-4/532, Paschim Vihar, Delhi-110063 have changed my name to DINESH GOEL. 0040541176-1

I, Avanti / Avanti Devi. W/o Dayanand Yadav, R/o H.No. 135. Vill. Baldhan Kalan Teh. Rewari, Distt. Rewari, Haryana have changed my name to Avanti Yadav. 0070707936-1

I Upasana Pandita W/o Ajeet Kumar Pandita R/o-C-502 Balaji Residency Ahinsa Khand-2, Mall Road Plot No-9 Indirapuram Ghaziabad U.P-201014 have changed my name to Upasana Tiku. 0040541175-1

I Saurabh Kumar S/o Parshotam Gupta R/o Flat No.005,Tower No. CS5, Supertech Capetown, Sector 74, Noida Distt Gautam Budh Nagar, UP-201301. I have changed my name from Saurabh Gupta to Saurabh Kumar for all future Purposes. 0040541076-1

I Keshav S/o Govind Gupta R/o T-64, Indira Colony Narela, Delhi-110040, have changed my name to Keshav Gupta 0070707994-1

I, Gaura Choudhary,W/o Parkash Chand R/o House.No.D-339, Alapur(66) Palwal Tehsil & Distt.- Palwal,have changed my name to Gauri Chaudhary. 0040541116-4

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client, Smt. Saqina Khatoon, Wife of Late Sh. Amruddin, R/o B-315/22 Zakir Nagar, Okhla, New Delhi-110025, has severed all relations and disowned her daughter namely Shaheen Khan with immediate effect from all his moveable and immovable properties due to her misconduct/ misdeeds, out of control behavior.

My Client will not be responsible for any type of acts, deeds or criminal conducts of her daughter i.e. Shaheen Khan in any manner whatsoever.

Tabrez Ahmad (Advocate)
Ch. No. 235, Saket Courts New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Shri Sipahi Mahto**, son of Late Shri Ganesh Mahto and his wife **Smt. Champa Devi,** both residents of house No. R-15A, Gurpreet Nagar, Opp. BANK Of Baroda, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have withdrawn their prior public Notice dated 13.09.2017 in **"JANSATTA"** dated 13.09.2017 with their own consent without any pressure, force and coercion from any corner. Now they have set sweet relation with their son **SANTOSH KUMAR.**

Ashok kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059

खोया+पाया

मेरी, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकरण नंबर 22193 खो गयी है। यदि, किसी के द्वारा पायी जाती है, तो कृपया @ 011-28044478 पर संपर्क करें। नवनीत बंसल मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल, बैंक, प्रधान कार्यालय, सेक्टर 10, द्वारका।

मैं अनुपम कम्बोज पुत्र श्री सुन्दर लाल कम्बोज निवासी- सी-201, बी.एस. रोड इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद, हमारा UPSIDC का ओरिजनल ट्रान्सफर लेटर 4.12.2000, और ओरिजनल पजेसन पेपर 25.01.2000 को कहीं खो गये हैं।

I, ASHISH Choudhary S/o-Jitender Choudhary R/o-village-chilla saroda khadar patparganj, Delhi. have lost my original-certificate class-10th year-2013 Rollno-8607501 CBSE-Delhi. 0040541179-5

I Akriti Rana D/o harish Kumar R/o 3/1115, Vasundhara, Ghaziabad, UP-201012 have lost my Original Certificate / Marksheet of Class 10th Year 2018, Roll No-5393062, CBSE Delhi, Mobile Number 9810114124/ 0070707995-1

संपत्ति

PRIME PROPERTY 150 YARDS FOR SALE IN REGAR PURA KAROL BAGH NEW DELHI ADJOINING TANK ROAD MARKET. ONLY GENUINE BUYER MAY CONTACT 8527095611.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री गुरुदत्त सुपुत्र स्व. श्री महासिंह निवासी मकान नं. 461, पंडित मोहल्ला खेड़ा कलां दिल्ली-110082 ने, अपने पुत्र प्रियांशु के चाल-चलन व गलत व्यवहार होने व नियंत्रण से बाहर होने के कारण अपनी सभी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने सभी संबंध विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में कोई भी व्यक्ति प्रियांशु से वित्तीय लेन-देन या अन्य किसी प्रकार का कोई भी कार्य करेगा तो वह खुद जिम्मेदार होगा मेरे मुवक्किल व उसके परिवार जन जिम्मेदार नहीं होंगे।

KAMAL SINGH
Advocate
Regd No.- D- 748/14

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री राम किशोर पुत्र श्री बाबू राम व इनकी पत्नी श्रीमति उर्मिला निवासी सी-1/521, गली नं. 21, हर्ष विहार, मन्डोली, दिल्ली-110093, ने अपने पुत्र विशाल को इसके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में इसके किसी भी गलत कार्य के लिए मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नही होंगे।

ASHISH KUMAR UPADHYAY
ADVOCATE Off: E-223,Main Road, Khajoori Khas, Delhi-110094

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरी मुव्वकिला श्रीमति बेबी पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज, निवासी बीबी-248, नबी करीम, पहाड गंज, नई दिल्ली-110055 ने अपने पुत्र अभिषेक एवं इसकी पत्नी ममता देवी और इनके होने वाले बच्चों को अपनी हर चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिए हैं क्योंकि वह मेरी मुव्वकिला के आज्ञाकारी नहीं रहे है और उनका व्यवहार मेरी मुव्वकिला एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति ठीक नहीं है। मेरे मुव्वकिला को उनसे खतरा है। अतः भविष्य में वह अपने समस्त कार्यों व लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे, मेरे मुव्वकिला व उनके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा।

हस्ता./-
जी.एल. गोस्वामी
(अधिवक्ता)
3530, कुतुब रोड, दिल्ली-110006

PUBLIC NOTICE

It is to be notified that my client Smt. Suman W/o late Shri Jasbir Singh R/o 5, Kingsway Road, Near Radio Colony, Delhi has disinherited, disowned & severed all relations with her son Mr. Maninder Pal Singh and her daughter in law Mrs. Kamalpreet Kaur Sahani and her grandson Master Divnoor Singh Kochhar from inheriting her movable and immovable properties as my client has no control over them. Henceforth my aforesaid clients has severed her all relations with them and will not be responsible for the acts and omissions of the above named persons with anybody in respect of anything whatsoever.

(BHUPINDER MEHTANI) ADVOCATE
Ch.No.245, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

That my client Mr. Rajiv Kohli S/o Shri Ved Prakash, R/o House No. F-43, Block-F, West Patel Nagar, New Delhi-110008 hereby disown their relations from their son Deepak Kohli and his wife Prabhjit Kaur Kohli, F-43, Ground Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008 and there from their all immovable and movable properties for ever, because their conduct, dealings, behaviour, attitude, feeling and sentiments are adverse and prejudice to the rights, Interest, natural feelings and sentiments of my clients.

Sd/-
H.S. MUDGAL
Advocate
Ch. No. B-4, Baba Gurcharan Singh Block Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

I, Chhama Vashisht Wife of Sh. Gaurav Vashisht R/o A-16/1, Laxman Park Chander Nagar, Delhi-110051, am the owner of Upper Ground Floor, Part of Property No. A-15. Area Measuring 29.89 Sq. Mtrs., situated at Laxman Park. Chander Nagar, Delhi-51. The previous GPA, will agreement deed and affidavit in resepet of the said property which was in the name of S. Rajinder Singh S/o Sh. Hazara Singh executed by S. Hazara Singh S/o Late S. Bishan Singh executed on 06.10.2009 duly registered attested by notary public delhi has been lost and I have lodged the information report on 01.07.2020 vide LR No. 385473/2020. The said property is absolutely free from any encumbrances whatsoever. If any person has any claim or interest over the said property she/he is requested to forward their claim/s along with the relevant docments to me within 15 days of this public notice. If no claim is received, it shall be presumed after 15 days that the property is free from all encumbrances.

Sanjeev Kumar
Advocate
S. No. 314/2017
M.No. 9811166447

PUBLIC NOTICE

"LET THIS BE KNOW TO ALL THE PUBLIC IN GENERAL THAT MY CLIENTS SHRI DURGESH TANDON S/O LATE SH RAMANAND TANDON AND SMT RITA TANDON W/O DURGESH TANDON BOTH RESIDENT OF HOUSE NO-114,WARD NO-9, SONARAN, GALI, AJUHA, KAUSHAMBHI, U.P HAVE DISOWNED THEIR SON SHUBHAM TANDON AND HIS WIFE SMT VAISHALI PAHWA BOTH RESIDING AT B-1412,GAUR GLOBAL VILLAGE, CROSSING REPUBLIC GHAZIABAD (RENTED PREMISES) AND THEY HAVE SEVERED ALL THEIR RELATIONS WITH BOTH OF THEM. THEY HAVE ALSO DIVESTED BOTH OF THEM FROM CLAIMING ANY RIGHTS OR SHARE IN ANY OF THEIR MOVEABLE OR IMMOVEABLE PROPERTIES ,ASSETS OR DEPOSITS AND ALSO WITHDRAWN ALL THEIR RELATIONS IN FUTURE DUE TO THEIR INAPPROPIATE BEHAVIOR . MY CLIENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DEEDS OR ACTION ETC OF THEIR ABOVE SON AND HIS WIFE. HENCE AFTER, ANYBODY DEALING WITH ANY OF THEM OR BOTH OF THEM IN ANY MANNER WHATSOEVER, SHALL DO SO AT HIS OR HER OWN RESPONSIBILITY AND COSTS AND MY CLIENT SHALL IN NO WAY BE HELD RESPONSIBLE FOR THE SAME."

Umesh Sinha (Advocate)
Ch.No.341, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

गोवा में कोरोना से पांचवीं मौत

पणजी, 4 जुलाई (भाषा)। गोवा में 74 वर्षीय एक महिला की कोविड-19 से मौत के बाद यहां इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या पांच हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि गोवा में अब तक कोरोना के 1,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my clients Mr. Makhan Lal and Mrs. Santosh Devi Resident of U22/32, First Floor, Pink Town Houses, DLF Phase-3, Gurugram-122002 have disowned and disinherited their son Nihal Singh Pabadee and his wife Namrata Sharma and they don't have any right title and interest in all movable & immovable property owned by my clients. Please note that they are not in the say of my clients. My clients are not responsible for their actions or inactions.

Shimpy Arman Sharma-Advocate
A-24 LGF Chittranjan Park, Delhi-19

PUBLIC NOTICE

My Clients namely Smt. Rajni W/o Sh. Ram Ratan and Sh. Ram Ratan S/o Late Sh. Bhura both R/o H. No. A-379, J.J. Colony, Bakkarwala, West Delhi-110041, have severed all relationship and disowned their son namely Sh. Rakesh Kumar @ Rupesh and daughter-in-law namely Mrs. Deepa from their all movable and immovable properties.

My clients shall not be responsible for their acts, deeds and things if any, as my clients have nothing to do with their businesses, liabilities and acts whatsoever and my clients will not be responsible for the dealings done by them.

Sd/- **Deepak Choudhary, Advocate**
Chamber 1019, 10th Floor, Lawyers Chamber, Rohini Court Complex, Sector-14, Rohini, Delhi- 110085

PUBLIC NOTICE

Be it known that my clients (1) SH. RAJINDER KUMAR S/O Late Sh. Krishan Lal, and (2) SMT. SHALINI ARORA W/o Sh. Rajinder Kumar R/o H.No. 4 KH.NO. 86/21, 2nd Floor L Type Block-K Phase-II Vijay Vihar Rohini Sector-4 Delhi-110085, has disowned and severed all their relations with their son MOHIT ARORA and his Wife DEEPALI ARORA, debarred them from their movable and immovable properties/ assets and their personal life. Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

PARKASH CHAND (Advt)
Enrl. No. D-9065/2019.
Chamber: 914, IX Floor, Lawyers Chambers, Rohini Court Complex, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

My client **Sh. Brijesh Singh Yadav** S/o Sh. Ayodhya Prashad R/o E-24, Gali No.5, Sanjay Mohalla, Bhajanpura, Delhi-110053, do hereby sever all her connections from her daughter namely **Ms. Shivani Yadav** daughter of Sh. Brijesh Singh Yadav and debars her from inheriting movable and immovable properties of my said client. Any person dealing with the said **Ms. Shivani Yadav** will be doing at his/her own risks and costs. My client will be not responsible for the same.

Sharad Chandra Gupta
[Advocate]
Court:-Seat No. A-14, S.D.M. Court Compound, Seelampur, Delhi-110053.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. K. Shanmugam son of late Sh. I.U. Kuppu Pandaram, Resident of 519, Sunlight Colony No.1, New Delhi-110014, disowns, dis-inherits and has severed all his relation with his elder son & his wife namely Vijay Kumar, resident of H. No. 519 (First Floor), Sunlight Colony No.1, New Delhi-110014 & Jamuna Rani, presently residing at old no. 47, new no. 24, Uzhavar Veethi, Uzhavar Nagar, Surampatti post, Erode-630009, Tamil Nadu & his grandsons namely V. Kavin Kumar & V. Ajay, both resident of H. No. 519 (First Floor), Sunlight Colony No.1, New Delhi-110014.

My client shall not liable in any manner for any act done by them and hereby debar his elder son & his wife namely Vijay Kumar & V. Jamuna Rani & his grandsons namely V. Kavin Kumar & V. Ajay from all properties movable and immovable possessed & belonging to my client.

Sd/- **(S. Jeeva Nandan)**
Advocate
Bachawat & Associates
K-60, L.G.F., Jangpura Ext., New Delhi-110014

PUBLIC NOTICE

My clientess Smt. Jyoti Sharma, Wife of Sh. Jai Dev Sharma, Resident of C-148, JJ Colony, Khayala, New Delhi-110018 is the exclusive owner of her self acquired property bearing no. C-148, JJ Colony, Khayala, New Delhi-110018.

That my clientess Smt. Jyoti Sharma, notifies that she has disinherited and debarred her son, Sh. Naveen Sharma, Son of SH. Jai Dev Sharma, Resident of C-148, JJ Colony, Khayala, New Delhi-110018. At present, her son Naveen Sharma, who is married, having blessed with one girl child is living separately at B-1/83, Vishnu Garden, Khayala, New Delhi and my client has got no knowledge about the whereabouts of her daughter in law i.e Jai Laxmi Sharma moreover her daughter in law Smt. Jai Laxmi Sharma is also living separately from her husband Naveen Sharma along with her girl child and both of them shall have no right upon any of the moveable or immoveable property owned by my client or her husband Sh. Jai Dev Sharma in Delhi or elsewhere in India.

That anybody dealing with her Son Naveen Sharma and his wife Jai Laxmi Sharma shall do so at his/her own cost and risk and my client and her husband Sh. Jai Dev Sharma shall not be held responsible in any manner.

Sd/-
(AMIT SHARMA)
ADVOCATE
CHAMBER NO. 86, TEHSIL BUILDING, TIS HAZARI COURTS, DELHI.

PUBLIC NOTICE

This is to inform to general public that Gian Chand Basheshar Nath (HUF) is the owner of property bearing no. 2891/92, Nabi Karim, Idgah Road, Singhara Chowk, Near Qutab Road, Delhi measuring 3600 sq. yards and my client Sh. Subhash Jain and Sh. Brijesh Jain are Karta of HUF. My clients have not executed any sale documents of any part of their aforesaid property to till date in favour of anyone and if anybody claims that he/she have any such documents, then those documents are forged and fabricated and having no sanctity in law. Any person. if deals in aforesaid property with anyone except my client, then he/she shall be dealing at his own risk and consequences and my clients shall not be held responsible for any such dealing with respect to the aforesaid property. And if any person wants to take any clarification regarding aforesaid property, then he/she can contact to my client on his mobile no. 9810202295.

Sd/-
RAKESH PATIYAL
(Advocate)
D-575/00 Chamber No.45, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

FREEHOLD SOCIETY BUILT UP FLAT NO. 91-B (Flat No. 91, Type - B), VIKAS VIHAR CGHS LTD., KNOWN AS GANGOTRI APARTMENTS, VIKASPURI, NEW DELHI

Public at large is hereby informed that my client(s) Shri Gudimella Govinda Srinivas Achary & Smt. Gudimella Krishna Veni had entered in to an agreement to Sell dated 01.02.2020 with the present Owner/ Seller i.e. Shri Deepak Dhingra & Shri Krishan Gopal (only two class I Legal heir of Late Smt. Pushpa Dhingra as per Surviving Member Certificate).

Conveyance Deed dated 07.08.2001 executed by DDA in favor of Smt. Pushpa Dhingra in respect of captioned property, duly registered vide Regd. No. 15,694, Book No. I, Vol. No. 646, pages 39-40, dated 27.09.2001. Smt. Pushpa Dhingra expired on 13.03.2018 intestate (as informed by present seller(s))

It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank , financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents mentioned above or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 15 days from the day of publication, failing which the title deed / Sale Deed proposed to be executed in favor Shri Gudimella Govinda Srinivas Achary & Smt. Gudimella Krishna Veni or in the name of their nominees shall be deemed to be clear and marketable without any defect , encumbrance, flaw and impediment.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile – 8587898197, Email : nir2verma@gmail.com

केरल के जंगल में चोटिल हाथी की मौत

पलक्कड़, 4 जुलाई (भाषा)।

केरल में पलक्कड़ के अट्टापडी में शुक्रवार रात पांच वर्षीय एक हाथी की मौत हो गई। हाथी जब मिला था तब उसके जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी। यह घटना एक महीने पहले एक गर्भवती हथिनी की मौत और उसे लेकर व्यापक जनाक्रोश उत्पन्न होने के बाद हुई है।

वन अधिकारियों ने बताया कि जानवर कुछ भी नहीं खा पा रहा था। घायल हाथी एक दिन पहले वन अधिकारियों को अगाली वन क्षेत्र में वीतीकुंडू में मिला था और वह बहुत कमजोर था। हाथी की शुक्रवार रात में मौत हो गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें संदेह है कि हाथी ने पटाखा भरा नारियल या कोई फल चबाया होगा।

> *प्रधान* मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें संदेह है कि हाथी ने पटाखा भरा नारियल या कोई फल चबाया होगा।

उन्होंने कहा, 'तीन ऐसी संभावनाएं हैं जिसके कारण हाथी की मौत हो सकती है...हाथी के मुंह में चोट थी और वह पटाखा भरा नारियल या कोई फल खाने से लगी हो सकती है।' उन्होंने कहा, 'उसके पेट में ट्यूमर था और वह न्यूमोनिया से भी पीड़ित था।' अधिकारी ने कहा कि आशंका है कि हाथी पड़ोसी तमिलनाडु के जंगलों से आया होगा क्योंकि उसे वन अधिकारियों द्वारा अभी तक किसी भी झुंड में नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि हाथी जहां मिला था, वहां से तमिलनाडु का जंगल मुश्किल से दो-तीन किलोमीटर दूर है।

हाथी का पोस्टमार्टम आज सुबह किया गया। मुख्य वन पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अरुण सकारिया ने कहा, 'हाथी के जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी जीभ भी फटी हुई थी और वह न्यूमोनिया से पीड़ित था। उसके पेट में ट्यूमर था। हमने उसके नमूने एकत्रित किए हैं और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। नमूने टॉक्सीकोलॉजी जांच के लिए दे दिये गए हैं।' सकारिया के अनुसार हाथी को कोई बाहरी चोट नहीं थी और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने पटाखा वाला कोई फल खाया हो जो उसके मुंह में फट गया। वन अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र के आदिवासियों ने उन्हें हाथी के बारे में सूचित किया था।

साइलेंट घाटी जंगल में 27 मई को 15 वर्षीय एक गर्भवती जंगली हथिनी पटाखे से भरा फल खाने से घायल हो गई थी क्योंकि वह फल उसके मुंह में फट गया था।

पूर्णबंदी से राहत के दूसरे चरण में नए दिशा निर्देश

जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थल और स्कूल बंद रहेंगे

जम्मू, 4 जुलाई (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में शनिवार को पूर्णबंदी से राहत के दूसरे चरण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। प्रशासन ने वहीं होटलों को पूरी तरह खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के अनुसार वैध पासधारकों के अलावा किसी को अंतरराज्यीय तथा एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी, वहीं अगले आदेश तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।

जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवी आर सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार रात को नए दिशानिर्देश जारी किए और ये 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। इससे पहले प्रशासन ने जिलों को 'लाल', 'नारंगी' और 'हरा' श्रेणियों में बांटा था।

बांदीपुरा को छोड़ कर कश्मीर में श्रीनगर समेत शेष नौ जिलों और जम्मू क्षेत्र के रामबन को 'लाल' जोन घोषित किया गया है। कठुआ जिले के लखनपुर को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। बांदीपुरा और जम्मू क्षेत्र के सात अन्य जिलों को 'नारंगी' जोन में वर्गीकृत किया गया है, वहीं डोडा तथा किश्तवाड़ 'हरा' जोन में बने हुए हैं।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोगों को बैठा कर भोजन करा सकेंगे जिन्हें पहले केवल होम डिलीवरी की या ग्राहकों को पैक करके सामान देने की अनुमति थी। वहीं होटल सौ फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल अगले आदेश तक जनता के लिए बंद रहेंगे, वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम आदि भी बंद रहेंगे।

गुरुग्रंथ साहिब की प्रति चोरी के मामले में डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 4 जुलाई (भाषा)।

पंजाब में बेअदबी की घटनाओं की जांच कर रही एसआइटी ने 2015 के गुरुग्रंथ साहिब चोरी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर शनिवार को फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के विशेष जांच दल (एसआइटी) का नेतृत्व कर रहे पुलिस उपमहानिरीक्षक (जलंधर क्षेत्र) रणबीर सिंह ने कहा, 'हमने सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं।

पुलिस जांच के अनुसार ये सातों 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा से गुरुग्रंथ साहिब की 'बीर' (प्रति) की चोरी में कथित रूप से संलिप्त थे। उन्हें फरीदकोट की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनमें से पांच को दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया, जबकि दो को मुक्त कर दिया क्योंकि उनके वकीलों ने दावा किया कि वे पहले ही इस मामले में जमानत हासिल कर चुके हैं। पंजाब सरकार ने सीबीआइ से 2015 की बेअदबी की घटनाओं की जांच वापस ले ली थी। उसके बाद से पंजाब पुलिस की एसआइटी इन मामलों की जांच कर रही है।

बेअदबी की तीन घटनाए हुई थीं। पहली घटना के तहत एक जून 2015 को गुरद्वारे से गुरुग्रंथ साहिब की बीर की चोरी हुई थी। दूसरी घटना के तहत, 25 सितंबर को बरगारी और बुर्ज जवाहरसिंह वाला में हस्तलिखित बेअदबी पोस्टर लगा दिए गए थे। तीसरी घटना में, फरीदकोट में 12 अक्तूबर, 2015 को बरगारी में पवित्र ग्रंथ के फटे हुए पन्ने मिले थे।

युवक की मौत के मामले में पुलिसकर्मी आरोपमुक्त

बिजनौर, 4 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पिछले वर्ष 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से एक युवक की मौत के मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को एसआइटी की जांच में आरोपमुक्त कर दिया गया है।

जिला पुलिस के अनुसार 20 दिसंबर, 2019 को जिले में सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे और नहटौर में भीड़ ने थाने पर हमला कर पुलिस की तीन गाड़ियां जला दी थीं। पुलिस के अनुसार भीड़ ने दरोगा आशीष तोमर का पिस्तौल लूट लिया था, जो बाद में बरामद हो गया था। भीड़ के हमले में तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश सोलंकी, दरोगा आशीष तोमर और सिपाही मोहित सहित कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

पुलिस ने बताया कि इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान सुलेमान और अनस की गोली लगने से मौत हो गई थी व ओमराज सैनी गोली लगने से घायल हो गया था। सुलेमान के भाई शोएब ने थाना प्रभारी राजेश सोलंकी, दरोगा आशीष तोमर, सिपाही मोहित और तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुलेमान को रात में उस समय गोली मार देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी, जब वह नमाज पढ़कर लौट रहा था।

जिला पुलिस ने जनपद में हुई सभी घटनाओं की जांच के लिए एसआइटी का गठन कर शोएब की तहरीर भी उसी जांच प्रक्रिया में शामिल कर ली थी। पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने जानकारी दी कि एसआइटी की जांच में पुलिसकर्मियों पर आरोप निराधार पाए गए और पाया गया कि सुलेमान ने पुलिस पर हमला किया था।

नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक टली

काठमांडो, 4 जुलाई (भाषा)।

नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की वह बैठक सोमवार तक टल गई है जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भविष्य पर फैसला होना था। ओली की कार्यशैली तथा उनके भारत-विरोधी बयानों को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने पर काम करने के लिए और समय लिया गया है।

पार्टी की 45 सदस्यीय स्थायी समिति की अहम बैठक शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे होने वाली थी लेकिन अंतिम समय में इसे स्थगित कर दिया गया।

प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने बताया कि लंबित मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के शीर्ष नेताओं को और वक्त की जरूरत है, इसलिए बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है।

पार्टी नेता प्रचंड के प्रेस सलाहकार बिष्णु सपकोता ने अलग से कहा, 'स्थायी समिति की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि दोनों अध्यक्षों को और बातचीत के लिए समय चाहिए।' यह बैठक आज बालूवतार में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर होनी थी जिसमें पार्टी के अंदर जारी संकट को टालने का रास्ता तलाशने पर विचार होना था।

इससे पहले स्थायी समिति की बैठक गुरुवार को होनी थी लेकिन उसे भी टाल दिया गया था। पार्टी के संकट को हल करने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री ओली तथा एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड के बीच तीन घंटे तक चली अनौपचारिक बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला।

पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश शाह ने कहा कि शुक्रवार की अनौपचारिक मुलाकात में दोनों नेताओं ने पूरे हालात की समीक्षा की। उन्होंने स्थायी समिति की आगामी बैठक में बातचीत के लिए एजेंडे पर भी चर्चा की। काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार शुक्रवार की बैठक में प्रचंड ने अपना रुख दोहराया कि ओली को पद छोड़ देना चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री ने इनकार करते हुए कहा कि वे अपने इस्तीफे को छोड़कर अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं।

स्थायी समिति के सदस्य रघुजी पंत के मुताबिक ओली ने प्रचंड से कहा, 'मैं दोनों ही पदों से इस्तीफा नहीं दूंगा। आपको जो करना है वो करो।' पार्टी सूत्रों के मुताबिक शनिवार सुबह ओली और प्रचंड ने मतभेद दूर करने के लिए मुलाकात की।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर ओली असंतुष्ट खेमे के साथ समझौता नहीं करेंगे तो सत्तारूढ़ दल में दो फाड़ हो जाएगा। पार्टी में ओली अलग-थलग पड़ गए हैं क्योंकि अधिकतर वरिष्ठ नेता प्रचंड के साथ हैं। 45 सदस्यीय स्थायी समिति के भी केवल 15 सदस्य ओली के साथ हैं।

एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने ओली के भारत विरोधी बयान के चलते उनका इस्तीफा मांगा है। उनका कहना है कि भारत विरोधी टिप्पणियां 'न तो राजनीतिक रूप से सही हैं और न ही कूटनीतिक लिहाज से उचित हैं।'

बाढ़ बचाव कार्य के लिए 90 टीमें तैनात

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने देशभर में बाढ़ बचाव कार्यों के लिए 90 से अधिक टीमों को तैनात किया है जिनका कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण मुख्य ध्यान लोगों और सामान की संक्रमणमुक्ति पर केंद्रित होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में अपने कार्यालय में शुक्रवार को देश में मानसून की बारिश और बाढ़ के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को जान-माल का नुकसान रोकने के लिए अच्छी तरह से योजना बनाने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने एजंसी से कहा, हमने बाढ़ से बचाव संबंधित कार्यों के लिए देशभर में 90 से अधिक टीम तैनात की हैं। बाढ़ बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की एक टीम में करीब 45 कर्मी होते हैं।

रोक बरकरार अदालत ने इजाजत देने से किया इनकार, ऑनलाइन दर्शन के लिए कहा

इस साल नहीं लगेगा कांवड़ मेला

भागलपुर, 4 जुलाई (जनसत्ता)।

जिले के सुलतानगंज समेत भागलपुर के गंगा नदी घाट गेरुआ वस्त्रधारियों के बिना सूना पड़ा है। कोरोना की वजह से सावन में सदियों से लगने वाला कांवर मेला इस साल नहीं लगेगा। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर बाबा बैद्यनाथ और वासुकीनाथ धाम में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। झारखंड सरकार ने पहले ही भक्तों के लिए मंदिर खोलने पर पाबंदी लगा रखी थी।

गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे चाहते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए सावन में मंदिर खोला जाए और कांवड़ यात्रा कोरोना नियमों का पालन करते हुए हो। इसके लिए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी। जिसपर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश को बरकरार रखा और ऑनलाइन बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कराने का इंतजाम करने को कहा है।

बिहार सरकार ने भी सुलतानगंज में मेला आयोजित करने पर रोक लगाई है। धार्मिक न्यास बोर्ड की बैठक में भी सावन में शिवालयों में किसी तरह की पूजा-पाठ, जलाभिषेक पर रोक लगाई है।

पटना के ज़िलाधीश कुमार रवि और सारण के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भी आगामी चार अगस्त तक शिवालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही श्रद्धालुओं से गुजारिश की है कि घरों से ही बाबा का ध्यान कर जल अर्पित करें। कोविड 19 का प्रकोप राज्य में तेजी से फैल रहा है।

भागलपुर के सुलतानगंज से देवघर 105 किलोमीटर और वहां से 60 किलोमीटर वासुकीनाथ की यात्रा करने पर पाया कि जिन रास्तों पर हरेक साल दुकानें, कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर, सफाई और इलाका जगमग होता था, वह सुनसान पड़ा है। सुलतानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा नदी से 50 लाख श्रद्धालु हरेक साल कांवड़ में जल भर पैदल कष्टप्रद यात्रा कर लादश ज्योर्तिलिंग बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस साल यह सिलसिला थम गया। यह रास्ता जहां गेरुआ बाना पहने लाखों श्रद्धालुओं के बोल बम के जैकारे से गुंजायमान होता था। वह रास्ता वीरान है। कोरोना ने सब कुछ रोक दिया है। शाम के बाद तो घटाटोप अंधेरा भुतहा रास्ता जैसा लगता है। इक्की-दुक्की गाड़ियों की हॉर्न ही सन्नाटे को तोड़ती है।

देवघर की उपायुक्त नैनसी सहाय सरकार और रांची हाईकोर्ट के आदेश के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर इलाके का मातहत अधिकारियों व पुलिस के आलाधिकारियों के साथ मुआयना किया है। शिवगंगा व मंदिर जाने के रास्तों को बांस-बल्लियों से घेरने का काम वहां चल रहा है। ताकि बाहर से कोई श्रद्धालु वहां पहुंच शिवगंगा में न स्नान करें और न ही मंदिर इलाके में प्रवेश कर पाए। बाबा की सरकारी पूजा के अलावे किसी को पूजा करने की इजाजत नहीं है। इसके लिए पुलिस बल चारों ओर से चप्पे-चप्पे पर मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किए गए हैं। देवघर में प्रवेश से लेकर मंदिर के रास्तों पर नाके बनाए गए हैं।

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated June 28, 2020 (the "**Letter of Offer**" or "**LOF**") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with BSE, "**Stock Exchanges**") and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**").

ADITYA BIRLA
FASHION & RETAIL

ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED

Our Company was incorporated as 'Peter England Fashions and Retail Limited' at Bangalore on April 19, 2007, as a public limited company under the Companies Act, 1956. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Pantaloons Fashion & Retail Limited' with effect from April 23, 2013 and to 'Aditya Birla Fashion and Retail Limited' with effect from January 12, 2016. For details of change in our name and the Registered and Corporate Office of our Company, see *"General Information"* and *"History and Corporate Structure"* beginning on pages 42 and 84, respectively of the LOF.

Registered and Corporate Office: Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4th and 5th Floor, Unit No. 401,403, 501, 502, L.B.S. Road, Kurla, Mumbai 400 070. **Contact person:** Ms. Geetika Anand, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 86529 05000 | **E-mail id:** secretarial.abfrl@adityabirla.com | **Website:** www.abfrl.com

Corporate Identity Number: L18101MH2007PLC233901

PROMOTER OF OUR COMPANY: BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF 9,04,65,693 PARTLY PAID-UP SHARES# OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 110 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 100 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 9,95,12,26,230# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 9 (NINE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 77 (SEVENTY SEVEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS WEDNESDAY, JULY 1, 2020 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 210 OF THE LOF.

Assuming full subscription

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

ISSUE OPENS ON:	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATIONS:	ISSUE CLOSES ON
WEDNESDAY, JULY 8, 2020	FRIDAY, JULY 17, 2020*	WEDNESDAY, JULY 22, 2020#

* Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.

\# Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it!!!

*Applications supported by blocked amount (**ASBA**) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below.

Facilities for Application in this Issue

(i) ASBA Facility:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use either the ASBA process or the R-WAP (instituted only for resident Investors in this Issue, in the event the Investors are not able to utilize the ASBA facility for making an Application despite their best efforts). Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA or using the R-WAP. For details, see "Terms of the Issue - Making of an Application through the ASBA process" and "Terms of the Issue - Making of an Application through the Registrar's Web-based Application Platform ("R-WAP") process" beginning on pages 213 and 214 of the LOF, respectively."

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

(ii) Registrar's Web-based Application Platform (R-WAP):

In accordance with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, a separate web based application platform, i.e., the R-WAP facility (accessible at www.linkintime.co.in), has been instituted for making an Application in this Issue by resident Investors. Further, R-WAP is only an additional option and not a replacement of the ASBA process. On the R-WAP, resident Investors can access and submit the online Application Form in electronic mode and make online payment using their internet banking or UPI facility from their own bank account thereat.

PLEASE NOTE THAT ONLY RESIDENT INVESTORS CAN SUBMIT AN APPLICATION USING THE R-WAP. R-WAP FACILITY WILL BE OPERATIONAL FROM THE ISSUE OPENING DATE. FOR RISKS ASSOCIATED WITH THE R-WAP PROCESS, SEE "RISK FACTORS - THE R-WAP PAYMENT MECHANISM FACILITY PROPOSED TO BE USED FOR THIS ISSUE MAY BE EXPOSED TO RISKS, INCLUDING RISKS ASSOCIATED WITH PAYMENT GATEWAYS" ON PAGE 33 OF THE LOF.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online / eleclronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. For list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer the above-mentioned link.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS UNDER THE ASBA PROCESS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES UNDER THE ASBA PROCESS CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH ASBA APPLICANT ON THE RECORD DATE.

APPLICATION ON PLAIN PAPER: An Eligible Equity Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. Please note that the Application on plain paper cannot be submitted through R-WAP.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of our Company, being Aditya Birla Fashion and Retail Limited; 2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); 3. Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) / DP and Client ID; 4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue; 5. Number of Equity Shares held as on Record Date; 6. Allotment option – only dematerialised form; 7. Number of Rights Equity Shares entitled to; 8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements; 9. Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for); 10. Total number of Rights Equity Shares applied for; 11. Total amount paid at the rate of ₹ 55 per Rights Equity Share; 12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and 16. All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/ We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**), or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (the **"United States"**), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. I/ we understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act (**"Regulation S"**) to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. I/ we understand that the Issue is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States. I/ we confirm that I am/ we are (a) not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws, (b) complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the Issue, and (c) understand that neither Our Company, nor the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on behalf of Our Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who Our Company, the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on behalf of Our Company have reason to believe is in the United States or is outside of India and ineligible to participate in this Issue under the securities laws of their jurisdiction.

I/We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation. I/ We satisfy, and each account for which I/ we are acting satisfies, (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of my/our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction of residence.

I/We hereby make the representations, warranties, acknowledgments and agreements set forth in the section of the Letter of Offer titled "Restrictions on Purchases and Resales" on page 241 of the LOF.

I/We understand and agree that the Rights Entitlements and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

I/ We acknowledge that we, the Lead Managers, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

OVERSEAS SHAREHOLDERS: The distribution of this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter, any other offering material and the issue of the Rights Entitlement and the Rights Equity Shares on a rights basis to persons incertain jurisdictions outside India are restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Our Company is making this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material only to the e-mail addresses of Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. Those overseas shareholders who do not update our records with their Indian address or the address of their duly authorised representative in India, prior to the date on which we propose to e-mail this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form shall not be sent this this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form.

NO OFFER IN THE UNITED STATES

The Rights Entitlements and The Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the united states securities act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**), or any U.S. State Securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the united states or the territories or possessions thereof (the **"United States"** or **"U.S."**), except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act. the Rights Equity Shares are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act (**"Regulation S"**) to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. The offering is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities.

Neither our Company, nor any person acting on behalf of our Company, will accept a subscription or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company, or any person acting on behalf of our Company, has reason to believe is, in the United States when the buy order is made. No Application Form should be postmarked in the United States, electronically transmitted from the United States or otherwise dispatched from the United States or from any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer of securities under this Letter of Offer. Our Company is making this Issue on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders and will dispatch this Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer and the Application Form, through e-mail, only to Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. Any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted and agreed, by accepting the delivery of this Letter of Offer, that it is not and that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, it will not be, in the United States and is authorized to acquire the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations.

Our Company, in consultation with the Lead Managers, reserves the right to treat as invalid any Application Form which: (i) appears to our Company or its agents to have been executed in, electronically transmitted from or dispatched from the United States or other jurisdictions where the offer and sale of the Rights Equity Shares is not permitted under laws of such jurisdictions; (ii) does not include the relevant certifications set out in the Application Form, including to the effect that the person submitting and/or renouncing the Application Form is not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws and is complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with this Issue; or (iii) where either a registered Indian address is not provided or where our Company believes acceptance of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements; and our Company shall not be bound to issue or allot any Rights Equity Shares in respect of any such Application Form.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Wednesday, July 22, 2020 i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB or if the Application Form is not accepted at the R-WAP, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, *"Terms of Issue - Basis of Allotment"* beginning on page 232 of the LOF

ALLOTMENT ONLY IN DEMATERIALISED FORM: The Allotment of Equity Shares pursuant to the Issue will only be made in dematerialised form. In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, (a) the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date; or (b) the Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form as on Record Date and who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, desirous of subscribing to Rights Equity Shares **may also apply** in this Issue during the Issue Period subject to certain conditions. Such resident Eligible Equity Shareholders must check the procedure for application by and credit of Rights Equity Shares to such Eligible Equity Shareholders in Terms of the Issue - Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" and "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA accounts" beginning on pages 217 and 233, respectively of the Letter of Offer.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) (collectively, the "**Stock Exchanges**"). Our Company has received "*in-principle*" approvals from BSE through its letter dated June 20, 2020, as revised by its letter dated June 25, 2020 and NSE through its letter dated June 22, 2020. Our Company will also make applications to the Stock Exchanges to obtain their trading approvals for the Rights Entitlements as required under the SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the *"Disclaimer Clause of SEBI"* beginning on page 203 of the LOF

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of BSE"* beginning on page 205 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "*Disclaimer clause of NSE"* on page 206 of the LOF.

Escrow Collection Bank: Axis Bank Limited.

Allotment Account Banks: Axis Bank Limited, The Federal Bank Ltd and State Bank of India.

REFUND BANKER: Axis Bank Limited.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Relaxation Circular and the MCA Circular, our Company will send, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter, Application Form and other Issue related material at least two days before the Issue Opening Date, only through e-mail, to the e-mail addresses of all the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company. The Letter of Offer will be sent, only through e-mail, by the Registrar on behalf of our Company or the Lead Managers to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company and who make a request in this regard. In accordance with the above, the dispatch of the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter alongwith the Application Form has been completed in electronic form through email on Saturday, July 04, 2020 by the Registrar to the Issue

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.linkintime.co.in) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company (i.e., www.abfrl.com).

Our Company along with the Lead Managers have taken and will continue to undertake all adequate steps to reach out to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address through means as may be considered feasible by our Company and our Company or the Lead Managers will not be liable for considering or choosing or not considering or choosing any specific means to reach out to the Eligible Equity Shareholders.

Investors can access this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of: (i) our Company at www.abfrl.com; (ii) the Registrar at www.linkintime.co.in; (iii) the Lead Managers, i.e. (a) ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com; (b) SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com; (c) Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in; (d) BNP Paribas at www.bnpparibas.co.in; and (e) CLSA India Private Limited at www.india.clsa.com; (iv) the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com; and (v) the Registrar's web-based application platform at www.linkintime.co.in ("**R-WAP**").

The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes: a) Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: https://www.linkintime.co.in b) Updation of Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html or send an email to abfrlupdation@linkintime.co.in c) Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: https://www.linkintime.co.in or send an e-mail to abfrlupdation@linkintime.co.in d) Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident Eligible Equity Shareholders: abfrl.rights@linkintime.co.in

The LOF is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE					REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
ICICI Securities	SBI Capital Markets Limited	AXIS CAPITAL	BNP PARIBAS	CLSA A CITIC Securities Company	LINKIntime	**Ms. Geetika Anand** Company Secretary and Compliance Officer
ICICI Securities Limited ICICI Centre, H.T. Parekh Marg Churchgate Mumbai – 400 020 **Telephone:** +91 (22) 2288 2460 **E-mail id:** abfrl.rights@icicisecurities.com **Investor Grievance e-mail id:** customercare@icicisecurities.com **Contact person:** Shekher Asnani/ Rishi Tiwari **Website:** www.icicisecurities.com **SEBI registration number:** INM000011179	**SBI Capital Markets Limited** 202, Maker Tower 'E' Cuffe Parade Mumbai 400 005 **Telephone:** +91 (22) 2217 8300 **E-mail id:** abfrl.rights@sbicaps.com **Investor Grievance e-mail id:** investor.relations@sbicaps.com **Contact person:** Sambit Rath/Janardhan Wagle **Website:** www.sbicaps.com **SEBI registration number:** INM000003531	**Axis Capital Limited** 1st Floor, Axis House, C-2, Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 025 **Telephone:** +91 (22) 4325 2183 **E-mail id:** abfrl.rights@axiscap.in **Investor Grievance E-mail id:** complaints@axiscap.in **Contact Person:** Sagar Jatakiya **Website:** www.axiscapital.co.in **SEBI registration number:** INM000012029	**BNP Paribas** BNP Paribas House, 1-North, Avenue Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051 **Telephone:** +91 (22) 3370 4000 **E-mail id:** dl.rights.abfrl@asia.bnpparibas.com **Investor Grievance E-mail id:** indiainvestors.care@asia.bnpparibas.com **Contact Person:** Soumya Guha **Website:** www.bnpparibas.co.in **SEBI registration number:** INM000011534	**CLSA India Private Limited** 8/F Dalamal House, Nariman Point Mumbai 400 021 **Telephone:** +91 (22) 6650 5050 **E-mail id:** abfrl.rights@clsa.com **Investor Grievance E-mail:** investor.helpdesk@clsa.com **Contact Person:** Prachi Chandgothia Website: www.india.clsa.com **SEBI registration number:** INM000010619	**Link Intime India Private Limited** C-101, 247 Park, L B S Marg Vikhroli (West) Mumbai 400 083 **Telephone:** +91 (22) 4918 6200/ 4918 6171 / 4918 6172 **E-mail id:** abfrl.rights@linkintime.co.in **Investor grievance e-mail id:** abfrl.rights@linkintime.co.in **Contact person:** Mr. Sumeet Deshpande **Website:** www.linkintime.co.in **SEBI registration number:** INR000004058	Piramal Agastya Corporate Park, Building 'A', 4th and 5th Floor, Unit No. 401,403, 501, 502, L.B.S. Road, Kurla, Mumbai 400 070 **Telephone:** +91 86529 05000 **E-mail Id:** secretarial.abfrl@adityabirla.com

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre Issue or post Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process or the optional mechanism R-WAP process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process) or amount debited (in case of the R-WAP process), ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process) and copy of the e-acknowledgement (in case of the R-WAP)process).

For **Aditya Birla Fashion and Retail Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ms. Geetika Anand
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: July 04, 2020

Aditya Birla Fashion and Retail Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a rights issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated June 28, 2020 with Company at www.abfrl.com, the Registrar at www.linkintime.co.in, SEBI and the Stock Exchanges. The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and the website of the Lead Managers to the Issue, i.e., ICICI Securities Limited, SBI Capital Markets Limited, Axis Capital Limited, BNP Paribas and CLSA India Private Limited at www.icicisecurities.com, www.sbicaps.com, www.axiscapital.co.in, www.bnpparibas.co.in and www.india.clsa.com and on the R-WAP. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled *"Risk Factors"* beginning on page 17 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold in 'offshore transactions' outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. SecuritiesAct to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

Adfactors 135

खबरों में शहर

बगैर इजाजत क्रिकेट मैच, 51 गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 4 जुलाई।

थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बंदी के दौरान बिना इजाजत क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 51 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ धारा 188, 269, 270 तथा महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 4 जुलाई।

थाना दादरी पुलिस की शनिवार तड़के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड पर एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारकर उस पर काबू पाया। पकड़े गए बदमाश की पहचान इरशाद निवासी एटा जनपद के रूप में हुई है। आरोपी 25 हजार का इनामी बदमाश है। घायल आरोपी पर दादरी थाना क्षेत्र में ही लूट व डकैती की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिए जाने का आरोप है।

50 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया मुक्त

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 4 जुलाई।

नगर निगम ने एनएच-9 से गौड़ सिटी को जाने वाले मार्ग पर तिगरी गौल चक्कर के निकट स्थित जमीन को कब्जा मुक्त कराया। शनिवार को कब्जा मुक्त कराई गई भूमि की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर नगरायुक्त डॉ दिनेश चंद्र की ओर से अवैध कब्जे हटाने हेतु कर्नल दीपक सरन प्रभारी प्रवर्तन दल अधिकारी एवं भोलानाथ संपत्ति अधीक्षक को मौके पर पहुंच कर शिकायत की जांच करने एवं कब्जे की पुष्टि होने पर तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे।

वैद्याचार्य से चैनल के नाम पर पांच करोड़ की ठगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

दिल्ली में एक वैद्याचार्य से पांच करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी मास्टरमाइंड सुनील कुमार झा को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सुनील इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का पूर्व अधिकारी है और जोधपुर में दूरदर्शन के उप निदेशक के रूप में भी काम कर चुका है। वह टीवी चैनल खुलवाने के नाम पर एक वैद्याचार्य से पांच करोड़ रुपए की ठगी कर फरार हो गया था। पीड़ित धार्मिक ज्ञान का प्रचार करना चाह रहे थे।

वकीलों ने की आर्थिक पैकेज की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वे दिल्ली बार एसोसिएशन की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखेंगे और सकारात्मक फैसला लेंगे। वे वकीलों और उनके परिवार वालों के लिए तीस हजारी अदालत परिसर में लगे कोरोना जांच शिविर के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। इस शिविर में 150 से ज्यादा वकीलों व उनके परिजनों की जांच की गई।

इस मौके पर वकीलों ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि पूर्णबंदी के दौरान बंद रही अदालतों के चलते उन्हें जो नुकसान उठाना पड़ा है उसके लिए सरकार एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव नासियार ने दो मांग रखी।

जामा मस्जिद व फतेहपुरी मस्जिद खुली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

लंबे समय से बंद रही दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद शनिवार को आम जनता के लिए खोल दी गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण ये दोनों ऐतिहासिक मस्जिदों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था। जामा मस्जिद चार जुलाई से आम लोगों के लिए फिर से खुल गई। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने यह जानकारी दी। हालांकि 11 जून से बंद इस मस्जिद में शनिवार को कम लोगों ने ही नमाज अदा की। बुखारी ने कहा कि मस्जिद को फिर से खोलने का फैसला लोगों और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद लिया गया। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि कोविड 19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए मस्जिद अब सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेगी।

उधर, फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ति मुकर्रम अहमद खां ने कहा कि फतेहपुरी मस्जिद भी सामान्य दिनों कि तरह खोल दी गई है।

भारी ऑक्सीजन सिलेंडरों को खींचकर वार्डों तक ले जाने की जद्दोजहद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

लोकनायक अस्पताल के सभी वार्डों में तांबे की पाइपलाइन के जरिए मरीजों को आक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। लेकिन अभी तो भारी भरकम सिलेंडर को कर्मचारी पसीने से तरबतर होकर हांफते हुए वार्डों तक पहुंचा रहे हैं।

अभी तक एक दो वार्डों में ही पाइपलाइन से मरीजों को ऑक्सीजन मिल पाती है। बाकी जगह सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अस्पताल के पीछे की ओर बने गोदाम से सिलेंडर लाने में कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का

ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते कर्मचारी

सामना करना पड़ता है। धूप से तेज गर्मी व उमस के बीच कर्मचारियों को करीब 500 मीटर दूर से खींच कर सिलिंडर लाने में चक्कर आने लगते हैं। एक कर्मचारी मरीजों को ले जाने वाले स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन के चार सिलिंडर लादे ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि 120 किलोग्राम के हैं यह एक सिलिंडर चार को ट्राली पर रख कर खींचते दम फूल जाता है। इतने में कोई कंकड़ स्ट्रेचर के पहिए से टकराया और स्ट्रेचर का संतुलन बिगड़ गया। जिससे सिलेंडर लुढ़क कर नीचे गिर गया।

किसी तरह सिलिंडर वापस लाद कर कर्मचारी हांफते हुए फिर आगे बढ़ा लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ते एक सिलिंडर फिर लुढ़क गया। कर्मचारी बोला ऊपर वार्ड में मरीज का ऑक्सीजन खतम होने वाला है उसके पहले पहुंचना है। कर्मचारी ने बताया कि ऑक्सीजन सिलिंडर ले जाने के लिए एक अलग तरह की ट्राली आती है जिसके पहिए भी रबर के और चौड़े होते हैं। उससे संतुलन नहीं बिगड़ता और ट्राली खींचने में मेहनत भी नहीं पड़ती।

दिल्ली में एक हफ्ते में नए मामलों का औसत घटा

अगस्त में तेजी से बढ़ सकते हैं मामले

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के प्रतिदिन के नए औसत मामलों में कमी दर्ज किए जाने के बीच विशेषज्ञों ने दावा किया है कि शहर में अगस्त के आरंभ में संक्रमण के मामले अपनी चरम सीमा को भी पार कर सकते हैं। बहरहाल, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सामाजिक दूरी और स्वच्छता के नियमों का लोग पालन नहीं करते हैं तो फिर से मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 जून को दिल्ली में कोविड-19 के सर्वाधिक 3,947 मामले सामने आए थे।

शहर में 26 जून तक लगातार 3,000 से अधिक मामले सामने आए। 26 जून को 3,460 नए मामले सामने आए थे। वहीं, 27 जून से तीन जुलाई तक नए मामलों का औसत 2,494 था जबकि यह इससे पहले हफ्ता भर पहले प्रतिदिन औसत 3,446 था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, 'यदि दिल्ली में (कोविड-19 के) मामलों की संख्या अगले कुछ हफ्तों में स्थिर रहती है या इसमें कमी आती है तो, तथा इसका पालन सतत रूप से जारी रहता है, तब हम कह सकते हैं कि हम अगस्त में चरम सीमा को पार करेंगे।' डॉ गुलेरिया ने कहा, 'कुछ शहरों में मामलों के बढ़ने की प्रवृत्ति में कमी आई है, लेकिन जब लॉकडाउन हट जाएगा तब लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे और इसके चलते मामले तेज गति से बढ़ेंगे। इसलिए, आत्मसंतुष्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 2,520 नए मामले सामने आए। फोर्टिस हॉस्पिटल के श्वसन रोग विभाग के निदेशक एवं प्रमुख डॉ विकास मौर्या ने कहा कि दिल्ली में मामले पहले के अनुमान के मुताबिक नहीं बढ़े हैं, इसलिए, अगस्त में चरम सीमा को पार कर सकती है।

दिल्ली के दो करोड़ लोगों की मेहनत रंग ला रही है। दिल्ली का रिकवरी रेट 70 फीसद से ऊपर जाने पर सभी कोरोना वॉरियर्स को बधाई। कोरोना को हराने के लिए अभी हम सबको और मेहनत करनी है।
-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

गौतमबुद्धनगर के सीएमओ संक्रमित

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 4 जुलाई।

जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कोरोना संक्रमित हो गए है। वे कहां से संक्रमित हुए, इसके लिए उनके कार्यक्रमों के ब्यौरे खंगाले जा रहे हैं। उनमें आइएलआइ के लक्षण थे। कोविड-19 की टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पुष्ट आई है। उन्हें एकांतवास वॉर्ड में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नेपाल सिंह उनके स्थान पर कार्य करेंगे। प्रावधान के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को संक्रमणमुक्त कराया जा रहा है। बहरहाल, उनके संपर्क में आए लोगों को पृथक किया जा सकता है। हाल ही में कई आला अधिकारियों के साथ सीएमओ बैठकों में शामिल हुए थे।

किशोरों की एंटीजन जांच में 13 मिले संक्रमित, दूसरी जांच में राहत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 4 जुलाई।

कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले में गौतमबुद्धनगर समूचे उत्तर प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। इसी क्रम में अब फेज-2 स्थित बाल सुधार गृह में 13 पुष्ट मामले मिलने पर हड़कंप मच गया। इन सभी की एंटीजन जांच में रिपोर्ट पुष्ट शुक्रवार को मिली। जिसके बाद पुष्ट किशोरों की आरटीपीसीआर जांच कराई गई। इनमें आठ की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। शेष पांच की रिपोर्ट देर रात तक आने की उम्मीद है।

हालांकि एंटीजन जांच के बाद इन सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आई, उन्हें छुट्टी दे दी गई। जिला सर्विलांस अधिकारी के मुताबिक राजकीय संप्रेक्षण गृह में आवासित 162 संवासियों का आरटीपीसीआर, एंटीजन रेपिड जांच 2 जुलाई को कराई गई थी। 4 जुलाई को प्राप्त आरटीपीसीआर जांच में 120 की रिपोर्ट नकारात्मक मिली। एंटीजन जांच के बाद सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। बहरहाल इनके संपर्क में आए सभी को अलग स्थान पर रखा गया है और पुष्ट को भी अलग-अलग एकांतवास में रखा गया है।

जिला आचरण सुधार (प्रोबेशन) अधिकारी अतुल सोनी ने बताया कि शुक्रवार को बाल सुधार गृह में 162 बच्चों के अलावा 15 स्टाफ कर्मियों की जांच कराई गई। जिन 13 बच्चों में एंटीजन जांच में संक्रमित होने के परिणाम मिले हैं उनमें कुछ दिन पहले दो बच्चे बाहर से आए थे। इन दोनों का पुराना ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। हालांकि पुष्ट मिले सभी बच्चों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। यह एसिंप्लोमेटिक स्तर के हैं।

11 महीने की बच्ची बाल्टी में डूबी, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना इलाके के मंडावली में 11 महीने की बच्ची की पानी की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। बताया जा रहा है कि माता-पिता और मासूम बच्ची रात के समय सो रहे थे। इसी बीच मासूम बच्ची की आंख खुल गई और वह शौचालय जाने के लिए पास में रखी पानी की बाल्टी में गिर गई। पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। जब माता-पिता की आंख खुली तो बच्ची को पास में न पाकर वह परेशान हो गए। इधर उधर देखा तो बच्ची को पानी की बाल्टी में पाया तो वह हताश रह गए। बाल्टी से बच्ची को निकालकर देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिससे परिवार में मातम सा छा गया। यह जानकारी पुलिस को दी गई।

लौटी रौनक दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद दिल्ली हाट की दुकानें खुल गई हैं। बाजार में ग्राहकों के लिए तैयारी करते दुकानदार।

महिला को मारी टक्कर फिर रौंदा, लेकिन बची

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

मयूर विहार थाना क्षेत्र के चिल्ला में एक कार चालक ने महिला को टक्कर मार दी। महिला जब तक संभल पाती कार चालक ने भागने के चक्कर में उस पर वाहन चढ़ा दिया। हालांकि महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मयूर विहार स्थित चिल्ला गांव में शुक्रवार शाम एक कार ने महिला को टक्कर मार दी। महिला के गिरने के बाद आरोपी चालक मौके से भागने लगा। इस बीच उसने एक बार फिर से महिला को कार से रौंद दिया। घायल महिला का नाम हरजीत (50) है। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी चालक भानू को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी घटना मौके पर लगे कैमरे में कैद हो गई है। घटना के दौरान महिला सामान लेने बाजार जा रही थी।

वहीं, एक दूसरी घटना के तहत विक्की जीवन पार्क, सिरसपुर में परिवार के साथ रहते थे। शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे पुलिस को सूचना मिली कि सीएनजी पंप जीटीके रोड समयपुर में एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कुत्तों को खिलाने पर मारपीट, कई घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

रानी बाग थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की शुरुआत कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर हुई थी। इस मारपीट में एक गैर सरकारी संगठन के चार लोगों को चोट पहुंची है। वहीं, तीन स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। घटना की सूचना रात करीब साढ़े दस बजे पुलिस को मिली थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि बीती रात सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने कुत्तों को खाना खिलाते वक्त पहले तो कहासुनी की और फिर मारपीट करने लगे। इस हादसे में गैर सरकारी संस्थान के अयेशा प्रिस्टिना, विपिन, अभिषेक और दीपक को चोटें पहुंची, जिन्हें बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं, स्थानीय निवासी मनजीत सिंह वालिया, हरमेंदर सिंह और गुरप्रीत को चोटें पहुंचीं, जिनका भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

दंपति ने शादी के चार दिन बाद दी जान, मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 4 जुलाई।

थाना कविनगर क्षेत्र में शादी के चार दिन बाद नवविवाहित दंपति ने अपनी जान दे दी। दूल्हे ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की, वहीं दुल्हन ने फांसी लगा ली। मृतकों के पास से की सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटना के बाद दोनों के परिजनों में कोहराम मचा है।

आरके पुरम के रहने वाले विशाल (28) की शादी 30 जून को कैलाशपुरम में रहने वाली निशा के साथ हुई थी। शादी के दो दिन बाद विशाल ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। विशाल के अंतिम संस्कार के बाद निशा अपने मायके आ गई थी। शुक्रवार रात निशा ने भी फांसी लगा कर जान दे दी। गोविंदपुरम चौकी पुलिस के मुताबिक दोनों मृतकों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है। शादी परिजनों की मर्जी से हुई थी। आत्महत्या करने की तहकीकात की जा रही है।

पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारने वाले बदमाश गिरफ्तार

नोएडा। सेक्टर-133 स्थित पेट्रोल पंप कर्मी को लेनदेन के विवाद में गोली मारने वाले बदमाशों को थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस बदमाशों का आपराधिक ब्यौरा खंगाल रही है। (जसं)

नाले में रसायन बहाने पर 24 फर्मों को नोटिस जारी

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 4 जुलाई।

राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने औद्योगिक इकाइयों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट साहिबाबाद नाले में डाले जाने तथा नालों से खतरनाक रसायन बहाए जाने पर 24 फर्मों को नोटिस जारी किए गए हैं। लिंक रोड पर ढके गए नालों से अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोलिड वेस्ट, कार्बनिक वेस्ट तथा सीवरेज को बहाया जा रहा था। एनजीटी ने साहिबाबाद ड्रेन संख्या-1 को नैचुरल ड्रेन में विकसित कर औद्योगिक क्षेत्र में एसटीपी लगाया जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही नालों को अतिक्रमण मुक्त करने और 24 फर्मों को नोटिस में नाले के ऊपर डाले गए स्लैबों को हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है। ऐसा न होने पर निगम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और इस खर्च भी संबंधित फर्मों से वसूल किया जाएगा।

एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में नियुक्त तीन आइआइटी प्रोफेसरों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया है। निगम के मुख्य अभियंता की ओर से 24 फर्मों में मैसर्स मधुबन प्रापर्टीज, मैग्नम वैन्चर्स, अभिषेक एंटरप्राइजेज, शिवा स्कूटर एजेन्सी, भूषण स्टील, मैसर्स बीकानेर वाला फूड्स, वीआरएस फूड्स, मिरज मार्बल्स, सरल नेटवर्क सर्विसेज, कृष्णा एक्सपोर्ट्स, सुपर प्राईमा इंटरप्राईजेज, दिल्ली कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, साहिब आटोमोबाइल्स, आदि वेस्ट संसोर्टियम, सिंथेटिक हाउसिंग, एक्सप्रेस प्रापर्टीज, सबीता स्टील आदि को नोटिस जारी किया है।

कोरोना ने किया बेरोजगार तो करने लगे लूटपाट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

कोरोना महामारी ने लोगों का काम छीन लिया तो लोग अपराध करने में लग गए हैं। दिल्ली पुलिस के सामने आए मामलों में इस बात की तस्दीक होती है। शाहीन बाग थाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कैब चालकों को अपना निशाना बना रहा था। आरोपी कैब बुक कर उन्हें बुलाता और बहाने बनाकर उनका मोबाइल फोन या फिर उनसे नकदी लेकर फरार हो जाता। आरोपी की पहचान शाहरुख खान उर्फ समीर (24) के तौर पर हुई है। आरोपी ने बताया कि वह पहले एसी मैकेनिक का काम करता था। पर कोरोना महामारी की वजह से उसके पास अभी कोई काम नहीं था। इस कारण उसने ठगी करने की योजना बनाई। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बीती 21 जून और एक जुलाई को दो पीड़ितों ने एक जैसे मामलों की शिकायत दर्ज कराई थी।

वहीं, कोरोना संकट में चली गई नौकरी तो दो युवक लूटपाट और झपटमारी करने लगे। दोनों युवक फरीदाबाद से आकर दिल्ली में अपराध करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राहुल शर्मा (19 और मोहित कुमार (20) के तौर पर हुई है। इनसे लूटे गए एक मोबाइल फोन और वह मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपियों ने बताया कि कोरोना की वजह से जीवनयापन करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। नौकरी भी नहीं थी। इस कारण इन दोनों ने मिलकर अपराध की योजना बनाई।

दिल्ली सरकार कर रही है निर्माण | फंसा पेच | मयूर विहार फेज तीन से जोड़ने की योजना

जमीन अधिग्रहण में फंसी बारापूला फेज तीन परियोजना

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

पूर्वी दिल्ली से सीधे दक्षिणी दिल्ली तक चंद मिनटों के सफर के लिए अभी जनता को और इंतजार करना होगा। दिल्ली सरकार ने आम जनता की सहूलियत के लिए बारापुला प्रोजेक्ट 3 के तहत मयूर विहार फेज तीन से सराय काले खां तक जोड़ने की योजना तैयार की थी।

कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के विवाद ने प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। एक तरफ देशव्यापी बंद और दूसरी तरफ जमीन नहीं मिलने की वजह से प्रोजेक्ट अपनी निर्धारित तिथि के करीब ढाई साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार की नई डेडलाइन भी सितंबर 2020 में पूर्ण होने जा रही है।

इस कॉरिडोर के तैयार हो जाने के बाद लक्ष्मी नगर से आइटीओ रिंग रोड से दक्षिणी दिल्ली जाने वाले यातायात को बड़ी राहत होगी। अभी मयूर विहार की तरफ से रास्ता नहीं होने की वजह से चालकों को आइटीओ रिंग रोड या दूसरे मार्ग से रिंग रोड तक पहुंचना होता है। लेकिन जैसे ही यह कॉरिडोर शुरू होगा तो वाहनों के लिए सराय काले खां तक जाने के लिए दूरी कम हो जाएगी और कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे।

दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक कॉरिडोर के बीच आ रही निजी जमीन नहीं मिलने की वजह से ही इस कॉरिडोर में सबसे अधिक परेशानी आ रही है। इस कॉरिडोर के पूर्वी छोर व पश्चिमी छोर के हिस्सों पर लोक निर्माण विभाग काफी कार्य कर चुका है। यहां पर कॉरिडोर के लिए पीलर बनाए जा चुके हैं और मार्ग को जोड़ने के लिए पुल का एक हिस्सा भी तैयार हो चुका है। जो जमीन कॉरिडोर के बीच आ रही है। इस जमीन के मिलने के बाद भी आगे का कॉरिडोर बढ़ सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक पुल, एक लूप, फुटपाथ व साइकिल ट्रेक का निर्माण किया जा रहा है।

ADVERTORIAL

गुरु पूर्णिमा

सहज योग

सहज योग 50 Years स्वर्णजयंती (१९७०-२०२०)

परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी
सहज योग संस्थापिका
कुण्डलिनी जागरण द्वारा आत्म-साक्षात्कार दात्री

सहज योग अंतर्राष्ट्रीय • विश्व निर्मल धर्म •

एक सद्गुरु के गुण

गुरु आपको परमात्मा से मिलवाता है

सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह आपको परमात्मा से मिलवाता है, अर्थात् वह आपकी कुंडलिनी को जागृत करके आपका संबंध परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से स्थापित करवाता है। एक बार गुरु नानकजी से पूछा गया कि सच्चा गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा, ''साहब मिलिहें सो ही सद्गुरु''। अर्थात् जो आपको परमेश्वर से मिलाये वही सच्चा है। फिर उन्होंने इन गुरुओं को अगुरु और कुगुरु इत्यादि श्रेणियों में भी बाँटा है। सच्चा गुरु वही है जो आपको परमेश्वर से, दैवीय शक्ति से मिलाता है।

आप गुरु को खरीद नहीं सकते

एक सच्चे गुरु को एक माता की तरह अपने शिष्यों के कल्याण और धर्म-परायणता की पूरी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये। गुरु ही अपने शिष्य को ब्रह्मचैतन्य से जोड़ता है। आप उस को खरीद नहीं सकते। यदि आप किसी गुरु को खरीदते हैं तो वह आपका दास हो सकता है, लेकिन गुरु कभी नहीं हो सकता।

एक गुरु को एक उच्च कोटि का साक्षात्कारी और अत्यधिक विकसित होना चाहिये

गुरु को एक सच्चा गुरु होना चाहिये, न कि अपने शिष्यों का शोषण करनेवाला, परमात्मा से अनाधिकृत कोई व्यक्ति। मानवीय चेतना और परमेश्वरी चेतना के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसे केवल एक पूर्ण गुरु ही भर सकता है। आज पूर्णिमा का दिन है, और पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा। गुरु को एक संपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिये, जो अपने शिष्यों को परमेश्वरी विधानों के बारे में बता सके और उनकी समझ को उस स्तर तक ऊँचा उठा सके, कि वे उन विधानों को अपने अंदर समा सकें। वह इस अंतर को भरने के लिए है, और इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक गुरु एक उच्च कोटि का आत्म-साक्षात्कारी और विकसित व्यक्ति हो।

यह आवश्यक नहीं कि गुरु एक सन्यासी हो

यदि आप सभी गुरुओं के जीवन को देखेंगे तो पायेंगे कि वे सभी विवाहित थे, उनके बच्चे थे और वे सामान्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। फिर भी अपने व्यक्तिगत जीवन में वे एकदम निर्लिप्त थे। यह आवश्यक नहीं कि गुरु एक सन्यासी हो, न ही यह कि वह जंगलों में रहे। वह एक सामान्य गृहस्थ हो सकता है और एक राजा भी हो सकता है। जीवन की यह सभी बाहरी अभिव्यक्तियाँ कोई मायने नहीं रखतीं।

(परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन)

सभी गुरुओं और पैगंबरों ने आपसी प्रेम और शांति का ही संदेश दिया

''जब आप दैवी शक्ति के आयाम, यानि ब्रह्म में रहते हैं, तो वह आपकी देखभाल करती है।''
–राजा जनक

''मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे और आपके, तथा मेरे और आपके लोगों के बीच किसी भी तरह का संघर्ष या मनमुटाव नहीं होना चाहिये, क्यों कि हम सब तो भाई-भाई हैं।'' – अब्राहम

''दूसरों पर विजय प्राप्त करना बल है, लेकिन स्वयंपर विजय प्राप्त करना सच्ची शक्ति है।''
–लाओत्से

''सत्य का मार्ग ही एकमेव मार्ग है।''
–जराथुष्ट्र

''हर इंसान में भगवान को देखो।''
– शिरडी के साँईनाथ

''आज मैं आपको जो भी धर्मोपदेश दे रहा हूँ, आपको उनका अनुसरण करना पड़ेगा, ताकि आप शक्तिशाली बनें।''
–मोज़ेस

''जिस जीवन का निरीक्षण न किया गया हो, वह जीने लायक नहीं।''
– सुक्रात

''हमारी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने पर हर बार उठ जाने में है।''
–कन्फूशियस

''खुदा की रचना पर एक घंटे ध्यान करना, सत्तर वर्ष प्रार्थना करने से बेहतर है।''
–पैगम्बर मोहम्मद

''समस्त मानवता के बीच भाईचारा ही योगियों का सच्चा नियम है। अपने मन को जीतना ही सारे विश्व को जीतना है।''
– गुरु नानक

गुरु वही जो हमें प्रभु से मिलाये

सद्गुरु को परखने की ७ कसौटियाँ

सत्य-साधक परमात्मा को पाने के लिए और जीवन के संघर्षों से पार पाने के लिये सदैव सच्चे गुरु की खोज में रहते हैं, लेकिन कई बार इस प्रयास में वे झूठे गुरुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आजकल भारत में ऐसे झूठे गुरु खूब फल-फूल रहे हैं जो आपकी आस्था, रूपये-पैसे, स्वास्थ्य और विवेक, सब चौपट करने के लिए तैयार बैठे हैं। नीचे दी गईं ७ कसौटियों पर परख के आप स्वयं सत्य जान सकते हैं।

१) क्या कभी रूपया पैसा लिया जाता है? यदि रूपया-पैसा लिया जा रहा है तो अवश्य गोरख-धंधा है। सत्य न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है।

२) यदि किसी गुरु के शिष्य आपका एक सेल्समैन की तरह पीछा करते हैं और आपको शिष्य बनाने के पैसे लेते हैं तो समझ जाइये कि यह एक संगठित व्यापार है, सत्य-साधना का मार्ग नहीं।

३) उस गुरु के साथ आपको क्या अनुभव मिला? हर क्षणिक अनुभव दैवीय नहीं होता। कुछ दिखना या सुनाई देना, हवा में तैरना, भविष्यवाणियाँ, प्रभामंडल, मृतकों के साथ बातचीत इत्यादि करतब अत्यंत खतरनाक होते हैं।

४) यदि वह गुरु आध्यात्मिक मार्ग पर चलने हेतु आपको अपने परिवार और संपत्ति को त्यागने का निर्देश देता है, तो निश्चित रूपसे यह एक छलावा है। अतः ऐसे गुरु से सावधान हो जाइये।

५) क्या आपको अजीब से कपड़े पहनने के लिए, अजीब मुद्राओं में बैठने के लिए, सुबह-शाम मंत्र जाप के लिए, या कोई अँगूठी या आभूषणादि पहनने को कहा जाता है? आपको जान लेना चाहिये कि परमात्मा इन सब व्यर्थ की चीज़ों से परे हैं और उनके लिये, आपकी उनको प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा ही महत्व रखती है।

६) आपके क्या प्राप्त होता है? क्या आपके गुरु आपको सदाचारी बना पाते हैं? यदि वह एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं तो इसका अर्थ है कि वे धर्म के नाम पर केवल पाखंड कर रहे हैं।

७) यदि आपके गुरु आपको व्यभिचार, यौन स्वतंत्रता या कठोर सन्यास की ओर उन्मुख कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप गलत स्थान पर आ गये हैं, जहाँ पर ये झूठे गुरु और उनके एजेन्ट आपका शोषण करने के लिए तैयार हैं।

सत्य को प्राप्त करने के लिये आपको अनेकों शुभकामनायें।

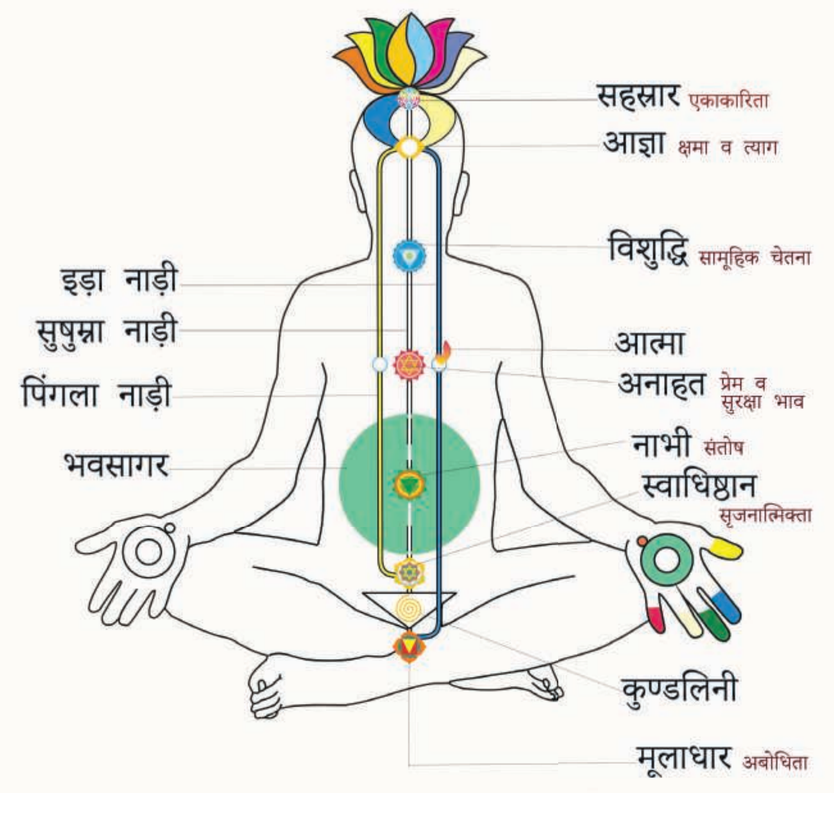

सहज योग विश्व को एक सूत्र में पिरोता है

अधिक जानकारी और अपना आत्म-साक्षात्कार पाने के लिए, निम्न सूत्रों का उपयोग करें–

www.sahajayoga.org
www.nirmaldham.org
www.sahajayogamumbai.org
www.sahajayoga.org.in
www.freemeditation.com
www.freemeditation.com.au
www.sahajayogaworld.org

विश्व भर के सहज योग संपर्क-सूत्रों के लिए

This is brought to you by **M B Ratnannavar** and **Team of Sahaja Yogis.** E-mail: mbratan@gmail.com

दूसरी नज़र

■ पी चिदंबरम

स्वतंत्रता का कानून से बचाव

यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसने कुछ गलत किया होगा। यदि किसी व्यक्ति को जमानत देने से इंकार कर दिया जाता है तो उसे दोषी होना चाहिए। अगर किसी को न्यायिक हिरासत (जो कि पुलिस हिरासत से अलग है) में भेजा जाता है तो वह कैद के साथ सजा का भागीदार होता है।

कुछ विराम यह बताने के लिए कि उपरोक्त हर निष्कर्ष *स्पष्ट रूप से गलत* है। यह हमारे अलंघनीय अधिकारों जिसे हम **स्वतंत्रता** कहते हैं, और स्वतंत्रता को कम करने के प्रति अनदेखी की हमारी निर्दयता है, जैसा कि अमेरिका के मिनेसोटा में जॉर्ज फ्लॉयड आंदोलन में देखने को मिला या भारत में तमिलनाडु में जयराज और फेनिक्स के मामले में देख रहे हैं।

भारत में हिरासत में होने वाली कथित यातनाओं के मामलों में जयराज और फेनिक्स का मामला कोई पहला नहीं है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने पश्चिम बंगाल के डी के बासु और उत्तर प्रदेश के ए के जौहरी के पत्रों पर *स्वतः संज्ञान* लिया था, जिनमें हिरासत में मौत की घटनाएं तेजी से बढ़ने की बात कही गई थी और 18 दिसंबर 1996 को *(डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997),1 एससी 436)* को ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले की कई बार पुष्टि हुई और इसका समर्थन किया गया, फिर भी दुखद है कि चौबीस साल बाद भी कुछ नहीं बदला।

कई तरह की पुलिस

जब राज्य किसी अन्य व्यक्ति के मामले में कार्रवाई करता है तो आमतौर पर व्यक्ति को राज्य में पूरा भरोसा होता है और वह यह मानने के लिए तैयार रहता है कि एक पुलिस अधिकारी, एक अभियोजक, एक मजिस्ट्रेट, एक जज या डॉक्टर हमेशा कानून सम्मत काम करेगा। पर वह गलत है। लार्ड डेनिंग ने इस बारे कहा है–

'कोई भी यह नहीं मान सकता कि कार्यपालिका कभी भी ऐसे पाप की दोषी नहीं होगी, जो कि हम सबके बीच सामान्य सी बात है। आपको लग सकता है कि कई बार वे ऐसे काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, और ऐसे काम नहीं करेंगे जो उन्हें करने चाहिए।'

हिरासत में यातना की शुरुआत हिरासत में ले लिए जाने के बाद नहीं होती, इसके बीज तो पहले से ही पड़ जाते हैं, जिन्हें गिरफ्तारी, जमानत से इनकार, पुलिस हिरासत की इजाजत और न्यायिक हिरासत में रिमांड जैसे स्तरों पर देखा जा सकता है। हर स्तर पर कानून एकदम स्पष्ट है, लेकिन इस पर अमल अक्सर गलत और विकृत होता है।

हम गिरफ्तारी से शुरुआत करते हैं। *डी के बासु* मामले में अदालत ने कहा था कि नियमित पुलिस के अलावा भी हमने गिरफ्तारी का अधिकार दूसरे प्राधिकारों को दे रखा है, जैसे सीबीआइ, प्रवर्तन निदेशालय, सीआइडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, यातायात पुलिस, आयकर अधिकारी आदि। इनमें से कुछ का दावा है कि वे 'पुलिस' नहीं हैं और आपराधिक आचार संहिता से नहीं बंधे हैं। उदाहरण के लिए, प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि वह 'केस डायरी' रखने के लिए बाध्य नहीं है। बदतर तो यह है कि हमने गिरफ्तारी के लिए विशिष्ट स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (तीसरी रिपोर्ट) ने पाया था कि कुल गिरफ्तारियों में से साठ फीसद 'अनावश्यक' थीं। रिपोर्ट में जिन दिशानिर्देशों की सिफारिश की गई थी, उनका हवाला देते हुए जजों ने फटकार लगाई थी और कहा था– 'पुलिस आयोग की सिफारिशें वैयक्तिक स्वतंत्रता और आजादी के मौलिक अधिकार की संवैधानिक सहवर्तिता को प्रतिबिंबित करती है। हालांकि इन सिफारिशों को अभी तक कोई वैधानिक दर्जा नहीं मिला है।'

गिरफ्तारी और रिमांड

पहला सुधार कई प्राधिकारों को दी गई गिरफ्तार करने की शक्ति को खत्म करने का है। दूसरा यह घोषित किया जाए कि कोई भी अधिकारी जिसे गिरफ्तार करने की शक्ति हासिल हो, वह एक 'पुलिस' अधिकारी हो। तीसरा यह कि विशिष्ट परिस्थितियों में गिरफ्तार करने के अधिकार को सीमित किया जाए। याद रहे, जयराज और फेनिक्स को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने पूर्णबंदी में नियत समय से पंद्रह मिनट ज्यादा अपनी दुकान खोले रखी थी!

दूसरा स्तर पेशी और रिमांड का है। कोई भी मजिस्ट्रेट या जिला जज यह सोचे बिना पुलिस हिरासत नहीं देगा कि इसकी जरूरत है या नहीं। पुलिस हिरासत खत्म (जो अधिकतम पंद्रह दिन की होती है) होते समय मजिस्ट्रेट / जिला जज गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजेगा। कानून बिल्कुल अलग है। *मनुभाई रतिलाल पटेल (2013) 1 एससीसी 314,* में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था–'..मजिस्ट्रेट तथ्यात्मक परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या पुलिस हिरासत के लिए कोई वाजिब कारण है, या न्यायिक रिमांड के लिए न्यायोचित कारण है या कुल मिला कर कहीं रिमांड की कोई जरूरत नहीं है।' शायद ही कोई मजिस्ट्रेट या जिला जज होगा जो इन रेखांकित शब्दों का खयाल रखता होगा।

तीसरा स्तर गिरफ्तार या रिमांड पर लिए गए व्यक्ति की डाक्टरी जांच है। यदि जयराज और फेनिक्स की चिकित्सक द्वारा उचित जांच कराई गई होती तो उन्हें कैसे स्वस्थ्य होने का प्रमाणपत्र दिया गया होता।

अपवाद बनते नियम

चौथा स्तर जमानत का है। कम से कम पहली या दूसरी सुनवाई में तो कुछ मजिस्ट्रेट / जिला जज जमानत के लिए अभियोजक के विरोध को खारिज कर देंगे। विचाराधीन कैदियों से जेलें भरी पड़ी हैं, जबकि कानून के मुताबिक ऐसे कैदियों को जमानत पर होना चाहिए। *बालचंद (1977) 4 एससीसी 308* में कृष्णा अय्यर जे ने यह फैसला दिया था। तब से जमानत नियम है, जेल अपवाद है, यह एक पवित्र सिद्धांत बन कर गया है। हालांकि कम ही मजिस्ट्रेट / जिला जजों ने इसे लागू किया, वे अपवाद को ही लागू करने में खुश हैं। जयराज और फेनिक्स मामले में कथित तुच्छ अपराध के लिए उन्हें पुलिस या न्यायिक हिरासत के लिए रिमांड नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें पेशी पर जमानत दे दी जानी चाहिए थी।

यह बहुत ही निराशाजनक है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता से संबंधित कानून सिद्धांत में कुछ है और व्यवहार में कुछ। शुक्र है कि अब चीजें बदल रही हैं। हाल में *सुशीला अग्रवाल (29 जनवरी 2020)* मामले में संवैधानिक पीठ ने *गुरबक्श सिंह सिब्बिया (1980) 2 एससी 565* मामले में दिए गए संवैधानिक पीठ के फैसले को बनाए रखा और साहसपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के *आठ* फैसलों को पलट दिया और इसे 'एक बुरा कानून' घोषित कर दिया। गलती इंसान करता है और उस गलती को सुधारना न्याय है। जयराज और फेनिक्स की तरह मरने से पहले जो लोग अपने को उस हालत में पाते हैं, उनके लिए अभी भी एक उम्मीद है।

लोकतंत्र में तानाशाही

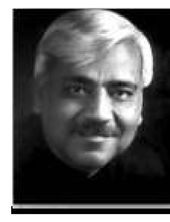

तीरंदाज

■ अश्विनी भटनागर

समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तावादी और तानाशाही नेतृत्व को लेकर पांच साल पहले पेरिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेर्गेई गुरिएव और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डेनियल ट्रेसमान ने एक अत्यंत रोचक अध्ययन किया था। अध्ययन का शीर्षक था 'हाउ मॉडर्न डिक्टेटर्स सर्वाइव : ऐन इन्फॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ द न्यू ऑथॉरिटारियनिज्म'। पॉलिटिकल साइंस के इन दोनों विद्वानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व का शोध किया और अपना ध्यान उन नेताओं पर केंद्रित किया, जो अपने कार्यकाल में सत्तावादी और तानाशाही प्रवृत्ति प्रदर्शित करते रहे थे। इन नेताओ में कुछ का तो तख्ता पलट हो गया, पर जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए या सत्ता पर उसके बाद भी काबिज रहे, उन सबमें शोधकर्ताओं को एक बड़ी समानता मिली थी।

शोध के अनुसार लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही प्रवृत्ति वाले हर नेतृत्व ने सिर्फ एक मूल मंत्र अपनाया है– अपनी सक्षमता की लगातार घोषणा करना। शोधकर्ताओं का कहना है कि 'लोकतांत्रिक' डिक्टेटर कुर्सी पर काबिज सिर्फ बल या विचारधारा से नहीं होते हैं, बल्कि वे सत्ता हथियाने के लिए अपने को औरों से अधिक सक्षम प्रमाणित करने का भरसक प्रयास करते हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वे वास्तव में कितने सक्षम हैं। मतलब सिर्फ इस प्रसार से होता है कि उनके सरीखा कंपीटेंट (सक्षम) व्यक्ति कोई और नहीं है।

'तानाशाहों' के लिए विचारधारा का ज्यादा उपयोग नहीं होता और न ही उससे उनकी कोई विशेष प्रतिबद्धता होती है। शुरुआती दौर में वे विचारधारा का सीमित उपयोग जनता का ध्यान खींचने के लिए करते हैं और फिर उसके सहारे अपनी प्रबल सक्षमता के दावों का अंबार लगा देते हैं। सक्षमता के केंद्र बिंदु होते हैं– अवाम को बेहतर जिंदगी देने की उनकी काबिलियत और बाहरी खतरों से देश और लोगों को सुरक्षित रखने का उनका अजीम हौसला। 'तानाशाह' इन बिंदुओं पर लगातार और तरह–तरह से पैंतरेबाजी करके लोगों को विश्वास दिलाता रहता है कि अगर वह नहीं रहेगा तो प्रलय आ जाएगी।

शोधकर्ताओं का कहना है कि तानाशाह की कथित क्षमता निर्धारित करती है कि वह कितनी लंबी पारी खेलेगा। जितना ज्यादा वह सक्षम होने के दावों से लोगों को प्रभावित करने में सफल होगा उतना ही उसका कार्यकाल चलेगा। दावों पर पूछताछ न हो, इसके लिए तानाशाह सरकारी प्रचार–प्रसार के तंत्र पर ज्यादा से ज्यादा संसाधन लगाता है। साथ ही वह स्वतंत्र मीडिया पर सेंसरशिप किसी न किसी रूप से लगाता है, समाज के अभिजात वर्ग को अपने दावों के साथ जोड़ने के लिए उसको प्रलोभन देता है और चुनिंदा स्थितियों में बाकी वर्गों को सबक देने के लिए पुलिस आदि का दमनकारी प्रयोग करता है। स्टेट प्रोपोगंडा, सेंसरशिप और अभिजात वर्ग की स्वीकृति– प्रत्यक्ष या परोक्ष– तीन अहम पाए हैं, जिन पर सत्तावादी की कुर्सी टिकी होती है। चौथा पाया दावों का मूसल है।

अध्ययन के अनुसार बीसवीं शताब्दी में हिटलर, स्टालिन, माओ, पोलपोट, स्पेन के फ्रांको, चिले के पिनोशो या फिर अफ्रीका के कई और तानाशाह हिंसा और आक्रामक विचारधारा के बूते पर अपने देश पर शिंकजा कस लिया करते थे। फासिज्म और कम्युनिज्म के नाम पर जर्मनी, रूस और चीन ने व्यापक स्तर पर दमन देखा है। पर इक्कीसवीं शताब्दी के आते–आते तक बड़े पैमाने पर हिंसा का प्रयोग कम होता गया है। हाल के दशकों में लोकतांत्रिक तानाशाहों ने अपने को वैश्विक मीडिया और नई तकनीक के अनुसार ढाल लिया है। अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए अनुदार सरकारों ने पुलिसिया आतंक को बहुत हद तक त्याग दिया है। पुलिस व्यवस्था अब भी है, पर वर्दी को अदृश्य कर दिया गया है। उसकी जगह टेक्नोलॉजी को लाया गया है, जिससे लोक–विचार और आचरण को समुचित रूप से नियंत्रित रखा जा सके।

अध्ययन के अनुसार समकालीन सत्तावादी सरकारें लोकतंत्र का जामा ओढ़ कर ऐसी तरकीब से चुनाव कराती हैं, जिसमें उनकी जीत निश्चित होती है। वे स्वतंत्र प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाती हैं, बल्कि उस पर अपना प्रभाव भय और लालच दिखा कर बनाती हैं। जहां तक विचारधरा का संबंध है, तो किसी विशिष्ट विचार की जगह वे अज्ञात शत्रु से जनता को जूझने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें देश को बाहर से खतरा, किसी धर्म या नस्ल से खतरा आदि जैसे मुद्दे विशेषकर उठाए जाते हैं। इनसे निपटने के लिए लोकतांत्रिक तानाशाह अपने को सबसे अधिक सक्षम बताता है।

> हाल के दशकों में लोकतांत्रिक तानाशाहों ने अपने को वैश्विक मीडिया और नई तकनीक के अनुसार ढाल लिया है। अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए अनुदार सरकारों ने पुलिसिया आतंक को बहुत हद तक त्याग दिया है। पुलिस व्यवस्था अब भी है, पर वर्दी को अदृश्य कर दिया गया है। उसकी जगह टेक्नोलॉजी को लाया गया है, जिससे लोक–विचार और आचरण को समुचित रूप से नियंत्रित रखा जा सके।

प्रोपेगंडा के माध्यम से वह अपनी सक्षमता के बयान, किस्से और कहानियां प्रसारित करता है। दूसरे शब्दों में,अपने अलोकतांत्रिक शासन कोपरफारमेंस लेजिटिमेसी या कार्यवैधता का औचित्य प्रधान करने की भरपूर कोशिश करता है। इन सरकारों का लोकहित उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उनक पूरा जोर इस बात पर होता है कि नेतृत्व की क्षमता का डंका बजता रहे। क्षमता का भरम लोकमानस में गहराता जाए। समकालीन नेतृत्व टीवी पर अपनी रेटिंग को इसीलिए बहुत गंभीरता से लेता है और उनको संभालने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करता है।

अध्ययन की रोचक बात यह है कि लगभग सभी नेता अपनी सक्षमता साबित करने के लिए सूचना प्रवाह को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। सूचना आज नशा हो गई है। इसकी उपलब्धि अगर कुछ देर के लिए भी बाधित हो जाए, तो लोग बिलबिला उठते हैं। समकालीन तानाशाह ने लोगों की दुखती रग को पकड़ लिया है और वह इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठा रहा है। अपनी सक्षमता की सूचनाएं, वास्तव और काल्पनिक, वह व्यापक सूचना प्रवाह में इस तरह से जोड़ता जाता है जिससे उनके बारे में सुनने और देखने की लोगों को लत पड़ जाए। लगातार चर्चा अपने पर केंद्रित करके और विपक्ष को लाचार और अक्षम बता कर तानाशाह बिना व्यापक हिंसा किए औरों को समाप्त कर देने की पुरजोर कोशिश करता है। निज विज्ञापन का शोर, जिसमें दूसरे के बोल डूब जाए समकालीन परोक्ष हिंसा की रणनीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

कार्ल मार्क्स ने सालों पहले कहा था कि धर्म जनसाधारण की अफीम है। इक्कीसवीं शताब्दी में यह अफीम सूचना प्रवाह बन गई है और जैसे विगत वर्षों में तानाशाह धर्म का उपयोग अपनी सक्षमता सिद्ध करने के लिए करते थे उसी तरह समकालीन शासक सूचना प्रवाह का उपयोग कर रहे हैं। दोनों का नशा बहुत तेज है, विशेषकर सूचना की तलब तो सिर चढ़ कर बोलती है। लोकतांत्रिक रूप से अयोग्य शासक के लिए इस तलब को बढ़ाते रहना बेहद उपयोगी है।

जो सवालों से डरते हैं

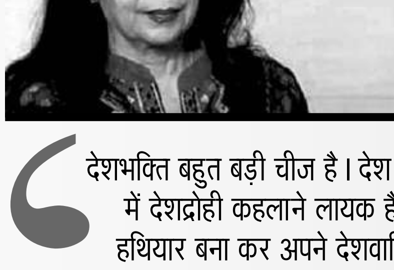

वक़्त की नब्ज़

■ तवलीन सिंह

नरेंद्र मोदी के दौर में देशभक्ति का मतलब बदल गया है। परिवर्तन यह आया है कि जो फासले हुआ करते थे देश और सरकार शब्दों के मतलब के बीच, वे धीरे–धीरे इतने कम हो गए हैं कि जब भी सरकार पर कोई संकट आया है, उसकी अपनी गलत नीतियों के कारण और इन नीतियों की आलोचना हुई है, तो देशभक्ति का हवाला देकर आलोचकों के मुंह बंद कर दिए गए हैं। जो लोग थोड़ी हिम्मत दिखा कर आलोचना की जिद ठान लेते हैं, उनके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई जाती है, जिसका नेतृत्व करते हैं मोदी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इस मुहिम में प्यादे बनते हैं सोशल मीडिया पर मोदी के लाखों समर्थक।

यह साल गंभीर संकटों से भरा रहा है मोदी के लिए, कुछ उनकी अपनी गलतियों के कारण, कुछ चीन से आई इस महामारी के कारण और हाल में चीन के हमलों के कारण। साल के पहले दो महीनों में नागरिकता कानून में संशोधन के विरोध में मुसलमान हमारे शहरों की सड़कों पर उतर आए थे। दिल्ली के जामिया मिल्लिया में जब विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस ने छात्रों के साथ ज्यादतियां की, तो शाहीनबाग में मुसलिम महिलाओं का धरना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री अगर शाहीनबाग में अपने गृहमंत्री को भेज कर इन औरतों से बातचीत की कोशिश करते, तो मुमकिन है कि उनका आंदोलन इतना लंबा न चलता। पर शायद इसलिए कि दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, जिसमें गृहमंत्री का इरादा था शाहीनबाग के जरिए हिंदू–मुसलिम नफरत फैलाने का, मुसलिम महिलाओं के इस प्रदर्शन को रोका नहीं गया। दिल्ली चुनावों के बाद नफरत फैलती रही और हिंदू–मुसलिम दंगे दशकों बाद हुए देश की राजधानी में। जब मेरे जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा हुआ मोदी सरकर की गलत नीतियों के कारण, तो हमको गद्दार कहा गया। देशभक्त उन्ही को माना गया, जिन्होंने शाहीनबाग को 'छोटा पाकिस्तान' कहा।

हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव चरम सीमा पर था, जब कोविड–19 ने देश में कदम रखा। सो, इस महामारी का दोष भी शुरू में मुसलमानों पर डालने की कोशिश हुई। एक बार फिर देशभक्ति का हवाला देकर अफवाहें फैलाई गईं देश भर में कि तबलीगी जमात के सम्मेलन में आए मुसलमानों ने अस्पतालों में जानबूझ कर थूक कर महामारी को फैलाया है। अब जब सारे देश में फैल चुकी है महामारी, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। लेकिन प्रवासी मजदूरों के हाल पर कोई कुछ कहता या ध्यान दिलाता है कि पूर्णबंदी घोषित करने से पहले इनके बारे में ध्यान नहीं दिया गया, तो उस पर देशद्रोही का आरोप चिपकाया जाता है। जब बरखा दत्त ने उनकी दर्द भरी कहानियां उनके साथ पैदल चल कर दुनिया के सामने रखी, तो उसको खूब बदनाम किया मोदी के समर्थकों ने। सोशल मीडिया पर उसको 'बक–बक बरखा' कह कर जलील किया गया, देशद्रोही कहा गया।

> देशभक्ति बहुत बड़ी चीज है। देश से प्यार जिसको नहीं है, वह वास्तव में देशद्रोही कहलाने लायक है। लेकिन जब देशभक्ति को हथियार बना कर अपने देशवासियों पर इस्तेमाल किया जाता है, तो देशभक्ति न रह कर वह जुल्म बन जाती है।

महामारी से जूझ रहा था देश कि लद्दाख में चीन ने हमारी सरजमीन पर अपने सैनिकों को भेजना शुरू किया। जब हमारे बहादुर जवानों ने इस घुसपैठ को रोकने कि कोशिश की, तो उन्होंने ऐसा बर्बर हमला किया जैसे ठग और गुंडे करते हैं, सेना के सिपाही नहीं। गलवान घाटी में हुए इस बर्बर हमले की निंदा सारी दुनिया में हुई है, लेकिन अगर विपक्ष का कोई राजनेता या मीडिया का कोई व्यक्ति सवाल पूछने की हिम्मत दिखाता है, तो उस पर फौरन गद्दारी का आरोप लग जाता है। देशभक्ति की चादर में ढकने की कोशिश उस कड़वे सच को अब हो रही है कि गलवान घाटी में आज भी चीन अपनी आक्रामक हरकतें कर रहा है और कई जगहों पर ऐसा हो रहा है उन क्षेत्रों में, जिन्हें हम अपना मानते हैं।

देशभक्ति बहुत बड़ी चीज है। देश से प्यार जिसको नहीं है, वह वास्तव में देशद्रोही कहलाने लायक है। लेकिन जब देशभक्ति को हथियार बना कर अपने देशवासियों पर इस्तेमाल किया जाता है, तो देशभक्ति न रह कर वह जुल्म बन जाती है। ऐसा कुछ ज्यादा ही होने लगा है नरेंद्र मोदी के राज में। सो, जब बजाज ऑटो के मालिक राजीव बजाज ने ध्यान दिलाया कि पूर्ण बंदी अगर इसी तरह चलती रही, तो लोग बीमारी से नहीं भूख से मरने लगेंगे, तो सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक उनके बारे में भी अनाप–शनाप बातें करने लगे। देशद्रोही का इल्जाम नहीं लगा है अभी तक, लेकिन इशारा यही है कि वे देश के भले के लिए नहीं बोल रहे हैं।

सच तो यह है कि जो लोग संकट के समय सवाल करने की हिम्मत दिखाते हैं, वही असली देशभक्त हैं। जो ध्यान दिला रहे हैं आर्थिक संकट की तरफ, वे देश की सेवा कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूरों के हाल की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, वे असली देशभक्त हैं। चीन के साथ तकरीबन युद्ध की इस स्थिति में जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने सवाल पूछे प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने देशभक्ति के कारण पूछे थे। समस्या यह है कि मोदी की इस 'न्यू इंडिया' में देशभक्ति का मतलब इतना बदल गया है कि ऐसा लगने लगा है कि देशभक्त सिर्फ उनको कहा जाएगा, जो सरकार की न नीतियों की आलोचना करते हैं और न किसी गलती की निंदा।

इस साल इतने संकट आए हैं देश के सामने कि प्रधानमंत्री अकेले उनका समाधान नहीं ढूंढ़ पाएंगे। यह ऐसा समय है जब उनकी असली मदद कर सकते हैं वही लोग, जिनको उनके समर्थक और प्रशंसक देशद्रोही कहते फिर रहे हैं। मोदी मोह में इतने अंधे हैं ये लोग कि यह भी नहीं देख पा रहे हैं कि सरकार की आलोचना और देश की आलोचना में बहुत अंतर है। सरकार सरकार है, देश नहीं।

भई गति सांप छछुंदर केरी

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

आजकल जिसे देखो वही बंदा हमें डराने बैठ जाता है। एक शाम एक चैनल पर डब्लूएचओ के टेडरॉस आकर चेता गए कि 'सबसे बुरा वक्त अभी आना है। लोग इस चेतावनी को हल्के में न लें।'

सर जी! कभी तो शुभ शुभ बोला करो। जब जब आते हो, डरा के चले जाते हो!

ऐसे में हमें बाबा रामदेव से उम्मीद थी कि कोई ऐसा आसन दिखाएंगे कि सारे डर फुर्र हो जाएंगे, लेकिन अपने किशोर सुलभ उत्साह में वे भी कुछ 'हाई' हो गए और कह बैठे कि हमने कोरोनिल नाम से कोरोना की दवा बना ली है, जो शत प्रतिशत ठीक करती है...

फिर क्या था? वे फार्मा कंपनियों का निशाना बन गए, और सारे चैनल आयुर्वेद को ठोकने लग गए।

एक चैनल ने एक स्वीडिश समेत तीन मेडिकल वाले बुलाए। इनमें सबसे तीखा स्वीडिश ही बोलीं कि बिना परीक्षण वाले ऐसे 'मनगढ़ंत मिश्रणों' को दवा के रूप में देकर मरीजों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। आयुर्वेद एक विचार भी है... और ये इम्युनिटी बढ़ाने वाले नुस्खे भी इम्युनिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके प्रतिवाद में सिर्फ एक आयुर्वेद वाले ने स्वीडिश को टोका कि ये बताइए कि 'क्लोरोक्विन' को पहले इंग्लैंड ने दिया, फिर बंद कर दिया और फिर से देने लगे, जबकि कोरोना की दवा के रूप में उसके भी परीक्षण नहीं हुए। ऐसा क्यों?

इस 'क्यों' का जवाब तो नहीं आया, अलबत्ता बहस खत्म होते ही उसी चैनल पर एक आयुर्वेदिक कंपनी के इम्युनिटी बढ़ाने वाले ब्रांडों के विज्ञापन बरसने लगे। है न चैनलों की धंधेखोरी कि एक क्षण पहले इम्युनिटी वाले नुस्खों पर हमला कराया और अगले ही क्षण उनको बेचने निकल पड़े!

बहरहाल, सप्ताह की सबसे मजेदार कहानी चीनी तंबुओं की गिनती की रही। एंकर जन अपनी–अपनी सेटेलाइट और अपने–अपने तंबुओं को दिखाते रहे और नक्शों को ऐसे समझाते रहे, मानो पहुंचे हुए 'कार्टोग्राफर' हों!

जो एंकर कल तक कहता रहा कि विवादित जगह पर अब एक भी तंबू नहीं है, वही कहने लगा कि चीनी तंबू नहीं हटे हैं, बल्कि और बढ़ गए हैं। मगर, वाह रे एंकर! इतनी बड़ी पलटी और चेहरे पर एक शिकन तक नहीं! यानी 'या बेशर्मी तेरा ही आसरा!'

सिर्फ दो चैनल सतत रहे कि तंबू कहीं नहीं गए, बल्कि उनकी संख्या बढ़ गई है। ये देखिए, अब पेगोंग में चीन का नया जमावड़ा। ये देखिए, चीनी टैंक, तोपें, गाड़ियां, बुलडोजर...

एक शाम पीएम ने देश के साठ करोड़ गरीबों के लिए, नवंबर महीने तक, हर महीने पांच किलो गेहूं, पांच किलो चावल, एक किलो चना देने का ऐलान किया और साथ ही 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का ऐलान किया, तो विपक्ष कुछ हिला, लेकिन ममता दीदी ने पीएम के ऐलान से भी आगे बढ़ कर कहा कि वे अगले बरस के जून तक गरीबों को राशन मुफ्त देंगी।

> इसी बीच बहुत–सी चीनी परियोजनाएं और ठेके बंद करने की खबरें आने लगीं। फिर एक दिन सरकार ने चीन के 'टिकटॉक' समेत उनसठ ऐप प्रतिबंधित कर दिए। फिर पीएमओ ने वीबो का खाता बंद कर दिया!

चुनाव चिंतक बोले कि सब चुनाव का चक्कर है, तो दूसरे बोले कि बिहार में भी तो चुनाव हैं!

फिर, एक दिन 'आत्मनिर्भरता' का नारा आया और देशभक्त चैनलों ने 'चीन के बायकाट' की लाइन पेल दी। चैनलों ने 'बायकाट' का इतना शोर मचाया कि लगा कि अब आया चीनी ऊंट पहाड़ के नीचे!

इसी बीच बहुत–सी चीनी परियोजनाएं और ठेके बंद करने की खबरें आने लगीं। फिर एक दिन सरकार ने चीन के 'टिकटॉक' समेत उनसठ ऐप प्रतिबंधित कर दिए। फिर पीएमओ ने वीबो का खाता बंद कर दिया!

लेकिन एक चैनल में एक विशेषज्ञ ने कहा कि हमारे यहां इक्यासी फीसद मोबाइल सेट चीन के बने हैं। उनसे भी तो हमारी जासूसी की जाती होगी। उनका बायकाट कैसे करेंगे? क्या उतने सस्ते फोन हैं आपके पास?

बायकाट की ऐसी चर्चाओं से समझ में आया कि चीन हमारे अंदर कहां–कहां तो घुसा हुआ है?

क्या–क्या बायकाट करेंगे? ऐसे में बायकाट करते–करते हमारी दशा कहीं 'भइ गति सांप छछुंदर केरी' वाली न हो जाय!

ऐसी ही एक 'बायकाटवादी' बहस से ज्ञात हुआ कि सरकार की लाइन है कि बैन भले करो, लेकिन बहुत गाल न बजाओ! लेकिन अपने एंकर, जिनका गाल बजाने से ही पेट भरता है, गाल कैसे न बजाएं?

ऐसी ही एक गालबजाऊ बहस में जब एक साइबर विशेषज्ञ बताने लगा कि दिल्ली में जिस 'हिकविजन' के जो सीसीटीवी लगे हैं, वह एक चीनी कंपनी है, जिसका सरगना सीपीसी का नेता है। इनके जरिए चीन घर बैठे देख सकता है कि पीएम कब दफ्तर आते हैं, कब जाते हैं। हम उसकी निगरानी में हैं। यह हमारी सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है और अफसोस, हमारी सरकार इस स्थिति के लिए एकदम तैयार नहीं है...

जवाब में अक्सर शिष्ट रहने वाले एक भाजपा प्रवक्ता ने साइबर विशेषज्ञ के इस 'पैरानोइया' से असहमति जताते हुए कहा कि वे साइबर विशेषज्ञ तो नहीं, फिर भी एक नेता की तरह बात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने उस 'एंग्री यंग साइबर एक्सपर्ट' पर चुटकी ली कि क्या इस साइबर एक्सपर्ट के कोई व्यावसायिक हित हैं, कि हर तरफ चीन का खतरा देखता है... फिर क्या था, सारी बहस तू–तू मैं–मैं में बदल गई!

बहस के बीच बैठे चीन के 'इनार तांजेन' ने तुरंत रूडी को सही ठहराया और अमेरिकी कंपनियों के चीन विरोधी प्रचार की ओर इशारा किया!

यारो! जब आप स्वयं चीनियों को अपने चैनलों में आदरणीय मेहमान की तरह बिठाओगे, तो फिर क्या तो छिपना, क्या छिपाना? जिसे 'दुश्मन' कहते हो, उसे ही बाप बना कर अपनी बगल में बिठाते हो! क्यों?

अपने जनतंत्र में अपने चैनल गोपनीय से गोपनीय मुद्दे तक को तो चैराहे पर लाकर फोड़ते हैं, तो क्या तो गोपनीय रहता है, क्या अगोपनीय?

प्राणोजस क्रिया

योग दर्शन

डॉ. वरुण वीर

आधुनिक समाज में पूरा जीवन उस सड़क पर दौड़ता जा रहा है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है। असंयमित भोजन, असंयमित नींद, काम का अत्यधिक दबाव, दांपत्य जीवन में कलह, असंतोषी जीवन, कम समय में बहुत कुछ पाने की लालसा, यहां तक कि शरीर-प्राण-मन सब रोगी हो चुके हैं लेकिन फिर भी सुख को पाने की दौड़ जारी है। ऐसे में सवाल है कि सुख क्या है और कैसे मिलेगा? शरीर को सुखी बनाने के लिए मनुष्य ने सभी साधन तो जुटा लिए हैं लेकिन वह उन साधनों को भोगने के बाद भी हमेशा रोग और मानसिक तनाव में ही डूबा रहता है।

यह मानसिक तनाव कामकाजी स्त्री-पुरुष को ही नहीं, स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों व बुजुर्गों को भी हो रहा है। इस अस्त-व्यस्त जीवन ने हमारे स्नायु तंत्र तथा प्रतिरोधक प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को कमजोर कर दिया है। आज हम देख रहे हैं कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, वही करोना या अन्य बीमारियों की चपेट में अधिक आ रहा है। यहां तक कि अपने जीवन को भी खो बैठता है।

प्राणोजस क्रिया

प्राणोजस क्रिया प्राण की एक प्रक्रिया है जिसको प्रतिदिन आठ से दस मिनट करने से प्रतिरोधक प्रणाली को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से जो हम प्राणशक्ति (लाइफ एनर्जी) लेते हैं, उसको अधिक से अधिक अपने शरीर के भीतर भरकर शरीर के प्रत्येक अंग, यहां तक कि प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने से हमारा स्नायु तंत्र सुदृढ़ बनता है। प्राणोजस क्रिया, मुद्राओं तथा बंध का प्रयोग एवं पूर्ण विश्राम के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करना सरल है।

प्राणोजस क्रिया शरीर में प्राणशक्ति को बढ़ाकर शरीर के प्रत्येक अंग को नई ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के अंदर जो भी दूषित मानसिकता और भावनात्मक अशुद्धि है, वह उसे निकालकर रिक्त स्थान पैदा करती है। रिक्त स्थान पैदा होने के बाद प्राणोजस क्रिया के द्वारा शरीर में गहराई तक 'ओज' (लाइफ एनर्जी) दौड़ने लगती है। यह क्रिया करने के बाद शरीर, प्राण तथा मन में संतुलन स्थापित होता है। मन को गहरी शांति का आनंद मिलता है।

प्राणोजस क्रिया में बंधों का प्रयोग

इस क्रिया की एक स्थिति में तीनों बंध का तथा एक स्थिति में दो बंध का प्रयोग किया जाता है। बंध तीन प्रकार के हैं- मूल बंध जालंधर बंध और उड्डियान बंध।

मूल बंध : गुदाद्वार का संकुचन कर उसे नाभि की ओर खींचना और यथाशक्ति रोककर रखना। यह बंध करते समय कई बार साधक जांघों और नितंब की मांसपेशियों का भी संकुचन कर लेता है जो कि नहीं करना है। केवल गुदाद्वार का संकुचन कर ऊपर की ओर खींचना है अथात गुदाद्वार को बंद कर ऊपर की ओर खींचना है।

जालंधर बंध : कमर सीधी रखते हुए सिर को नीचे की ओर झुकाना है और ठोड़ी को छाती से लगा देना है अर्थात गर्दन को आगे झुका कर विशुद्धि चक्र को दबाना है, जिससे कि सांस न अंदर जाए, न बाहर आए।

उड्डियान बंध : इसमें सांस पूरी तरह से बाहर निकाल कर पेट अंदर खींच लेना होता है और इतना खींचे कि साधक की पसलियां दिखने लगे। पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन या सुखासन में इस क्रिया को करने से अधिक लाभ मिलता है। कुर्सी पर बैठकर या ऐसी स्थिति में जहां साधक के पैर नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, वैसे में लाभ कम मिलता है। प्रातः चार बजे से लेकर छह बजे तक और शाम पांच बजे से लेकर सात बजे तक इस क्रिया को करने का समय अच्छा है।

मौसम के अनुसार समय को थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है। यदि निर्देशित समय में यह क्रिया नहीं होती है तो इस क्रिया को कभी भी किया जा सकता है लेकिन तब लाभ कम मिलेगा। यह क्रिया करते समय पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। ध्यान रहे कि शाम को यह क्रिया करते समय भोजन तथा क्रिया करने में लगभग तीन घंटे का अंतर होना जरूरी है अर्थात करने से पहले तीन घंटे तक आपने कुछ भी न खाया-पिया हो।

सावधानियां

अगर आप हृदय रोगी हैं या उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की समस्या है तो इस क्रिया को बंध के साथ न करें तथा कुंभक भी उतना ही करें जिससे कि बेचैनी महसूस न हो।

विधि

पद-1 : एकांत शांत स्थान में आसन लगाकर मन को चारों तरफ से खींचकर केवल श्वांस पर लगा दें। 11 बार गहरी और लंबी श्वांस लें। श्वांास की गति इतनी धीमी रखें कि अपने आप के श्वांस की आवाज भी सुनाई न दे।

पद-2 : श्वांस को शरीर के बाहर निकालकर तीनों बंधों- मूल बंध, जालंधर बंध तथा उड्डियान बंध का प्रयोग करें। आरंभ में 20 सेकंड श्वांस को बाहर ही रोकें और साथ ही तीनों बंधों का प्रयोग भी करें।

बीस सेकंड रुकने के बाद धीरे-धीरे श्वांस को भीतर भरते हुए तीनों बंधों को खोल दें और श्वांस गहरा लंबा अंदर भरकर 30 सेकंड रुकें। इस स्थिति में केवल दो बंधों- मूल बंध और जालंधर बंध का प्रयोग करें। यह 50 सेकंड का एक चक्र हुआ।

इसी प्रकार से बिना रुके तीन चक्र करने हैं। श्वांस बाहर निकालकर 20 सेकंड रुकना है। श्वांस अंदर भरकर 30 सेकंड रुकना है। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार से तीन चक्र पूरा करें। इस क्रिया को करते समय ध्यान मूल बंध पर लगा कर रखें और अन्य बंधों का प्रयोग साथ ही साथ करें। मूल बंध पर ध्यान लगाने से श्वांस अंदर और बाहर दोनों ही जगह अधिक देर तक रुक सकता है।

पद-3 : पद-2 जैसे ही समाप्त होता है तुरंत बिना रुके श्वांस-प्रश्वांस की तीव्र गति आरंभ करनी है। इस स्थिति में श्वांस गहरा बिल्कुल नहीं रखना है। इसमें रेल के इंजन की तरह श्वांस की गति अत्यंत तीव्र रखनी है।

प्राण ओजस क्रिया का यह भाग लगभग दो से तीन मिनट तक करना है तथा अंत में श्वांस बिल्कुल धीरे शांत छोड़ दें। इस क्रिया में जब श्वांस-प्रश्वांस करें तब अधिक दबाव फेफड़ों पर होना चाहिए।

इस क्रिया में प्राण की ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है जिससे कि शरीर में पसीना या फिर गर्मी पैदा होती है जो कि शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सहायक होती है। केवल नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं, नकारात्मक विचारों को भी यह क्रिया मन से बाहर निकाल कर मन में ठहराव तथा शांति स्थापित करती है।

प्रतिदिन यह क्रिया करने से दस दिन के अंदर आप अपने शरीर में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। इसका लाभ पहले दिन से ही आपको देखने को मिलेगा।

तेलुगु साहित्य का अक्षर-पुरुष

रावुरी भारद्वाज

जन्म : 5 जुलाई 1927

निधन : 18 अक्तूबर 2013

शख्सियत

भारतीय भाषाओं की जड़ें सांस्कृतिक तौर पर काफी गहरी हैं। ये जड़ें एक तरफ जहां भाषाई अस्मिता का विशाल फलक रचती हैं, वहीं इनसे भारतीय संस्कृति की सामासिक विलक्षणता पुष्ट होती है। यह बात उन लोगों को खासतौर पर समझने की जरूरत है जो भाषाई वर्चस्व की बात करते हैं और भारतीय भाषा परिवार की विशालता, विविधता और उनके अंतर्संबंधों को देखने-समझने का अपेक्षित विवेक नहीं रखते।

तेलुगु ऐसी ही एक समृद्ध भारतीय भाषा है, जिसका सांस्कृतिक आधार काफी मजबूत है। आधुनिक भारत में बाजार और शिक्षा माध्यमों के भाषाई इकहरेपन के कारण तेलुगु साहित्य की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी कम जरूर हुई है पर इसका यह कतई मतलब नहीं कि इस भाषा का अवदान आधुनिक भारत के सांस्कृतिक विमर्श में किसी अन्य भाषा से कमतर है। तेलुगु साहित्यकार रावुरी भारद्वाज की चर्चा से पहले यह पृष्ठभूमि इसलिए ताकि हम समझ सकें कि तेलुगु साहित्य की चर्चा करना किसी आधुनिक भारतीय विमर्श से कटना नहीं बल्कि उससे गहरे तौर पर जुड़ना है।

रावुरी भारद्वाज के नाम और कृतित्व की चर्चा तब अखिल भारतीय स्तर पर हुई जब यह घोषणा हुई कि 2012 के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए वे चुने गए हैं। दिलचस्प है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से मिलना शुरू हुआ। तेलुगु की झोली में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पहली बार 1970 में आया जब विश्वनाथ सत्यनारायण को यह पुरस्कार मिला। इसके 18 साल बाद 1988 में डॉ. नारायण रेड्डी को यह पुरस्कार मिला। रेड्डी से भारद्वाज तक एक लंबा अंतराल है। पर यह अंतराल तेलुगु साहित्य का अपना अंतराल या रचनात्मक सन्नाटा नहीं है।

रावुरी भारद्वाज की ही चर्चा करें तो वे न सिर्फ लगातार रचनाशील रहे बल्कि इस दौरान उन्हें भारतीय सांस्कृतिक विमर्श में प्रभावशाली हस्तक्षेप भी किया। उन्हें जिस 'पाकुडु राल्लु' उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वह भारत की किसी भी भाषा में नैतिक जोखिम के लिहाज से खासी निर्भीक रचना है। फिल्म जगत की विसंगतियों पर केंद्रित उनका यह उपन्यास आधुनिक तेलुगु उपन्यास साहित्य में एक तरह से मील का पत्थर है। अलबत्ता एक 'बोल्ड' विषय पर उन्होंने जिस साहस और पारदर्शिता के साथ इस उपन्यास के गहन कथानक को गढ़ा, उसको लेकर उन्हें आलोचना भी कम नहीं झेलनी पड़ी। उन्हें तेलुगु साहित्य में कुजात चेतना और प्रतिबद्धता का साहित्यकार तक ठहराया गया।

बहरहाल, रावुरी भारद्वाज का स्थान तेलुगु साहित्य में एक ऐसे वटवृक्ष की तरह है जिसकी छाया और सान्निध्य में एक से ज्यादा पीढ़ी के साहित्यकारों-पाठकों ने काफी कुछ सीखा-पढ़ा है। उन्हें अपने जीवन में अवहेलना बार-बार झेलनी पड़ी। यहां तक कि ज्ञानपीठ भी उन्हें जीवन के अंतिम दिनों में नसीब हुआ। सक्रिय काल में वे आकाशवाणी से जुड़े रहे । तेलुगु में आकाशवाणी के लिए बाल कार्यक्रम ' बाला नंदम ' की परिकल्पना उन्होंने ही की थी, जो आज भी लोकप्रिय है।

ज्ञानपीठ से पहले उन्हें रेखाचित्र 'जीवन समरम्' के लिर 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपनी कहानियों के जरिए वे आम आदमी के बहुत करीब रहे। वे सच्चे अर्थों में एक स्थितप्रज्ञ संत थे। मजदूरों के जीवन से गुजरते हुए उन्होंने स्वाध्याय और स्वानुभव की एक ऐसी राह चुनी जो उन्हें कबीर, रविदास और दादू की परंपरा से भी कहीं न कहीं जोड़ती है। गरीबों के हिमायती रहते हुए रावुरी ने आजीवन मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष का प्रण निभाया। उनका कथा साहित्य सर्वहारा वर्ग के शोषण और उत्पीड़न का विस्तृत दस्तावेज है।

सामान्य समस्या भर नहीं उच्च रक्तचाप

लापरवाही की कीमत भारी

सेहत

कोविड-19 के विश्वव्यापी संकट के बीच लोग एक साथ कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जीवन की स्वाभाविकता जिस तरह लगातार असहजता में बदलती जा रही है, उस कारण लोग काफी तनावग्रस्त रहने लगे हैं। तनाव पहले भी आधुनिक जीवनशैली से जुड़ा था पर अब तो यह काफी बढ़ गया है। उच्च रक्तचाप, ऐसी ही एक समस्या है जिसे लेकर इन मुश्किल दिनों में हमें खासा सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार लोग उच्च रक्तचाप को बहुत गंभीरता से नहीं लेते और इसके उपचार को लेकर भी अगंभीर रहते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और यह जानलेवा तक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इस बाबत समय से ध्यान देने और जरूरी एहतियात बरतने से उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है।

रक्त प्रवाह और रक्तचाप

इस बारे में आगे की चर्चा से पहले जरूरी है कि हम शरीर में रक्त प्रवाह की प्रक्रिया के बारे में समझ लें। सामान्य रक्त प्रवाह आपके शरीर के सभी हिस्सों (जिसमें आपके दिल, मस्तिष्क और गुर्दे जैसे महत्त्वपूर्ण अंग शामिल हैं) में पोषक तत्त्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपका धड़कता हुआ दिल आपकी दोनों रक्त वाहिकाओं (बड़े और छोटे) के विशाल संजाल के माध्यम से रक्त को आगे प्रवाहित करने में मदद करता है। आपकी रक्त वाहिकाएं, बदले में लगातार समायोजित होती रहती हैं। वे आपके रक्तचाप को नियंत्रित रखने और रक्त प्रवाह की स्वस्थ दर बनाए रखने के लिए संकुचित या चौड़ी हो जाती हैं।

रक्तचाप का हर दिन ऊपर और नीचे जाना सामान्य बात है। रक्तचाप समय, व्यायाम और आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के साथ तनाव और दूसरे अन्य कारकों से प्रभावित होता है। समस्या तब बढ़ी शुरू हो जाती हैं, जब आपका रक्तचाप बहुत अधिक समय तक उच्च स्तर पर बना रहता है।

समस्या और निदान

उच्च रक्तचाप आपके दिल के काम को बहुत मुश्किल कर सकता है। रक्त प्रवाह की तीव्र या उच्च शक्ति रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे वे कमजोर, कठोर या संकुचित हो सकती हैं। समय के साथ उच्च रक्तचाप दिल, गुर्दे, मस्तिष्क और आंखों सहित आपके शरीर के कई महत्त्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।

उच्च रक्तचाप दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख जोखिम कारक है। उच्च रक्तचाप से दिल का दौरा, हृदयाघात या गुर्दे की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यहां यह बात हमें खासतौर पर समझ लेनी चाहिए कि उच्च रक्तचाप की समस्या किसी को भी हो सकती है। यहां तक कि बच्चों में भी उच्च रक्तचाप की समस्या संभव है। अलबत्ता विभिन्न अध्ययनों से यह बात जरूर साफ है कि उच्च रक्तचाप का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता जाता है। लिहाजा इस बारे में पहले से सतर्क और जागरूक रहना ही हमारी सेहत के लिए हितकर है। अधिक वजन या उच्च रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास होना भी आपके लिए उच्च रक्तचाप का जोखिम बढ़ा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ आमतौर पर इस बात पर सहमत हैं कि सबसे सुरक्षित रक्तचाप या सामान्य रक्तचाप 120/80 या उससे कम होता है, जिसका अर्थ है 'सिस्टोलिक' रक्तचाप 120 या उससे कम और 'डायस्टोलिक' दबाव 80 या उससे कम। डॉ. लॉरेंस फाइन जो उच्च रक्तचाप के उपचार और रोकथाम पर अनुसंधान की निगरानी करते हैं, कहते हैं कि 140/90 से ऊपर के औसत रक्तचाप को 'हाइपरटेंशन' के रूप में परिभाषित किया जाता है। उच्च रक्तचाप को आहार, वजन घटाने और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से रोका जा सकता है। आमतौर पर इसके उपचार में कुछ दवाओं के साथ जीवनशैली में स्वस्थ बदलाव की सलाह दी जाती है।

सलाह और एहतियात

- स्वस्थ वजन रखें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल जरूर चलें। रात की नींद अच्छी लें।
- स्वस्थ आहार लें। सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी और संतृप्त वसा और कम शक्कर खाने की योजना चुनें। नमक के सेवन में कटौती करें। प्रसंस्कृत भोजन (जैसे सूप और बेक्ड फूड) में नमक का प्रयोग काफी होता है। यदि शराब का सेवन करते हों तो कम मात्रा में करें। धूम्रपान न करें।

(यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें)

कुछ दाल कुछ झाल

रोज-रोज घर में एक ही तरह का भोजन करते-करते ऊब हो जाती है। फिर मन होता है कि बाहर का बना कुछ खाया जाए। पर इन दिनों बाहर का खाना खासा जोखिम भरा है। लिहाजा खाने को लेकर कोई प्रयोग करना हो तो घर पर ही करना अच्छा और सुरक्षित रहेगा। इसलिए इस बार कुछ ऐसे व्यंजन जो जल्दी पक जाए और बाहर के खाने जैसा स्वाद और आनंद भी दे।

दाना-पानी

मानस मनोहर

दाल शाही

बड़े होटलों में जो दाल मखनी पकती है या जो नामी खानसामे हैं, वे दाल मखनी को पकाने में कम से कम बारह से पंद्रह घंटे का समय लगाते हैं। कहा जाता है कि इसे चौबीस घंटे तक पकाया जाए, तब जाकर सही स्वाद आता है। मगर आम घरों में किसके पास इतना वक्त है, जो सिर्फ दाल पकाने में लगाया जाए। सो, घर में कम समय में वैसा ही स्वाद देने वाली दाल है- दाल शाही।

दाल मखनी और दाल बुखारा मुख्य रूप से साबुत उड़द दाल से बनती हैं। मगर उड़द की दाल सबके लिए सही नहीं होती। उसे पचाना सबके वश की बात नहीं। आयुर्वेद में बताया गया है कि उड़द दाल से वायु विकार होता है। फिर दूध-दही के साथ उड़द दाल का मेल सही नहीं माना जाता, जबकि दाल मखनी में इनका प्रयोग अवश्य होता है। ऐसे में दाल शाही सबकी सेहत के लिए मुफीद है, क्योंकि यह साबुत मूंग से बनती है। सो, आज बनाते हैं दाल शाही। पर दाल को बनाने में भी थोड़ी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी।

इस दाल को आप चाहें तो अपना भी कोई नाम दे सकते हैं। दाल शाही बनाने के लिए एक कप साबुत मूंग को अच्छी तरह धोकर रात भर के लिए या फिर कम से कम चार-पांच घंटों के लिए भिगो दें। फिर जब सुबह इसे पकाना हो तो उससे दो घंटे पहले दो-तीन चम्मच अरहर और इतनी ही मात्रा में धुली मूंग की दाल भिगो दें। जब ये दोनों दालें अच्छी तरह फूल जाएं तो पानी निथार कर एक कुकर में डालें। चौथाई चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल कर ऊपर से आधा गिलास पानी डालें और तीन सीटी आने तक पकने दें।

ध्यान रखें कि इन दालों को अच्छी तरह गल जाना चाहिए, इसलिए कुकर की सीटी अधिक भी आने दे सकते हैं। जब यह दाल पक जाए, तो अलग कटोरे में निकाल कर गरम रहते ही अच्छी तरह मसल लें ताकि दाल का एक भी दाना दिखाई न दे।

अब उसी कुकर में रात भर भिगोई साबुत मूंग डालें। ऊपर से चौथाई चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक तथा आधा गिलास पानी डाल कर उबलने के लिए रख दें। एक या दो सीटी आने के बाद बंद कर दें। ध्यान रखें कि इस दाल को गलाना नहीं है, बस नरम हो जाए और छिलके समेत सारे दाने दिखते रहें, इसलिए सीटी का ध्यान रखें। भाप खत्म हो जाए तो कुकर खोलें और उसमें घुटी हुई अरहर-मूंग दाल डालें और अच्छी तरह मिला दें। कुकर का ढक्कन खुला रख कर मध्यम आंच पर इन दालों को चलाते हुए चार से पांच मिनट के लिए पकाएं और जब दालें अच्छी तरह आपस में मिल जाएं तो आंच बंद कर दें।

अब इस दाल में डालने के लिए मसाला तैयार करें। सबसे पहले तो दो मध्यम आकार के प्याज लंबे और पतले आकार में काट लें। फिर एक कड़ाही में पकौड़े तलने जैसा भरपूर तेल गरम करें। तेल गरम हो जाए तो उसमें प्याज के लच्छे डालें और चलाते हुए सेंकें। जैसे-जैसे प्याज का रंग बदलता जाए, वैसे-वैसे आंच धीमी करते जाएं। जब प्याज का रंग बादामी हो जाए तो उसे तेल से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दें। ध्यान रखें कि प्याज जलने न पाए, नहीं तो स्वाद बिगाड़ेगा। इस तले हुए प्याज को बरिस्ता कहते हैं। बरिस्ता आप दाल उबालते वक्त भी तैयार कर सकते हैं।

फिर अगली कड़ी शुरू करें। इसके लिए दो टमाटर पीस कर ग्रेवी तैयार कर लें। आधा कटोरी दही को अच्छी तरह फेंट कर रख लें। अगर फ्रेश क्रीम है तो ठीक, नहीं तो चार-पांच चम्मच दूध की मलाई को फेंट कर क्रीम तैयार कर लें। फिर एक कड़ाही में तीन-चार चम्मच देसी घी गरम करें। उसमें जीरा, दो-तीन लौंग, दो-तीन हरी इलाइची, छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक तेजपत्ता का तड़का लगाएं। तड़का तैयार हो जाए तो उसमें पिसा टमाटर डालें और ऊपर से आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक से डेढ़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और दो चम्मच धनिया पाउडर डाल कर मध्यम आंच पर चलाते हुए पकाएं ।जब टमाटर तेल छोड़ने लगे, तो उसमें फेंटा हुआ दही डाल कर चलाते हुए तेल छोड़ने तक पकाएं। अब इसमें दाल डालें और थोड़ा-सा पानी डाल कर अच्छी तरह चलाते हुए पकाएं। जब दाल में उबाल आने लगे, तो क्रीम डालें और चलाते हुए पकाएं। पांच-सात मिनट पकाने के बाद देखें कि दालें अच्छी तरह गाढ़ी हो गई हैं, तो आंच बंद कर दें।

अब इसमें तड़का लगाएं। यह तड़का मक्खन में लगता है। तड़का पैन में दो-तीन चम्मच या अपनी इच्छा के मुताबिक मक्खन डालें। आंच धीमी रखें। मक्खन पिघलने लगे तो उसमें दो चम्मच कसूरी मेथी मसल कर डालें और मक्खन पूरी तरह पिघल जाए, तो उसे दाल में डालें। ध्यान रखें कि यह तड़का जलने न पाए। अब जो बरिस्ता तैयार किया था उसे हथेलियों से मसलते हुए इस दाल में डालें और सारी चीजों को एक बार मिला लें। ऊपर से धनिया पत्ता डालें और परोसें।

झाल-मुढ़ी

झाल-मुढ़ी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल, ओड़ीशा तक खूब चाव से खाई जाती है। दिल्ली में भी राह चलते इसे बेचने वाले मिल जाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मुढ़ी यानी मुरमुरे चाहिए। वह अपनी जरूरत के मुताबिक ले लें। फिर एक बड़े आकार का प्याज, तीन-चार तीखी हरी मिर्च, थोड़ा धनिया पत्ता बारीक-बारीक काटें। फिर इसमें चार चम्मच इमली की चटनी, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चम्मच सरसों का कच्चा तेल डालें और सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। फिर मुरमुरे डालें और सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। प्लेट में या कागज का कोन बना कर भरें और ऊपर से बेसन का बारीक वाला सेव डाल कर खाने को दें। यह बच्चों को खासकर बहुत पसंद आता है।

पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी दुबे का घर जमींदोज

लखनऊ/कानपुर, 4 जुलाई (भाषा)।

कानपुर मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर बिकरू गांव में शुक्रवार को एक मुठभेड़ में पुलिस उपाधीक्षक समेत आठ पुलिसकर्मियों के मारे जाने के बाद प्रशासन ने शनिवार को कुख्यात अपराधी विकास दुबे के किलेनुमा घर को ढहा दिया। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को विकास दुबे के बिकरू स्थित घर को जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया। इस दौरान वहां खड़े वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया। दुबे के घर का भारी भरकम दरवाजा और बरामदा और चहारदीवारी को जेसीबी मशीन की मदद से एक झटके में जमींदोज कर दिया गया।

उधर, आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद शक के घेरे में आए चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है।

कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि तिवारी पर लग रहे आरोपों के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इन आरोपों की गहन जांच की जांच की जा रही है। अगर उनका या किसी भी पुलिसकर्मी का इस घटना से कोई संबंध निकला तो उसे न केवल बर्खास्त किया जाएगा बल्कि जेल भी भेजा जाएगा। विकास दुबे और उसके सहयोगियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 25 टीमें लगाई गई हैं जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा कुछ दूसरे प्रदेशों में भी छापेमारी कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह नहीं बताया जा सकता कि पुलिस की टीमें किन–किन जनपदों में और किन प्रदेशों में तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सर्विलांस टीम लगभग 500 मोबाइल फोन की छानबीन कर रही है और उससे विकास दुबे के बारे में सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा उप्र एसटीएफ की टीमें भी अपने काम में लगी हैं। आइजी ने विकास दुबे के बारे में सही जानकारी देने वाले को पचास हजार रुपये का इनाम भी देने की घोषणा की है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में घायल सात पुलिसकर्मियों का कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है जहां सभी की हालत स्थिर बनी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह जाना जा सके कि दुबे को उसके घर पर पुलिस की छापेमारी के बारे में पहले से खबर कैसे लगी जिससे उसने पूरी तैयारी के साथ पुलिस दल पर हमला किया। विकास दुबे का घर गिराए जाने के बाबत सवालों पर कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि गांव के लोगों का कहना था कि दुबे ने दबंगई और गुंडागर्दी से लोगों की जमीन पर कब्जा किया था और लोगों से जबरन वसूली कर घर बनाया था। उन्होंने बताया कि दुबे के परिवार वालों पर गांव के नाराज लोगों ने हमला भी किया था लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण कोई हादसा नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ के पहले चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी कुछ पुलिसकर्मियों के साथ दुबे के घर गए थे और राहुल तिवारी नामक व्यक्ति से उसका समझौता कराने का प्रयास कर रहे थे। राहुल वही व्यक्ति है जिसने दुबे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और उसी वजह से पुलिस ने दुबे के घर दबिश दी थी। सूत्रों का कहना है कि दुबे और राहुल के बीच समझौते को गए थानाध्यक्ष तिवारी के साथ दुबे ने बदतमीजी की थी और दोबारा घर न आने की धमकी भी दी थी। कहा जाता है कि दुबे ने राहुल को पीटा भी था। इस घटना के बाद थानाध्यक्ष तिवारी ने बिल्हौर के क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मिश्रा को इसकी जानकारी दी, तब मिश्रा चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर तीन थानों की फोर्स लेकर दुबे को गिरफ्तार करने गुरुवार देर रात उसके गांव पहुंचे।

विकास की मां ने कहा, मार दिया जाए उसे

लखनऊ, 4 जुलाई (भाषा)।

कानपुर के गांव में मुठभेड़ के दौरान आठ पुलिसकर्मियों के मारे जाने की घटना में बेटे विकास दुबे का हाथ होने की खबर से नाराज उसकी मां ने कहा कि वह मर भी जाए तो उन्हें कोई गम नहीं है। विकास की मां सरला दुबे ने समाचार चैनलों से कहा, ह्वमार डालो उनको, जहां रहे मार डालो ह्व सरला दुबे ने बताया कि उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। अब वह (विकास) मर भी जाए तो उसका गम नहीं।

इस बीच विकास के पिता राम कुमार दुबे ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि जिस समय अपराध हुआ, उन्हें इसकी सूचना नहीं थी। दवा खाने की वजह से वे बेहोशी की हालत में थे। उन्होंने कहा, जब मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता था तो दूसरे के बारे में कैसे बोलता। यह पूछने पर कि क्या उन्होंने अपने बेटे को अपराध करने से रोका था, दुबे ने कहा कि वह छात्र जीवन में ही इस जगह को छोड़कर चला गया था और मेरे साले के साथ रह रहा था। जब पूछा गया कि विकास के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, दुबे ने कहा कि सरकार नियमों के तहत कार्रवाई करेगी। सरकार जो उचित समझेगी, कदम उठाएगी।

प्रधानमंत्री ने ऐप बनाने के लिए युवाओं को दी चुनौती

पेज 1 का बाकी

लेकर अपार उत्साह है।

प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन की पोस्ट के लिंक को साझा करते हुए ट्वीट किया, 'उनके विचारों और उत्पादों को स्थान देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अटल नवप्रवर्तन मिशन के साथ मिलकर 'आत्मनिर्भर भारत ऐप नवप्रवर्तन चुनौती' को शुरू कर रहा है।' मोदी ने देशवासियों को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत इस अभियान की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि ऐप नवोन्मेष चुनौती उन लोगों के लिए है, जिनके पास ऐसा कोई उत्पाद है या उन्हें लगता है कि उनके पास ऐसे उत्पाद बनाने की सोच और विशेषज्ञता है। उन्होंने लेख में कहा, 'मैं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अपने सभी मित्रों से इसमें भाग लेने का आग्रह करता हूं।' मोदी ने कहा कि भारत में एक गतिशील प्रौद्योगिकी और स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसने भारत को राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने सभी क्षेत्रों में तकनीकी समाधान मुहैया कराने में श्रेष्ठ काम किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'कोविड–19 महामारी ने बड़ा अवरोध भी पैदा किया है, जिससे प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से निपटा जा रहा है। इन दिनों हम स्टार्ट–अप और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वदेशी ऐप के बारे में नई सोच के साथ काम करने, उन्हें विकसित करने और प्रचारित करने के लिए बड़ी दिलचस्पी और उत्साह देख रहे हैं।' मोदी ने लिखा, 'आज जब पूरा देश आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है, तो उनके प्रयासों को दिशा देने, उनके परिश्रम को गति प्रदान करने और प्रतिभा को मार्गदर्शन देने का सही अवसर है ताकि वे ऐसे ऐप विकसित कर सकें जो हमारे बाजार की जरूरतों को पूरा करें और साथ ही दुनिया से स्पर्धा करें।'

कोरोना के दौर में बुद्ध का संदेश प्रकाशस्तंभ की तरह : कोविंद

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

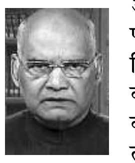

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि ऐसे वक्त में जब कोरोना वैश्विक महामारी दुनियाभर में इंसानों और अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है तो खुशी पाने के लिए घृणा और हिंसा जैसे दोषों का त्याग करना का भगवान बुद्ध का संदेश एक प्रकाशस्तंभ की तरह है।

कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम में कहा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना विषाणु की उग्रता कम होगी तो हमारे सामने इससे कहीं अधिक गंभीर जलवायु परिवर्तन की चुनौती होगी। कोविंद ने कहा कि दुनिया परेशानियों से घिरी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि राजाओं और धनी लोगों के तनावग्रस्त होने की कई कहानियां हैं, जिन्होंने जीवन की क्रूरताओं से बचने के लिए बुद्ध की शरण ली। राष्ट्रपति ने कहा कि बुद्ध का जीवन पहले की धारणाओं को चुनौती देता है, क्योंकि वह इस दोषपूर्ण दुनिया के बीच पीड़ा से मुक्ति पाने में विश्वास करते थे। कोविंद ने कहा कि आज जब महामारी ने दुनियाभर में इंसानों और अर्थव्यवस्थाओं को उजाड़ दिया है तो बुद्ध का संदेश एक प्रकाशस्तंभ की तरह है। उन्होंने खुशी पाने के लिए लोगों को लालच, नफरत, हिंसा, ईर्ष्या व कई अन्य दोष खत्म करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत को 'धम्म' की उत्पत्ति की भूमि होने पर गर्व है।

राष्ट्रपति ने 'धम्म चक्र' दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में हम बौद्ध धर्म को परम सत्य की नवीन अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध का ज्ञान और उनके उपदेश बौद्धिक उदारतावाद और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारत की परंपरा की तर्ज पर हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में दो असाधारण भारतीयों– महात्मा गांधी और बाबासाहेब आंबेडकर ने बुद्ध के शब्दों में प्रेरणा को पाया और देश के भाग्य को बदलने निकल पड़े।

भगवान बुद्ध के आदर्शों से हो सकता है विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का स्थायी समाधान : मोदी

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मौजूदा समय में जब विश्व असाधारण चुनौतियों से निपट रहा है तो इनका स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है।

मोदी ने यहां 'धम्म चक्र दिवस' समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भगवान बुद्ध ने आशा और उद्देश्य का उल्लेख किया था। भगवान बुद्ध के लिए यह मानवीय पीड़ा का निराकरण था। उन्होंने कहा, हमें लोगों के बीच आशा पैदा करने के लिए जो भी हो सकता है, वो करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का स्टार्ट–अप क्षेत्र इस बात का उदाहरण है कि कैसे आशा, नवाचार और करुणा से पीड़ा को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा, उज्ज्वल युवा सोच आज वैश्विक समस्याओं का समाधान पा रही है। आज भारत में स्टार्ट–अप का एक बहुत बड़ा तंत्र है। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समाज और राष्ट्रों के कल्याण की तरफ का रास्ता दिखाता है।

चीनी घुसपैठ पर लद्दाखवासियों की बात नजरअंदाज नहीं करे सरकार : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देशभक्त लद्दाखवासी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उम्मीद जताई कि चीन की घुसपैठ पर सरकार देश की भावना सुनेगी और कदम उठाएगी।

मोदी ने की बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ

पेज 1 का बाकी

इकाइयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री के समक्ष दिया। मोदी ने महाराष्ट्र और बिहार इकाइयों के कामकाज की तारीफ मराठी और भोजपुरी भाषाओं में की।

कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। 'सेवा ही संगठन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'भाजपा के सेवा कार्यक्रमों की इतनी बड़ी व्यापकता, इतनी बड़ी विविधता, इतने बड़े पैमाने पर, इतने लंबे समय तक सेवा, मुझे लगता है कि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। कोरोना की लड़ाई में इस सेवा यज्ञ ने बहुत बड़ी ताकत दी है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राजनीतिक दल के रूप में आपने जो काम किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया।

इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य भाजपा नेता– निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। इस आयोजन में बिहार के अलावा भाजपा की सात राज्य इकाइयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री के समक्ष दिया। बैठक से पहले मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में देश भर में पार्टी कार्यकर्ता अथक काम कर रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।

टीका कार्यक्रम पर वैज्ञानिकों ने सतर्क रहने को कहा

पेज 1 का बाकी

में उतारने की घोषणा की जिसे लेकर उम्मीद के साथ आशंकाए भी हैं। इसी दिन गुजरात की कंपनी जायडस कैडिला ने घोषणा की कि उसे भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआइ) से उसके संभावित टीके को इंसानों पर चिकित्सीय परीक्षण की अनुमति मिल गई है।

विषाणु रोग विशेषज्ञ और वेलकम न्यास/डीबीटी इंडिया अलायंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाहिद जमील ने कहा, अगर चीजें दोषमुक्त तरीके से की जा जाए तो टीके का परीक्षण खासतौर पर प्रतिरक्षाजनत्व और प्रभाव जांचने के लिए चार हफ्ते में यह संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि जमील का संगठन जैव चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराता है। एंटीजन जैसे विकसित नए तत्व की इंसान और जानवर के शरीर में प्रतिरोधक प्रणाली को सक्रिय करने की क्षमता को प्रतिरक्षाजनत्व कहा जाता है। विषाणु वैज्ञानिक उपासना राय ने कहा कोरोना विषाणु के खिलाफ टीका लांच की प्रक्रिया को गति देना या जल्द लांच करने का वादा करना प्रशंसा के योग्य है, लेकिन यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि क्या 'हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं'। सीएसआइआर–आइआइसीबी कोलकाता में वरिष्ठ वैज्ञानिक रे ने एजंसी से कहा, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता देना नितांत आवश्यक है। हालांकि, अतिरिक्त दबाव जरूरी नहीं कि जनता के लिए सकारात्मक उत्पाद दे। देश की शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान निकाय आसीएमआर ने कहा कि 12 क्लिनिकल परीक्षण स्थलों पर देश में विकसित टीका कोवाक्सिन का परीक्षण होगा। इस संभावित टीके का विकास हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे ने मिलकर किया है। आइसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने 12 स्थानों के प्रधान अन्वेषकों को लिखे पत्र में कहा, सभी क्लिनिकल परीक्षणों के पूरा होने के बाद 15 अगस्त तक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग के लिए टीका लांच करने का लक्ष्य रखा गया है। पत्र के लहजे और जल्दबाजी के संकेत से कुछ वैज्ञानिक चिंतित हैं।

उन्होंने पत्र में निर्धारित समयसीमा पर सवाल उठाया है और टीके के विकास प्रक्रिया को छोटा नहीं करने की सलाह दी।

एक पखवाड़े तक छह शहरों से कोलकाता की उड़ानों पर रोक

पेज 1 का बाकी

पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए छह से 19 जुलाई 2020 तक या अगले आदेश तक कोई भी उड़ान संचालित नहीं होगी। असुविधा के लिए खेद है।'

हवाईअड्डा ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना विषाणु संक्रमण के अधिक मामलों वाले शहरों से लोगों के आने पर लगाम लगाने के राज्य सरकार के अनुरोध पर यह अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।' बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने 30 जून को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में कहा था, 'कोरोना विषाणु देश भर में तेजी से फैल रहा है। कुछ राज्यों में महामारी का व्यापक प्रसार हो रहा है, हालांकि हम यह बिल्कुल मानते हैं कि सभी राज्य सरकारें समान रूप से सतर्क हैं और प्रसार पर अंकुश लगाने की दिशा में सक्रिय हैं। बंगाल में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए हैं।' उन्होंने लिखा कि इसी कारण बंगाल सरकार ने राज्य में आने वाली उड़ानों और ट्रेनों की आवाजाही को रोकने या कम करने का फैसला किया है।

राजौरी में आतंकी ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद

पेज 1 का बाकी

कि आतंकवादी ठिकाने से दो चीनी पिस्तौल के साथ दो मैगजीन, 11 राइफल ग्रेनेड के साथ एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल), 920 कारतूस के साथ एके असॉल्ट राइफल की 14 मैगजीन और एक चीनी हथगोला बरामद किया गया। आइईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों और तारों समेत अन्य वस्तुएं भी बड़ी मात्रा में बरामद की गईं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शनिवार को चलाए गए तलाशी अभियान में पुलिस के साथ सेना की 38 आरआर के जवान शामिल थे। उन्होंने बताया कि यह आतंकी ठिकाना दादासन बाला के ऊंचाई वाले इलाके में स्थित जंगल वाले इलाके में बनाया गया था। ठिकाने का पता चलने पर पहले सुरक्षाबलों ने सुरक्षित ढंग से उसे ध्वस्त किया और बाद में तलाशी ली।

कुलगाम में हुई मुठभेड़ में आतंकवादी मारा गया : जम्मू–कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया जबकि सेना का एक जवान घायल हो गया है।

मणिपुर में नगा उग्रवादियों की हथियार फैक्टरी पकड़ी गई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

असम राइफल्स ने मणिपुर के उखरूल जिले में नगा उग्रवादियों (एनएससीएन–आइएम) द्वारा संचालित एक हथियार फैक्टरी पकड़ी है और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए हैं।

उखरूल के लंगुरा तांग में इस फैक्टरी को असम राइफल्स की सोमसाइ बटालियन ने पकड़ा। मौके से 9 एमएम पिस्तौलें, बारह बोर की राइफलें, कई राउंड गोलियां, तीन मोबाइल फोन, हथियार बनाने के उपकरण और 1.04 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, यह अवैध हथियार फैक्टरी एनएससीएन–आइएम का उग्रवादी लाइटसन उर्फ लाइकसन चला रहा था। छापेमारी के दौरान वह भाग निकला। अधिकारियों के मुताबिक, अन्य एक अभियान में असम राइफल्स ने कुकी उग्रवादी समूह– उसरा के तीन उग्रवादियों को मणिपुर के चूराचंदपुर जिले से पकड़ा।

जूम को टक्कर देगा रिलायंस का जियोमीट

पेज 1 का बाकी

जा सकता और बैठक में भाग लेने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी जा सकती है।

जियोमीट के जरिये एक दिन में कितनी भी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और कोई भी बैठक बिना किसी बाधा के 24 घंटे चल सकती है। प्रत्येक बैठक पासवर्ड से संरक्षित है। बैठक आयोजित करने वाला व्यक्ति 'वेटिंग रूम' की सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। इससे कोई भी भागीदार बैठक में बिना अनुमति शामिल नहीं हो सकता। इसमें ग्रुप बनाने की अनुमति है। सिर्फ एक क्लिक पर कॉलिंग या चैटिंग की जा सकती है।

गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पर इस ऐप के पांच लाख डाउनलोड पहले ही हो चुके हैं। यह ऐप ऐसे समय पेश की गई है जबकि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर खतरे के मद्देनजर चीन से संबंधित 59 ऐप पर रोक लगाई है।

इनमें टिकटॉक भी शामिल है। कंपनी सूत्रों ने कहा कि जियोमीट में समय की कोई सीमा नहीं होने की वजह से शिक्षकों की अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को छोटा करने की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप के जरिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार तथा सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय और सेना ने कहा, बेबुनियाद

पेज 1 का बाकी

भी पहले से मौजूद है और यहां 300 बिस्तरों की सुविधा मौजूद है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के अस्पताल दौरे की तस्वीरें सामने आने पर लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री ने जिस जगह का दौरा किया था, वो अस्पताल ही था या कुछ और। कई लोगों ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए जवानों से मिलने की इच्छा जताई, इसलिए एक कॉन्फ्रेंस रूम को वार्ड में तब्दील किया गया था। लोगों ने ट्वीट किए थे कि यह चिकित्सकीय केंद्र अस्पताल की तरह नहीं दिखता, क्योंकि इसमें चिकित्सकीय उपकरण एवं सुविधाएं नहीं हैं। इन आरोपों को लेकर थलसेना ने भी बयान जारी किया है। थलसेना ने अपने बयान में कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के उपचार संबंधी सुविधाओं को लेकर आक्षेप लगाए जा रहे हैं। सशस्त्र बल अपने बलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार देता है।'

सेना ने कहा, 'कल लोगों ने लेह स्थित जनरल अस्पताल के उस चिकित्सकीय केंद्र की स्थिति को लेकर दुर्भावनापूर्ण और निराधार आरोप लगाए हैं, जहां तीन जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे।' उसने कहा, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि 100 बिस्तरों वाला यह केंद्र 'संकट के समय क्षमता के विस्तार' का हिस्सा है और यह जनरल अस्पताल परिसर का हिस्सा है।'

सेना ने कहा कि कोविड–19 प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल के कुछ वार्ड को एकांतवास केंद्रों में तब्दील किया गया है। इस कक्ष का इस्तेमाल 'प्रशिक्षण दृश्य श्रव्य सभागार' के रूप में किया जाता था। जब से अस्पताल को कोविड–19 के मरीजों के उपचार के लिए चिह्नित किया गया है, तब से इसे वार्ड में बदल दिया गया है।

दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 18 जुलाई तक : डीयू

पेज 1 का बाकी

शाम साढ़े सात बजे तक, 3,32,359 छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पोर्टल पर पंजीकरण किया था, जबकि 2,17,971 ने पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया था। इसी अवधि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1,30,781 छात्रों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया।

दिल्ली में अब तक तीन हजार लोगों की मौत

पेज 1 का बाकी

बिस्तरों का पर्याप्त इंतजाम है। इस समय अस्पताल में 15283 बिस्तरों में से 5522, कोरोना केअर सेंटर में 7869 में 1756, और कोरोना हेल्थ सेंटर में 544 में 153 बिस्तरों पर ही मरीजों का इलाज चल रहा है।

जम्मू–कश्मीर प्रशासन की इस साल 'सीमित' अमरनाथ यात्रा की योजना

पेज 1 का बाकी

लागू होगी।

मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, 'इस साल यात्रा सीमित तरीके से की जाएगी जिससे यात्रा के दौरान कोविड–19 संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। जम्मू से सड़क मार्ग से रोजाना अधिकतम 500 यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी।' वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां यात्रा के लिए गठित उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा समेत अन्य प्रबंधों की समीक्षा की। दो रास्तों अनंतनाग के पहलगाम और गंदेरबल के बालटाल से 42 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 23 जून से शुरू होने वाली थी लेकिन महामारी की वजह से इसमें विलंब हुआ। सूत्रों के मुताबिक श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस यात्रा को 15 दिन की संक्षिप्त अवधि के लिए संचालित करने की योजना बना रहा है।

'यात्रा 2020' की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड–19 महामारी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित की गई राज्य कार्यकारी समिति ने मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं और इसके तहत जम्मू–कश्मीर आने वाले शत प्रतिशत लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच की जानी है। उन्होंने कहा, 'जम्मू–कश्मीर में आने वाले सभी लोगों के नमूने लेकर जांच की जाएगी और जब तक उनकी रिपोर्ट में संक्रमण नहीं मिलने की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वे एकांतवास में रहेंगे।' उन्होंने कहा कि पूर्व में यात्रियों के लिए शिविर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सुविधाएं फिलहाल एकांतवास सुविधाओं के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं।

देश में चौबीस घंटे में रेकार्ड 22,771 संक्रमित

पेज 1 का बाकी

3,94,226 इसकी दर 60.81 फीसद हो गई है। अभी 235433 मरीजों का इलाज जारी है।

महाराष्ट्र में सर्वाधिक मृत्यु : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में मरने वालों में महाराष्ट्र के 198, तमिलनाडु के 64, दिल्ली के 59, कर्नाटक के 21, पश्चिम बंगाल के 18, गुजरात के 18, उत्तर प्रदेश के 14, राजस्थान के 10, तेलंगाना के आठ, आंध्र प्रदेश के आठ, पंजाब के पांच, हरियाणा के चार, मध्य प्रदेश के चार, जम्मू कश्मीर के चार, बिहार के तीन, असम में दो के ओड़ीशा के दो मरीज शामिल हैं।

अब तक सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में: कोरोना से महाराष्ट्र में सर्वाधिक 8376 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दिल्ली में 2923, गुजरात में 1904, तमिलनाडु में 1385, उत्तर प्रदेश में 749, पश्चिम बंगाल में 717, मध्य प्रदेश में 593, राजस्थान में 440, तेलंगाना में 283, हरियाणा में 255, कर्नाटक में 293, आंध्र प्रदेश में 206, पंजाब में 157, जम्मू कश्मीर में 119, बिहार में 80, उत्तराखंड में 42, केरल में 25, ओड़ीशा में 29, झारखंड में 15, छत्तीसगढ़ में 14, असम में 14, पुडुचेरी में 12, हिमाचल प्रदेश में 10, चंडीगढ़ में छह, गोवा में चार और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा व लद्दाख में एक–एक व्यक्ति की मौत हुई। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक संक्रमण के कारण मौत के 70 फीसद से अधिक मामलों में मरीज अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे।

सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में: कोरोना विषाणु संक्रमण के महाराष्ट्र में सबसे अधिक 192990 मामले सामने आए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 102721, दिल्ली में 94695, गुजरात में 34600, उत्तर प्रदेश में 25797, पश्चिम बंगाल में 20488, तेलंगाना में 20462, कर्नाटक में 19710 संक्रमण के मामले आए हैं।

उमस व गर्मी से दिल्ली को जल्द मिलेगी राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

शनिवार को बारिश का अनुमान था लेकिन दिन भर घिरे बादलों ने कुछ ही इलाकों में मेहरबानी की, जहां हल्की बारिश दर्ज की गई।

मानसून की बेरुखी झेल रहे दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब बारिश की प्रबल संभावना दिख रही है।

शनिवार को बारिश का अनुमान था लेकिन दिन भर घिरे बादलों ने कुछ ही इलाकों में मेहरबानी की, जहां हल्की बारिश दर्ज की गई। जबकि कई इलाकों में इसके बाद भी बारिश नहीं हुई। हालांकि उमस और गर्मी से जूझ रहे दिल्ली–एनसीआर के लोगों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी।

शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 39.8 जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 55 से 80 फीसद रहा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पिछले एक महीने से उमस भरी गर्मी के बाद शुक्रवार शाम से दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों का भी मौसम बदला है। इसके बाद शनिवार से हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ जो कुछ ही इलाकों तक सीमित रहा। बताया जा रहा है कि यह बारिश अन्य इलाकों में भी होगी जो अगले एक सप्ताह तक चलेगी। शनिवार को दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में बस बूंदाबादी ही हुई जबकि पालम इलाके में 23.8 मिलीमीटर बारिश हुई। आयानगर में 3.8 मिलीमीटर बारिश हुई। रिज या अन्य इलाकों में बारिश नहीं हुई।

10 जुलाई तक झमाझम बारिश का दौर : मानसून की दस्तक के साथ ही मानसून की हलचल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ दिखी थी। यही वजह थी कि दिल्ली में मौसम शुष्क हो गया लेकिन अब यह ट्रफ बीकानेर और अजमेर होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। इसी के असर से शुक्रवार रात से मौसम करवट लिया और शनिवार से हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ। विभाग का अनुमान है कि 9–10 जुलाई तक बारिश का यह दौर जारी रहेगा। इस दौरान बीच–बीच में अच्छी बारिश भी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, पलवल, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में झमाझम बारिश के आसार हैं।

वाहन चालक को गोली मार 14.50 लाख लूटे, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़, 4 जुलाई (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कैश वैन चालक की हत्या कर 14.50 लाख रुपए लूटने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने वारदात के 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने शनिवार को बताया कि रायगढ़ जिले में स्टेट बैंक के कैश वैन चालक की गोली मारकर हत्या और गार्ड को घायल कर 14.50 लाख रुपए लूटने के आरोपियों को पुलिस ने 10 घंटे में पकड़ लिया।

सिंह ने बताया कि पुलिस ने बिहार के इस अंतरराज्यीय गिरोह के बदमाशों से लूट की राशि बरामद कर ली है व इनसे हथियार भी जब्त किया गया है।

पुलिस ने दोनों लुटेरों को जिले के भूपदेवपुर के पास एक गांव से पकड़ा है।

पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि पुलिस ने बिहार के इस अंतरराज्यीय गिरोह के बदमाशों से लूट की राशि बरामद कर ली है व इनसे हथियार भी जब्त किया गया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को शहर के किरोड़ीमल नगर में जब कैश वैन से स्टेट बैंक के एटीएम में रुपए डाले जा रहे थे तब मोटर साइकिल सवार दो नकाबपोशों ने वहां अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में वैन चालक अरविंद पटेल की मृत्यु हो गई व सुरक्षाकर्मी विनोद पटेल घायल हो गया। बाद में बदमाश यहां से 14.50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए।

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल ने कार्रवाई करते हुए शहर में नाकेबंदी कर दी व वाहनों और घरों में तलाशी अभियान चलाया गया।

बाद में पुलिस ने बिहार के सिवान जिले के निवासी सुधीर सिंह और कैमूर जिले के निवासी पिंटू वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सुधीर सिंह के रिश्तेदार रायगढ़ में ठेकेदारी का काम करते हैं। संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने इनके पास से दो पिस्टल, दो देशी कट्टे, तीन मैगजीन में 26 राउंड, दो जिंदा कारतूस, दो चाकू, एक मोटर साइकिल और 14.50 लाख रुपए बरामद किए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के कोतरारोड थाने की पुलिस ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।

दिल्ली कैंट में 25 हजार पेड़ लगाएगी सेना

दिल्ली कैंट, पालम में वृक्षारोपण की शुरुआत करते ब्रिगेडियर बीएस दलाल।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 जुलाई।

मानसून के दौरान पालम, दिल्ली कैंट के यूनिट लोकेशन पर सेना 25 हजार पेड़ लगाएगी। पश्चिमी कमांड मुख्यालय में कमांडर (टीए जीपी) ब्रिगेडियर बीएस दलाल 150 इंफैंट्री बटालियन (टीए) पंजाब के दौरे में पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में सेना ने एक हजार पेड़ लगा दिए हैं।

सेना के द्वारा जारी बयान के मुताबिक, यूनिट लोकेशन पर तैनात सभी जवान एक-एक पेड़ की देखरेख की जिम्मेदारी उठाएंगे और दूसरी जगह स्थानांतरित होने पर अपने उस पेड़ की जिम्मेदारी नए जवान को सौंपेंगे। इस अभियान को शुरू किए जाने के मौके पर 150 इंफैंट्री बटालियन (टीए) पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद थे।

सूरत को 200 वेंटिलेटर मिलेंगे, अस्पतालों के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित : रूपाणी

सूरत, 4 जुलाई (भाषा)।

सूरत में कोविड-19 के मामले अचानक बढ़ने के बाद, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने शनिवार को कहा कि शहर को 200 जीवन रक्षक प्रणालियां उपलब्ध कराई जाएंगी तथा दो अस्पतालों को कोविड-19 उपचार केंद्र में तब्दील करने के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल संग यहां आए मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों, डॉक्टरों एवं स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत की तथा कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों को जायजा लिया। इस बैठक के बाद रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार सूरत को 200 वेंटिलेटर उपलब्ध कराएगी तथा शहर के दो अस्पतालों को कोरोना उपचार केंद्र में तब्दील करने के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार को सूरत की चिंता है और वह शहर में इस विषाणु को फैलने से रोकने के लिए इंतजाम कर रही है। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी मरीज को बिस्तर की अनुपलब्धता का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्टेमसेल अस्पताल को अगले दस दिनों में कोविड-19 उपचार केंद्र में तब्दील कर दिया जाएगा तथा किडनी अस्पताल को अगले एक महीने में कोरोना विषाणु उपचार स्थल का रूप दे दिया जाएगा। सूरत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना विषाणु के मामले चिंताजनक ढंग से बढ़े हैं जहां काटाग्राम, वरच्छा और सरथाना इलाकों में कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। इन इलाकों में हीरे की पॉलिश करने वाली कई इकाइयां हैं।

रूपाणी ने संवाददाताओं से कहा कि सांसद सीआर पाटिल, विधायक कुमार कनानी और स्थानीय नेता हीरा और कपड़ा उद्योगों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूढेंगे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी रविवार को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे जहां इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि कोरोना के प्रसार का जोखिम लिए बगैर उद्योग धंधा कैसे काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा धन्वंतरि रथ स्थानीय लोगों के बीच रोकथाम संबंधी दवाओं का वितरण करने के लिए रोजाना 500 स्थानों पर जाएंगे। शुक्रवार को, सूरत नगर निगम ने विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में पान की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश दिया है। सूरत में अब तक कोविड-19 के 5,461 मामले सामने आए हैं जिनमें से 198 की मौत हो गई है और 1,803 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

बिस्तर की कमी से कोरोना मरीज को दिन भर एंबुलेंस में रखा

32 हजार का इंजेक्शन खरीदने के पैसे नहीं थे, हुई मौत

मुंबई, 4 जुलाई (भाषा)।

नवी मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले 64 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिस्तर की कमी के कारण अस्पताल में भर्ती हो पाने से पहले उन्हें पूरे एक दिन एम्बुलेंस में ही रखा गया। आखिरकार, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया तो परिवार के पास इंजेक्शन खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी कीमत 32,000 रुपए थी। एक म्यूजिक बैंड में काम करने वाले इस मरीज की 25 जून को मौत हो गई। उनके बेटे ने बताया, 'उन्हें 20 जून को खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हम उन्हें वाशी के नवी मुंबई नगर निगम के कोविड अस्पताल ले गए। वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति वाला कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं था, इसलिए हमें किसी और अस्पताल में जाने को कहा गया।'

उनके बेटे ने कहा, 'मैंने उनसे पूछा भी कि आप ही बताएं...कहां लेकर जाऊं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि निजी अस्पताल ले जाओ।' मृतक के बेटे ने बताया, 'फिर मैंने अस्पताल ढूंढना शुरू किया। कुछ अस्पतालों के मना करने के बाद मैंने ऑक्सीजन आपूर्ति वाली एंबुलेंस मंगवाई।' अगले दिन मरीज को कोपरखैरणे इलाके में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के बेटे ने आरोप लगाते हुए कहा, 'जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पिता को एक इंजेक्शन लगाने की जरुरत है, जिसकी कीमत 32,000 रुपए है, तब वह मदद के लिए स्थानीय निकाय के पास गया लेकिन वहां पदाधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए।' उसने बताया कि अस्पताल में भर्ती कराए जाने के चार दिन बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसने बताया, 'शव वाहन तीन घंटे बाद आया, जिसमें कोई कर्मचारी नहीं था। मैंने और मेरे एक रिश्तेदार ने पीपीई पहना और शव को अंत्येष्टि के लिए लेकर गए।' उसने इस बात पर तकलीफ जताई कि स्थानीय होने, करदाता होने के बावजूद निकाय ने उसके पिता को बचाने के लिए एक इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं की।

उसने यह भी कहा, 'मैं अब मीडिया को यह कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और मरीज को इस तरह मरना पड़े। नवी मुंबई नगर निगम को अपनी मेडिकल सुविधाएं दुरूस्त करनी चाहिए।'

State Bank of India
भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, स्टेट बैंक हाउस, 18/4, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28752163, फैक्स : 28755674 ई-मेल : sbi51521@sbi.co.in

शुद्धिपत्र

ये शुद्धिपत्र मेगा ई-नीलामी सूचना दिनांक 26.06.2020 को फाइनेंसियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था। जिसमें क्र.सं. 7 (कर्जदार श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार) में बोली वृद्धि राशि रु. 20,000/- प्रकाशित हुआ था इसके जगह रु. 10,000 पढ़े और क्र.सं. 10 (कर्जदार मैसर्स साइ बिल्डकोन) कब्जा की स्थिति को बैंक के पास भौतिक कब्जे की जगह बैंक के पास सांकेतिक कब्जा पढ़ा जाए और क्र. सं. 19 (कर्जदार श्रीमती आशा गोयल पत्नी श्री दिनेश कुमार गोयल) सम्पर्क व्यक्ति के नाम को श्री जी.के. शर्मा मो.-8510804700 की जगह हरीश सबलोक मो-8937861861 पढ़ा जाए। लाइन "ईएमडी को एसबीआई खाता सं. 65243320066, खाते का नाम सार्ब कलेक्सन खाता, में डिमांड ड्राफ्ट/ एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा कराया जाएगा।" को क्र.सं. 33 के बाद प्रकाशित सूचना का हिस्सा माना जाए। अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगी।

अधिकृत प्राधिकारी, एसएआरबी-।।, करोल बाग, नई दिल्ली

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-I, रिटेल
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 (2002 का नं. 54) के प्रवर्तन के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 9 (संशोधन) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार को भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें निम्नानुसार उल्लेखित राशि उपरोक्तानुसार खाते के आगे वर्णित है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 उक्त नियमो के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांकों को ले लिया है।**

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक **के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	प्रोपराईटर का नाम/ पार्टनर्स/गारंटर्स/ सम्पत्ति मालिक का नाम	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि	मांग सूचना की तारीख	कब्जा की तारीख पठित धारा 13(4) के साथ धारा 14
श्रीमती संगीता मित्तल ई-15/18बी, द्वितीय तल कृष्णा नगर, दिल्ली-51	श्रीमती संगीता मित्तल और श्री धनंजय मित्तल	सम्पूर्ण द्वितीय तल, सीलिंग स्तर, साथ में कार और दो पहिया वाहनों की पार्किंग का ¼ भाग, आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य, निर्माण के साथ, सम्पत्ति नं. ई15/18, बी, कृष्णा नगर, गाँव-घोण्डली, दिल्ली-51 में स्थित	रु. 38,44,557/- प्लस दिनांक 20.07.2019 से ब्याज और लीगल खर्चे इत्यादि	19.07.2019	02.07.2020
मैसर्स जतिन गारमेंट दुकान नं. 519, नया बाजार सुभाष रोड, गाँधी नगर, दिल्ली-51	श्री धनंजय मित्तल (प्रोपराईटर) और श्रीमती संगीता मित्तल गारंटर	IX/1836 क्षेत्रफल 49.50 वर्ग गज, भूतल पर स्थापित एक कमरे की संरचना के साथ, प्रथम तल पर दो रूम सेट, छत के स्तर तक ऊपरी निर्माण के साथ, प्लॉट नं. 150, खसरा नं. 28/6, आबादी गली नं. 2, कैलाश नगर, गाँव सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110031 में स्थित, यह सम्पत्ति धनंजय मित्तल के नाम पर है।	रु. 1,27,52,062/- प्लस दिनांक 28.02.2019 से ब्याज और लीगल खर्चे इत्यादि	28.02.2019	02.07.2020

दिनांक : 02-07-2020 स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

Indiabulls Commercial Credit Limited
(Formerly known as Indiabulls Infrastructure Credit Limited)
Statement of Audited Financial Results for the year ended March 31, 2020

(₹ in Crores)

Sr No.	Particulars	Six Months ended 31.03.20 (Unaudited)	Six Months ended 31.03.19 (Unaudited)	Year ended 31.03.20 (Audited)	Previous Accounting Year Ended 31.03.19 (Audited)
1.	Total Income from Operations	967.42	1,120.72	2,190.47	1,759.91
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(457.52)	199.87	27.25	447.28
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(457.52)	199.87	27.25	447.28
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(359.94)	140.08	19.81	323.00
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(359.97)	154.55	19.76	340.68
6.	Paid-up Equity Share Capital			247.80	247.80
7.	Reserves excluding Revaluation Reserves (as per balance sheet of previous accounting year)			4,159.15	4,127.25
8.	Net worth			4,406.95	4,375.05
9.	Debt Capital / Outstanding Debt			8,878.07	10,806.62
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares			-	-
11.	Debt Equity Ratio			2.01	2.47
12.	Earnings per Share (EPS) before extraordinary items *(EPS for the six months are not annualised)				
	-Basic (Amount in ₹)	(14.53)	10.36	0.80	29.16
	-Diluted (Amount in ₹)	(14.53)	9.05	0.80	24.46
	-Face Value (Amount in ₹)	10.00	10.00	10.00	10.00
	Earnings per Share (EPS) after extraordinary items *(EPS for the six months are not annualised)				
	-Basic (Amount in ₹)	(14.53)	10.36	0.80	29.16
	-Diluted (Amount in ₹)	(14.53)	9.05	0.80	24.46
	-Face Value (Amount in ₹)	10.00	10.00	10.00	10.00
13.	Capital Redemption Reserve (Rs. in Crores)			4.00	4.00
14.	Debenture Redemption Reserve (Rs. in Crores)			247.05	83.83
15.	Debt Service Coverage Ratio [(Earnings before Interest and Tax for the period/year) + (Principal collected from Customers during the period/-year)] / [(Interest Expense for the period/year) + (Principal repaid of the borrowings during the period/year)]			3.78	4.95
16.	Interest Service Coverage Ratio (Earnings before Interest and Tax / Interest Expense)			1.02	1.56

Notes:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on July 03, 2020.
2. This audited financial results of the Company for the year ended March 31, 2020 has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.
3. The above is an extract of the detailed format of Six Months ended / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Six Months ended / Annual Financial Results are available on the Company's website (http://www.indiabullscommercialcredit.com) and on the website of BSE (http://www.bseindia.com) and NSE (http://www.nseindia.com).
4. Figures for the prior year / period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

Registered Office: M-62&63, First Floor, Connaught Place, New Delhi- 110 001.

(CIN: U65923DL2006PLC150632)

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : July 03, 2020

Ripudaman Bandral
Managing Director

SBI स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II
एसबीआई हाउस, IV मंजिल, 18/4, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005, कैम्प कार्यालय संजय प्लेस आगरा, दूरभाष नं. : 011-28755674, 28752163, ई-मेल : sbi.51521@sbi.co.in

सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सम्पत्ति के कब्जे से सम्बन्धित सूचना प्रकाशन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनिया, 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियं पर तथा उनसे कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की गयी थी। कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर कथित अधिनियम के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार को और जनसाधारण को सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार का विषय होगा।

खाते/कर्जदार का नाम तथा पता	प्रोपराइटर/साझेदार/जमानती/ सम्पत्ति के स्वामी आदि का नाम	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	बकाया राशि
मैसर्स ग्लोबल आगरा शिक्षा समिति, श्री विष्णु प्रकाश रावत, श्रीमती मनोरमा शर्मा, श्री रवि कान्त शर्मा	श्रीमती मनोरमा शर्मा	आवासीय सम्पत्ति फ्लैट सं. 504, टॉवर ए-2, 5वीं मंजिल, माप क्षेत्रफल 156.07 वर्ग मीटर, गायत्री रिट्रीट, फेज-II, ग्राम बसाई, विक्रय विलेख दिनांक 29.01.2011 के माध्यम से, बही सं. 1, जिल्द सं. 3580, पृष्ठ 343-366, क्रम सं. 773 पर, रजिस्ट्रार III सदर, आगरा में तथा शुद्धता हेतु संशोधन तिथि 20.03.2011, बही नं. 1 जिल्द सं. 5643, पृष्ठ 237-248, क्रम सं. 9998 पर तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : कॉमन कॉरीडोर तथा एक्जिट 28 मीटर चौड़ा, पश्चिम : खुला आकाश, उत्तर : फ्लैट सं. 501, दक्षिण : खुला आकाश।	06.09.2019	02.07.2020	05.09.2019 को रु. 1,56,23,010 (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख तेईस हजार दस रुपये मात्र)
मैसर्स ग्लोबल आगरा शिक्षा समिति, श्री विष्णु प्रकाश रावत, श्रीमती मनोरमा शर्मा, श्री रवि कान्त शर्मा	ग्लोबल आगरा कॉन्वेन्ट स्कूल	खसरा नं. 713/ए तथा 713/बी, बड़ा गाँव, सिकतारा, शम्साबाद, आगरा पर भूमि भवन, माप क्षेत्रफल 0.872 हेक्टेयर, विक्रय विलेख दिनांक 31.08.2012 के माध्यम से, फतेहाबाद आगरा, बही सं. 1, जिल्द सं. 2196, पृष्ठ 1/52, क्रम सं. 5464 पर भूमि भवन, सीमाएँ (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : सड़क, पश्चिम : अन्य की भूमि, उत्तर : सड़क, दक्षिण : सड़क।	06.09.2019	02.07.2020	05.09.2019 को रु. 1,56,23,010 (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख तेईस हजार दस मात्र)
श्रीमती मिथिलेश शर्मा पत्नी श्री राधा रमन शर्मा, श्री राधा रमन शर्मा	श्रीमती मिथिलेश शर्मा पत्नी श्री राधा रमन शर्मा	प्लॉट सं. 73 ए (प्लॉट सं. 73 का भाग), खसरा नं. 127, विवेक विहार, कलवारी, निकट वायु विहार, जिला आगरा पर आवासीय इकाई का इक्विटेबल बंधक, माप 69.72 वर्ग मीटर, उपरजिस्ट्रार आगरा सदर में पंजीकृत, विक्रय विलेख दिनांक 17.12.2013 के माध्यम से, बही सं. 1, जिल्द सं. 10285, पृष्ठ 253-298, क्रम सं. 15140 पर एवं सीमाएँ निम्नलिखित हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व प्लॉट सं. 73 का शेष भाग, पश्चिम : 9 मीटर चौड़ी सड़क तथा निकास, उत्तर : 9 मीटर चौड़ी सड़क तथा निकास, दक्षिण : प्लॉट सं. 72	11.12.2019	02.07.2020	11.12.2019 को रु. 17,28,353.00 (रुपये सत्रह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तिरेपन मात्र)
श्री निशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता एवं श्री विशाल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राम दास अग्रवाल	श्री निशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता एवं श्री विशाल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राम दास अग्रवाल	फ्लैट सं. 22-ए, भूतल, खसरा नं. 754, राधा किशन एन्कलेव, मौजा-रोहता, आगरा (उ.प्र.) पर स्थित आवासीय सम्पत्ति (श्री निशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता के नाम पर) सीमाएँ : उत्तर : रास्ता 9 मीटर चौड़ा, दक्षिण : अन्य की भूमि, पूर्व : पार्क, पश्चिम : फ्लैट सं. 21-ए	17.07.2017	02.07.2020	23.05.2017 को रु. 11,22,042.75 (रुपये ग्यारह लाख बाईस हजार बयालीस एवं पचहत्तर पैसे मात्र)
श्रीमती रिंकी अग्रवाल पत्नी श्री नितिन गुप्ता, श्री नितिन गुप्ता पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता	सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती रिंकी अग्रवाल पत्नी श्री नितिन गुप्ता	प्लॉट सं. 6, अशोक एवेन्यू (नीरव कुंज फेज-I) मौजा ककरैथा वार्ड हरिपर्वत तहसील आगरा पर आवासीय सम्पत्ति फ्लैट सं. 6, प्रथम तल, माप 138 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख दिनांक 16.01.2014 के माध्यम से, बही सं. 1, जिल्द सं. 8667, पृष्ठ 363-388, क्रम सं. 207 पर तथा सीमाएँ निम्नवत हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	08.01.2020	02.07.2020	08.01.2020 को रु. 26,61,175 (रुपये छब्बीस लाख इकसठ हजार एक सौ पचहत्तर मात्र)
श्रीमती रिंकी अग्रवाल पत्नी श्री नितिन गुप्ता, श्री नितिन गुप्ता पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता	नितिन गुप्ता	प्लॉट सं. 6, अशोक एवेन्यू (नीरव कुंज फेज-I) मौजा ककरैथा वार्ड हरिपर्वत तहसील आगरा पर आवासीय सम्पत्ति फ्लैट सं. 6, भूतल, माप 138 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख दिनांक 16.01.2014 के माध्यम से, बही सं. 1, जिल्द सं. 8667, पृष्ठ 389-422, क्रम सं. 208 पर तथा सीमाएँ निम्नवत हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	08.01.2020	02.07.2020	08.01.2020 को रु. 29,33,233 (रुपये उनतीस लाख तैंतीस हजार दो सौ तैंतीस मात्र)
मैसर्स साई नाथ इलेक्ट्रिकल्स	सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती लक्ष्मी बंसल पत्नी श्री चेतन्य बंसल प्रोपराइटर : श्री चेतन्य बंसल	प्लाट सं. 43 पर सम्पत्ति दुकान सं. 12-13 अपर ग्राउण्ड फ्लोर, एमजी टॉवर, बंसल नगर, फतेहाबाद रोड, आगरा, वार्ड ताजगंज, तहसील एव जिला आगरा पर स्थित, विक्रय विलेख दिनांक 25.09.2007 के माध्यम से पंजीकृत, बही सं. 1, जिल्द सं. 1782, पृष्ठ 29-88, क्रम सं. 5548 पर तथा सीमाएँ निम्नवत हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : 2 मीटर चौड़ा कॉमन पैसेज, उत्तर : दुकान नं. 11, दक्षिण : दुकान नं. 14	04.02.2020	02.07.2020	31.12.2019 को रु. 23,86,168 (रुपये तेईस लाख छियासी हजार एक सौ अड़सठ मात्र)
मैसर्स साई नाथ इलेक्ट्रिकल्स	सम्पत्ति के स्वामी : श्री चेतन्य बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द बंसल, प्रोपराइटर : श्री चेतन्य बंसल	प्लाट सं. 43ए पर दुकान सं. 16 लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, माप क्षेत्रफल 6.50 वर्ग मीटर, एमजी टॉवर, बंसल नगर, फतेहाबाद रोड, आगरा, वार्ड ताजगंज, तहसील एव जिला आगरा पर स्थित, विक्रय विलेख दिनांक 26.11.2005 के माध्यम से पंजीकृत, बही सं. 1, जिल्द सं. 1016, पृष्ठ 135-154, क्रम सं. 5746 पर तथा सीमाएँ निम्नवत हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : किशन पाण्डे की सम्पत्ति, पश्चिम : दुकान नं. 10, उत्तर : दुकान नं. 9, दक्षिण : 9 फीट चौड़ा कॉमन पैसेज	04.02.2020	02.07.2020	31.12.2019 को रु. 23,86,168 (रुपये तेईस लाख छियासी हजार एक सौ अड़सठ मात्र)
मैसर्स शीतल फुटवियर एक्सपोर्ट्स	सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती शीतल महाजन पत्नी श्री कुलदीप राज महाजन, **साझेदार** : श्री विशाल दीप, श्री आकाश दीप महाजन **जमानती** : श्रीमती शीतल महाजन पत्नी श्री कुलदीप राज महाजन, श्री कुलदीप महाजन पुत्र स्व. श्री देश राज महाजन	नगर निगम सं. 36/83ए, ग्राम जगनपुर, डी-6, न्यू आगरा का सम्पूर्ण भाग, विक्रय विलेख उपरजिस्ट्रार-कक्र आगरा में पंजीकृत, बही सं. 1, जिल्द सं. 2227, पृष्ठ 361 से 375, क्रम सं. 2606 पर 13.05.1988 को तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : सम्पत्ति सं. 36/83बी, पश्चिम : 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : सम्पत्ति सं. 36/54/21, दक्षिण : 30 फीट चौड़ी सड़क	30.01.2020	02.07.2020	30.01.2020 को रु. 1,82,00,481 (रुपये एक करोड़ बयासी लाख चार सौ इक्यासी मात्र)
मैसर्स श्री वेद ऑटोमोटिव्स प्रा.लि. 178, अजमेर रोड, प्रताप पुरा, आगरा-282001, श्री राजीव रतन पुत्र श्री वेद रतन, 93, एलोरा एन्कलेव, दयाल बाग, आगरा-282005, श्री संजीव पुत्र श्री वेद रतन, 506, कावेरी ग्रीन्स, कैलाश विहार, आगरा एवं श्री ऋषि रतन पुत्र श्री राजीव रतन, 93, एलोरा एन्कलेव, दयाल बाग, आगरा-282005.	सम्पत्ति के स्वामी : श्री ऋषि रतन	दुकान नं. 26 एवं 27, भूतल, पुष्पांजलि धाम, मौजा भोगीपुरा, लोहा मण्डी वार्ड, आगरा पर स्थित वाणिज्यिक भवन का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 39.48 वर्ग मीटर तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : दुकान 28 पर कॉमन वॉल, पश्चिम : दुकान 25 पर कॉमन वॉल, उत्तर : कॉमन वॉल एवं अन्य की भूमि, दक्षिण : निकास।	31.01.2019	02.07.2020	30.01.2019 को रु. 2,32,91,932.61 (रुपये दो करोड़ उनतालीस लाख इक्यानबे हजार नौ सौ बत्तीस एवं इकसठ पैसे मात्र)
मैसर्स श्री वेद ऑटोमोटिव्स प्रा.लि. 178, अजमेर रोड, प्रताप पुरा, आगरा-282001, श्री राजीव रतन पुत्र श्री वेद रतन, 93, एलोरा एन्कलेव, दयाल बाग, आगरा-282005, श्री संजीव पुत्र श्री वेद रतन, 506, कावेरी ग्रीन्स, कैलाश विहार, आगरा एवं श्री ऋषि रतन पुत्र श्री राजीव रतन, 93, एलोरा एन्कलेव, दयाल बाग, आगरा-282005.	सम्पत्ति के स्वामी : श्री संजीव रतन एवं श्री ऋषि रतन	दुकान नं. 23 एवं 24, भूतल, पुष्पांजलि धाम, मौजा भोगीपुरा, लोहा मण्डी वार्ड, आगरा पर स्थित वाणिज्यिक भवन का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 39.48 वर्ग मीटर, उपरजिस्ट्रार कार्यालय, आगरा में 30.11.2005 को पंजीकृत, बही सं. 1, जिल्द सं. 4612, पृष्ठ 269-308, क्रम सं. 7165 पर तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : दुकान 25 पर कॉमन वॉल, पश्चिम : दुकान 22 पर कॉमन वॉल, उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : निकास एवं सड़क।	31.01.2019	02.07.2020	30.01.2019 को रु. 2,32,91,932.61 (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख इक्यानबे हजार नौ सौ बत्तीस एवं इकसठ पैसे मात्र)
मैसर्स श्री वेद ऑटोमोटिव्स प्रा.लि. 178, अजमेर रोड, प्रताप पुरा, आगरा-282001, श्री राजीव रतन पुत्र श्री वेद रतन, 93, एलोरा एन्कलेव, दयाल बाग, आगरा-282005, श्री संजीव पुत्र श्री वेद रतन, 506, कावेरी ग्रीन्स, कैलाश विहार, आगरा एवं श्री ऋषि रतन पुत्र श्री राजीव रतन, 93, एलोरा एन्कलेव, दयाल बाग, आगरा-282005.	सम्पत्ति के स्वामी : श्री संजीव रतन	दुकान नं. 25, भूतल, पुष्पांजलि धाम, मौजा भोगीपुरा, लोहा मण्डी वार्ड, आगरा पर स्थित वाणिज्यिक भवन का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 19.47 वर्ग मीटर, उपरजिस्ट्रार कार्यालय, आगरा में 30.11.2005 को पंजीकृत, बही सं. 1, जिल्द सं. 4612, पृष्ठ 247-268, क्रम सं. 7164 पर तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं (स्वामित्व विलेख के अनुसार) : पूर्व : दुकान 26 पर कॉमन वॉल, पश्चिम : दुकान 24 पर कॉमन वॉल, उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : निकास एवं सड़क।	31.01.2019	02.07.2020	30.01.2019 को रु. 2,32,91,932.61 (रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख इक्यानबे हजार नौ सौ बत्तीस एवं इकसठ पैसे मात्र)
मैसर्स शिएल ऑटोज 4, प्रकाश एन्कलेव, बाईपास रोड, आगरा, (ii) श्री राजीव रतन एवं (iii) श्री ऋषि रतन दोनों निवासी 93 एलोर एन्कलेव, दयालबाग, आगरा, (iv) श्री संजीव रतन, 506, कावेरी ग्रीन कैलाश विहार, आगरा, (v) मैसर्स श्री वेद ऑटोमोटिव्स, 4, प्रकाश एन्कलेव, बाई पास रोड, आगरा।		मौजा चमरोली, जिला आगरा पर स्थित खसरा नं. 158 के भाग, प्लॉट सं. 3 का सम्पूर्ण भाग, बुक नं. 1, जिल्द सं. 3304, पृष्ठ 55-58, क्रम सं. 2717, क्षेत्रफल 295.88 वर्ग मीटर, श्री वेद ऑटोमोटिव्स प्रा.लि., आगरा के नाम पर, उपरजिस्ट्रार आगरा में 07.05.2014 को पंजीकृत, सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : 125 फीट चौड़ी सड़क एवं निकास, पश्चिम : अन्य की भूमि, उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : अन्य की भूमि।	06.09.2019	02.07.2020	05.09.2019 को रु. 3,20,72,745 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख बहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र)
मैसर्स शिएल ऑटोज 4, प्रकाश एन्कलेव, बाईपास रोड, आगरा, (ii) श्री राजीव रतन एवं (iii) श्री ऋषि रतन दोनों निवासी 93 एलोर एन्कलेव, दयालबाग, आगरा, (iv) श्री संजीव रतन, 506, कावेरी ग्रीन कैलाश विहार, आगरा, (v) मैसर्स श्री वेद ऑटोमोटिव्स, 4, प्रकाश एन्कलेव, बाई पास रोड, आगरा।		दुकान नं. 23 एवं 24, पुष्पांजलि धाम, भोगीपुरा, आगरा का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 39.48 वर्ग मीटर, श्री संजीव रतन एवं श्री ऋषि रतन के नाम पर, उपरजिस्ट्रार कार्यालय, आगरा में 30.11.2005 को पंजीकृत, बही सं. 1, जिल्द सं. 4612, पृष्ठ 269-308, तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैंः पूर्व : दुकान 25 के साथ कॉमन वॉल, पश्चिम : दुकान के साथ कॉमन वॉल, उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : निकास एवं सड़क।	06.09.2019	02.07.2020	05.09.2019 को रु. 3,20,72,745 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख बहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र)
मैसर्स शिएल ऑटोज 4, प्रकाश एन्कलेव, बाईपास रोड, आगरा, (ii) श्री राजीव रतन एवं (iii) श्री ऋषि रतन दोनों निवासी 93 एलोर एन्कलेव, दयालबाग, आगरा, (iv) श्री संजीव रतन, 506, कावेरी ग्रीन कैलाश विहार, आगरा, (v) मैसर्स श्री वेद ऑटोमोटिव्स, 4, प्रकाश एन्कलेव, बाई पास रोड, आगरा।		दुकान नं. 25, पुष्पांजलि धाम, भोगीपुरा, आगरा का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 19.74 वर्ग मीटर, श्री संजीव रतन के नाम पर, उपरजिस्ट्रार कार्यालय, आगरा में 30.11.2005 को पंजीकृत, बही सं. 1, जिल्द सं. 4612, पृष्ठ 247-268, क्रम सं. 7164 पर सीमाएँ निम्नलिखित हैंः पूर्व : दुकान 26 के साथ कॉमन वॉल, पश्चिम : दुकान नं. 24 के साथ कॉमन वॉल, उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : निकास एवं सड़क।	06.09.2019	02.07.2020	05.09.2019 को रु. 3,20,72,745 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख बहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र)
मैसर्स शिवलहरी आइस एण्ड मिल्क क्लिइंग प्लांट प्रा.लि. श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री अभिषेक उपाध्याय	सम्पत्ति के स्वामी : श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह	खसरा नं. 643, मौजा ग्राम भक्तूपुरा, तेहरा, तहसील : खेड़ागढ़, जिला आगरा (उ.प्र.) के भाग पर स्थित सम्पत्ति, माप क्षेत्रफल 4379.84 वर्ग मीटर, पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 27.07.17 के माध्यम से, बही सं. 1, जिल्द सं. 3506, पृष्ठ 139-170, क्रम सं. 3726 पर (बंधक विलेख के अनुसार)	01.02.2019	02.07.2020	31.01.2019 को रु. 1,15,21,211.65 (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख इक्कीस हजार दो सौ ग्यारह एवं पैसंठ पैसे मात्र)

दिनांक : 02.07.2020
स्थान : आगरा

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी (भारतीय स्टेट बैंक)

तालिबान संग शांति समझौता आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद

इस्लामाबाद, 4 जुलाई (एपी)।

अफगानिस्तान के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि तालिबान के साथ शांति समझौते के आर्थिक फायदे होंगे। अपने इस बयान के जरिए उन्होंने उस समझौते की दिशा में क्रमिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश की, जो अमेरिका और क्षेत्रीय स्तर पर नयी राजनीतिक अड़चनों का सामना कर रहा है।

जलमय खलीलजाद हफ्ते भर लंबी अपनी यह यात्रा संपन्न कर रहे हैं जिनमें उनका पड़ाव उजबेकिस्तान, पाकिस्तान और कतर में था। कतर में ही तालिबान वार्ताकारों का मुख्यालय है।

उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में 19 साल से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने तालिबान के साथ फरवरी में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान खलीलजाद ने शांति समझौते के आर्थिक फायदों पर जोर देने की कोशिश की।

> *अमेरिकी* दूत ने शनिवार सुबह सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि उन्होंने कतर निवेश प्राधिकरण और तालिबान के मुख्य वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी से कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की। खलीलजाद ने ट्वीट किया कि हम इस बात से सहमत हुए कि शांति के लिए विकास योजनाएं अतिशीघ्र शुरू नहीं हो सकती।

अमेरिकी दूत ने शनिवार सुबह सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि उन्होंने कतर निवेश प्राधिकरण और तालिबान के मुख्य वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी से कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की।

खलीलजाद ने ट्वीट किया कि हम इस बात से सहमत हुए कि शांति के लिए विकास योजनाएं अतिशीघ्र शुरू नहीं हो सकती। वहीं, तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से संपर्क से होने से इनकार करते हुए कहा कि चरमपंथी शांति समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। खलीलजाद ने क्षेत्र की पिछले हफ्ते अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि, कोविड-19 महामारी के खतरे का हवाला देते हुए उन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा नहीं की और इसके बजाय अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और सरकार में उनके साझेदार अब्दुल्ला अब्दुल्ला से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बात की।

खलीलजाद से मुलाकात के ठीक 48 घंटे बाद पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। खलीलजाद अपनी ताजा कूटनीतिक यात्रा संपन्न कर रहे हैं, लेकिन अफगान सरकार और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ तालिबान को साथ लाने वाली अफगान वार्ता के लिए कोई नयी तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।

सोशल मीडिया पर पहुंच बढ़ाने के लिए ट्रंप-बाइडेन में मुकाबला

वाशिंगटन, 4 जुलाई (एपी)।

ट्विटर पर ट्रंप के आठ करोड़ 24 लाख

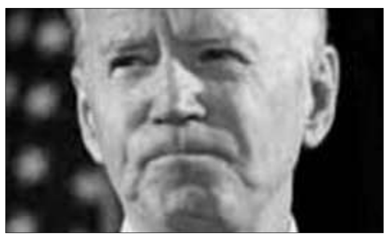

ट्विटर पर जो बाइडेन के महज 64 लाख फॉओवर हैं

कोरोना संक्रमण के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अपनी-अपनी प्रचार मुहिमों के लिए सोशल मीडिया मंचों पर निर्भर हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवार इन मंचों के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप फेसबुक पर अपने चुनाव प्रचार मुहिम अकाउंट के जरिए रोजाना औसतन 14 पोस्ट अपने दो करोड़ 80 लाख फोलोवर्स को भेजते हैं, जबकि उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी बाइडेन के मात्र 20 लाख फोलोवर्स हैं।

इसी प्रकार, बाइडेन की तुलना में ट्रंप की अन्य सोशल मीडिया मंचों पर पहुंच और फोलोवर की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में बाइडेन ने सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

ट्विटर पर ट्रंप के आठ करोड़ 24 लाख और बाइडेन के 64 लाख फोलोवर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीम बनाने वाले और राजनीतिक रूप से प्रभावित करने वाले लोगों की डिजिटल 'सेना' तैयार करने में वर्षों लगाए हैं। ये लोग ट्रंप चुनाव प्रचार मुहिम के संदेशों को रोजाना सैकड़ों बार रिट्वीट करते हैं। गूगल और यूट्यूब पर ट्रंप बाइडेन की तुलना में तिगुना धन खर्च कर रहे हैं।

बाइडेन और उनके सहयोगी अपना सोशल मीडिया बल तैयार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जून में पहली बार ऐसा हुआ, जब बाइडेन ने फेसबुक पर विज्ञापन के लिए ट्रम्प की तुलना में अधिक राशि खर्च की। उनकी चुनाव प्रचार मुहिम ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए इंटाग्राम समर्थकों को भर्ती कर रही है।

बाइडेन की एक योजना के तहत टिकटॉक के सैकड़ों किशोरों ने ट्रंप की हालिया ओकलाहोमा प्रचार रैली के लिए टिकट बुक किए और रैली शुरू होने से पहले लोगों की संख्या कृत्रिम रूप से बढ़ाई, जिसके कारण ट्रम्प की रैली में उम्मीद के मुताबिक लोग एकत्र नहीं हुए। बाइडेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वे अब भी ट्रंप से पीछे हैं। डिजिटल कंपनी 'एक्रोनिम' की संस्थापक तारा मैक्गोवान ने कहा कि बाइडेन और ट्रंप के बीच इस समय विभिन्न चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को अपने आधार को बचाने की आवश्यकता है और बाइडेन को नए मतदाताओं और संभावित समर्थकों के बीच पैठ बनानी है। हालांकि ट्विटर, स्नैपचैट, रेडिट और फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया मंचों ने घृणा पैदा करने वाले भाषणों और भ्रामक जानकारी देने वाले संदेशों के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण ट्रंप की चुनाव प्रचार मुहिम को काफी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

खबर कोना

'आतंकवादियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता'

वाशिंगटन, 4 जुलाई (एपी)।

रूस की ओर से मिले इनाम के लालच में अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने अमेरिकी सैनिकों की हत्या करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, यह खुफिया जानकारी मिलने के बावजूद अमेरिका-तालिबान समझौता बेपटरी नहीं हुआ है और न ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपने हजारों सैनिकों को वापस बुलाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाला है। हालांकि इस खुलासे ने इस समझौते के आलोचकों को यह कहने की एक और वजह दे दी है कि तालिबान भरोसे लायक नहीं है। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति को दैनिक रूप से दी जाने वाली खुफिया सूचनाओं के ब्योरे के तहत 27 फरवरी को ट्रंप को रूस द्वारा तालिबान को इनाम की पेशकश किए जाने संबंधी सूचना भी दी गई थी। हालांकि इसके दो दिन बाद अमेरिका तथा तालिबान ने कतर में समझौता कर लिया इस समझौते ने अफगानिस्तान में 19 साल से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया, साथ ही ट्रंप के लिए उस वादे को पूरा करने का रास्ता भी बनाया जिसमें वह इस 'अंतहीन युद्ध' में अमेरिका की भागीदारी को खत्म करना चाहते थे।

यूएई में भारतीयों के समूह ने जीती 30.5 करोड़ रुपए की लॉटरी

दुबई, 4 जुलाई (भाषा)।

संयुक्त अरब अमीरात में 20 लोगों के समूह ने 1.5 करोड़ दिरहम (30.5 करोड़ रुपए) की मासिक लॉटरी जीती है। इस समूह में अधिकतर भारतीय हैं। खलीज टाइम्स में शनिवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक बिग टिकट अबू धाबी ड्रॉ के विजेताओं के समूह में 19 भारतीय और एक बांग्लादेशी शामिल है। विजेताओं में शामिल 45 साल के नौशाद मयन कलाथिल ने कहा, मैं दुबई में वर्ष 2005 से काम कर रहा हूं। मैं पिछले दो साल से बिग टिकट खरीद रहा हूं। सामान्यतः हम दो या तीन साथी साथ मिलकर टिकट खरीदते थे, लेकिन इस बार हम 20 लोगों ने मिलकर खरीदा था। प्रत्येक व्यक्ति ने 50-50 दिरहम मिलाकर दो टिकट खरीदे थे। इसलिए, किसी पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ा। सभी भारतीय केरल के रहने वाले हैं। वहीं, कलाथिल जुमैरा लेक टॉवर कार्यालय में नौकरी करते हैं जबकि समूह के अन्य लोग कम वेतन पर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी के इनाम से उनकी और दोस्तों की जिंदगी बदल गई है।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय का न्यूयॉर्क में प्रदर्शन

न्यूयॉर्क, 4 जुलाई (भाषा)।

न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वॉयर पर बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 'भारत माता की जय' और अन्य देशभक्ति नारे लगाए। साथ ही, उन्होंने भारत के खिलाफ चीन की आक्रमकता को लेकर उसका (चीन का) आर्थिक बहिष्कार करने और उसे राजनयिक स्तर पर अलग-थलग करने की भी मांग की।

न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में रह रहे भारतीयों और 'भारतीय संघों के परिसंघ' (एफआइए) के अधिकारियों ने 'चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करो', 'भारत माता की जय' और 'चीनी आक्रामकता को रोको' जैसे नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों ने कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर चेहरे पर मास्क पहनकर प्रदर्शन किया। उनके हाथों में 'हम शहीद जवानों को सलाम करते हैं' के पोस्टर थे। प्रदर्शन में तिब्बती और ताइवानी समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने 'तिब्बत भारत के साथ खड़ा है', 'मानवाधिकारों, अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मों, हांगकांग के लिए न्याय', 'चीन मानवता के खिलाफ अपराध रोके' और 'चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो' के पोस्टर ले रखे थे। समुदाय के नेताओं, प्रेम भंडारी और जगदीश सहवानी ने शुक्रवार को इस प्रदर्शन का आयोजन किया।

'जयपुर फुट यूएसए' के अध्यक्ष भंडारी ने कहा कि आज का भारत 1962 के भारत से अलग है। हम चीनी आक्रामकता और इसकी अंतरराष्ट्रीय धौंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चीन के अहंकार का करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ एक हिंसक झड़प में 20 (भारतीय) जवानों के शहीद होने से बहुत व्यथित है।

नेताओं ने इजराइल की समायोजन योजना के खिलाफ किया आगाह

संयुक्त राष्ट्र, 4 जुलाई (एपी)।

विश्व के पूर्व नेताओं के एक समूह ने यूरोपीय नेताओं से शुक्रवार को अपील की कि वे वेस्ट बैंक के हिस्सों के समायोजन की योजना के खिलाफ इजराइल पर दबाव बनाते रहें।

इजराइल ने एक जुलाई को क्षेत्र पर अधिकार जताने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि नेताओं ने इसके प्रति आगाह किया है।

नेल्सन मंडेला द्वारा 2007 में स्थापित 'द एल्डर्स' ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नेताओं को लिखे पत्रों में कहा है कि उन्हें इजराइल से कहना चाहिए कि इस समायोजन के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय संबंधों पर नकारात्मक राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम होंगे।

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समायोजन की प्रक्रिया बुधवार तक शुरू करने का लक्ष्य रखा था और कहा था कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पश्चिम एशिया योजना के अनुरूप वेस्ट बैंक क्षेत्र का समायोजन शुरू करना चाहते हैं।

लेकिन इजराइली कैबिनेट मंत्री ओफिर अकुनिस ने कहा कि समायोजन की प्रक्रिया में देरी हुई है और बुधवार को इजराइल के आर्मी रेडियो स्टेशन को बताया कि अधिकारी अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ अंतिम ब्योरों पर अब तक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समायोजन जुलाई के अंत तक शुरू होगा।

दो राष्ट्र वाले समाधान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त है। इसके तहत जमीन की अदला-बदली पर बनी सहमति के साथ संपूर्ण वेस्ट बैंक में स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र और स्वतंत्र गाजा की कल्पना है।

ट्रंप प्रशासन की शांति योजना के तहत वेस्ट बैंक का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा स्थाई रूप से इजराइली नियंत्रण में आ जाएगा और जनवरी में जारी इस योजना में क्षेत्र के समायोजन के लिए इजराइल को मंजूरी दी गई है।

हर कीमत पर आर्थिक गलियारे को पूरा करेंगे : इमरान खान

इस्लामाबाद, 4 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार महत्त्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को किसी भी कीमत पर पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि 60 अरब डॉलर की यह परियोजना दो देशों की सदाबहार दोस्ती की प्रतीक है।

परियोजना दो देशों की सदाबहार दोस्ती की प्रतीक है

स्थानीय अखबार डॉन की एक खबर के अनुसार, खान ने सीपीईसी परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए यहां हुई बैठक में कहा कि यह पाकिस्तान के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए शानदार परियोजना है। उन्होंने कहा कि यह विशाल व बहुआयामी मुहिम पाकिस्तान के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है।

उन्होंने कहा, 'यह गलियारा पाकिस्तान तथा चीन की दोस्ती का प्रतीक है और मेरी सरकार इसे किसी भी कीमत पर पूरा करेगी व पाकिस्तान के हर नागरिक तक इसके फायदे पहुंचाएगी।' खान का यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक ही दिन पहले पाकिस्तान के अपने समकक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ फोन पर हुई बातचीत में सीपीईसी परियोजना के बारे में चर्चा की थी।

वांग ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सीपीईसी की परियोजनाओं को तेज करने की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान की सरकार वहां काम कर रही चीन की कंपनियों व चीन के लोगों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराएगी।

ईरान ने परमाणु समझौता विवाद निवारण प्रक्रिया शुरू की

ब्रसेल्स, 4 जुलाई (एपी)।

यूरोपीय संघ के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि उन्हें ईरान से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिससे उस अंतरराष्ट्रीय समझौते में विवाद निवारण प्रक्रिया शुरू हो गई है जो तेहरान की परमाणु महत्वकांक्षाओं को सीमित करने से संबंधित है। पत्र में चिंता जताई गई है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इस समझौते को नहीं निभा रहे हैं।

इस समझौते पर ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और रूस के साथ 2015 में हस्ताक्षर किए थे लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अपने हाथ खींच लिए। संयुक्त समग्र कार्रवाई योजना (जेसीपीओए) नाम के इस समझौते के समन्वयक और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने पत्र में समझौते के पैराग्राफ 36 में अंकित विवाद निवारण प्रणाली के तहत उपायों की मांग की है।

विवाद निवारण प्रणाली करीब एक महीने की अवधि के लिए होती है जो किसी समझौते को सुलझाने वाले सभी पक्षों के सहमत होने पर लंबी भी हो सकती है। जरीफ ने 19 जून को ट्वीट किया था कि तीन देशों को सार्वजनिक रूप से उस बात को कहने का साहस दिखाना चाहिए, जो वे निजी रूप से स्वीकार करते हैं कि 'जेसीपीओए के तहत उनके खुद के कर्तव्य नहीं निभा पाने की वजह अमेरिकी धौंस का विरोध करने की क्षमता नहीं होना है।'

अलबामा मॉल में गोलीबारी, एक की मौत; तीन लोग घायल

हूवर, 4 जुलाई (एपी)।

अमेरिका में अलबामा राज्य के एक शॉपिंग मॉल में शुक्रवार को हुई गोलीबारी में आठ वर्षीय लड़के की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए।

हूवर पुलिस प्रमुख निक डेरजिस ने बताया कि रिवरचेज गैलेरिया में दोपहर को हुई गोलीबारी में एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस प्रमुख ने बताया कि एक लड़की और दो वयस्कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने अभी पीड़ितों के नाम जारी नहीं किए हैं।

पुलिस ने गोलीबारी की कोई वजह नहीं बताई है। डेरजिस ने कहा कि पुलिस कुछ अहम सुरागों पर काम कर रही है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि संदिग्धों की पहचान कर ली गई है अथवा नहीं।

जॉर्जिया में एक कुत्ता कोरोना से संक्रमित पाया गया

अटलांटा, 4 जुलाई (एपी)।

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक कुत्ता कोरोना से संक्रमित पाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस संक्रामक रोग की चपेट में आया यह अमेरिका में दूसरा कुत्ता है।

जॉर्जिया के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को जारी एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि छह साल का मिश्रित नस्ल का कुत्ता कोरोना से संक्रमित पाया गया। ऐसा पहले उसके मालिक संक्रमित पाए गए थे और फिर कुत्ते को तंत्रिका संबंधी बीमारी होने का पता चला।

बाद में वह संक्रमित पाया गया।

कुत्ते की बीमारी बढ़ने के बाद उसे मौत दे दी गई। अधिकारियों ने बताया कि कुत्ते की तंत्रिका संबंधी बीमारी का कोविड-19 से कुछ लेना देना नहीं है।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

समाधान वसूली व विधि विभाग, फरीदाबाद नीलम चौक एनआईटी, फरीदाबाद-121002
फोनः 0129-4887855, ई-मेलः rrl_7622@obc.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओबीसी) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**
उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओबीसी),** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खाते का नाम (कर्जदार)	माँग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख / बकाया राशि (रू. में)	अचल सम्पत्तियों का विवरण
मैसर्स ऐंजल प्रोडक्ट्स	01-11-2019 / 03-07-2020 / रु. 15,72,534.18 और होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति फ्लैट/प्लॉट नं. 135, सर्वे नं. सिटी या टाउन सर्वे नं. खसरा नं. 69/14, सब - डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद और जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में - प्लॉट नं. 134, दक्षिण में - प्लॉट नं. 136, पूरब में - 20फीट रास्ता, पश्चिम में - अन्य की सम्पत्ति
मैसर्स एस.के. इंडस्ट्रीज़	03-03-2020 / 03-07-2020 / रु. 24,84,050.04 और होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति मकान नं. 1825 पी, सैक्टर-16, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 350 वर्ग गज, सब - डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद और जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में - रोड, दक्षिण में - मकान नं. 1824, पूरब में - मकान नं. 1800, पश्चिम में - रोड

दिनांक : 03-07-2020, स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा) प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda POWER OF 3

आरडीसी शाखा, राज नगर, गाजियाबाद

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नही हुई/जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानतदारो के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना/ई-नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

कर्जदार/गारन्टर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
श्रीमती रश्मि चौहान पत्नी श्री राजू सिंह, फ्लैट नं.-ए -3/001, कृष्णा एप्रा गार्डन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद यू.पी.-201014 गारंटरः राजू सिंह पुत्र रामवीर सिंह, फ्लैट नं.-ए -3/001, कृष्णा एप्रा गार्डन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद यू.पी.-201014 श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री बुधपाल सिंह, ए-2, 2011 जेजे कॉलोनी, मदनपुर खादर, दक्षिणी दिल्ली - 110076 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 31-12-2019	मांग सूचना की तारीख 05-03-2020 बकाया राशि ₹ 11,40,000/- (दिनांक 04.07.2016 तक भविष्य का ब्याज इत्यादि	रिहायशी फ्लैट, ईडब्ल्यूएस, फ्लैट नं. 103, सी, तृतीय तल, न्याय खंड-3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद - 201014 में स्थित, क्षेत्रफल 19.51 वर्ग मी.

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 04.07.2020, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
परिसम्पत्ति वसूली शाखा, सोराबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

शुद्धि पत्र

कृपया 04.07.2020 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित 29.07.2020 को अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना) के विज्ञापन का संदर्भ लें। क्र.सं. 8 के दिल्ली कैंन्ट, नई दिल्ली शाखा - खाता का नामः गोपाल सेविंग मशीन में सुरक्षित परिसम्पत्ति का विवरण गलत प्रकाशित हुआ है। कृपया सुरक्षित परिसम्पत्ति का विवरण इस प्रकार पढ़ें: "श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी गोपाल शर्मा के नाम में सम्पत्ति सं.एल-117, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 । परिमाप 100 वर्ग गज का हिस्सा (लगभग 1/3 शेयर)। अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 (3) के साथ पठित विनियमन 31 (2) के अन्तर्गत]
खुल्लर हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) (कॉर्पोरेट ऋणधारक) के स्टैकधारकों के ध्यानार्थ

भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 (3) के साथ पठित विनियमन 31 (2) के अनुपालन में कॉर्पोरेट ऋणधारक के सभी स्टैकधारकों के लिये सार्वजनिक उद्घोषणा की जाती है कि कॉर्पोरेट ऋणधारक के सभी स्टेकधारकों की सूची 13.05.2020 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) पीठ II, नई दिल्ली के पास दाखिल कर दी गई है तथा सीपी (आईबी) 332 (एनडी)/ 2019 में आईए 2093/2020 में उसके आदेश तिथि 01.07.2020 के माध्यम से माननीय पीठ द्वारा उसे अभिलेख पर लिया गया है।

समय- समय पर संशोधित स्टेकधारकों की सूची दावे के प्रमाण जमा किये होने वाले व्यक्तियों तथा कॉर्पोरेट ऋणधारक के सदस्यों, पार्टनरों, निदेशकों तथा गारन्टरों द्वारा निरीक्षण के लिये 487/27, स्कूल रोड, पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली-110087 में अधोहस्ताक्षरी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

मै. खुल्लर हॉस्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के लिये
हस्ता./- कमल अगरवाल
परिसमापक
IBBI/ IPA-001/ IP-P00868/ 2017-2018/ 11466
ई मेलः **advocate.kamal.aggl@gmail.com**
मो.: 9811138823

PRECISION ELECTRONICS LTD.
CIN: L32104DL1979PLC009590
Regd. Office: D-1081, New Friends Colony, New Delhi - 110025

Extact of Audited Financial Results (Standalone) for the Quarter and year ended 31st March 2020

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended on 31.03.2020 Audited	Quarter ended on 31.03.2019 Audited	Year ended on 31.03.2020 Audited	Year ended on 31.03.2019 Audited
1	Total Income from Operations (net)	811	629	3,769	2,904
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(132)	(10)	39	(533)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(132)	(10)	39	(533)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(82)	(44)	45	(474)
5	Total Comprehensiv Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprensive income (after tax)]	(73)	(50)	54	(483)
6	Paid up Equity Share Capital	1,385	1,385	1,385	1,385
	Earning per share (EPS) after extraordinary items(of Re.10 /-each) (not annualised). Basic :	(0.59)	(0.31)	0.32	(3.42)
	Dilted :	(0.59)	(0.31)	0.32	(3.42)

Notes:
1) The above is an extract of the detailed format of results Quarter and year ended on March 31, 2020 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone Quarterly/ Yearly Financial results are available on Company's Websites www.pel-india.com and on the Website of the Stock Exchanges www.bseindia.com
2) The detailed financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved at the meeting of the Board of Directors of the company held on July 4, 2020
3) Figures of the quarter ended March 31, 2020 and March 31, 2019 are balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of respective financial year.
4) These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) Prescribed under Section 133 of the companies Act 2013 (Act) and other recognised accounting practices and polices to the extent applicable, Beginning April1, 2017 the Company has for the firts time adopted Ind AS with the transition date of April 1, 2016. The transition was carried out from accounting standards as prescribed under section 133 of the act read with rule 7 of the companies (Accounts) Rules 2014 (Indian GAAP).

On Behalf of the Board
For Precision Electronics Limited
Sd/-
ASHOK KUMAR KANODIA
Managing Director
DIN : 00002563

PLACE: NOIDA
DATE: 04.07.2020

तीन भारतीय कंपनियों ने दिखाई मुंबई मोनोरेल परियोजना में रुचि

मुंबई, 4 जुलाई (भाषा)।

कुछ सप्ताह पहले मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने इस परियोजना के लिए चीन की दो कंपनियों की बोली को खारिज कर दिया था।

तीन भारतीय कंपनियों ने मुंबई की मोनोरेल परियोजना के लिए रैक बनाने में रुचि दिखाई है। कुछ सप्ताह पहले मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने इस परियोजना के लिए चीन की दो कंपनियों की बोली को खारिज कर दिया था।

पिछले महीने एमएमआरडीए ने जैकब सर्कल-वडाला-चेंबूर मोनोरेल परियोजना के लिए 10 रैक खरीदने के 500 करोड़ रुपए के ठेके को रद्द कर दिया था। चीन की दो कंपनियों ने रैक आपूर्ति करने की इच्छा जताई थी। एमएमआरडीए का कहना था कि ये कंपनियां अपनी शर्तें थोपना चाहती हैं। प्राधिकरण ने शनिवार को ट्वीट किया कि तीन भारतीय कंपनियों ने मोनोरेल रोलिंग स्टॉक के डिजाइन और विकास में रुचि दिखाई है।

एमएमआरडीए के आयुक्त आरए राजीव ने इससे पहले कहा था कि प्राधिकरण इस बारे में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल), भारत अर्थ मूवर्स (बीईएमएल) सहित कई भारतीय कंपनियों से बातचीत कर रहा है। एमएमआरडीए के एक अधिकारी ने कहा कि बीएचईएल, बीईएमएल और निजी क्षेत्र की कंपनी टीटागढ़ ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है। एमएमआरडीए ने कहा कि बीईएमएल को पहले ही मेट्रो 2ए (दहिसर-डीएन नगर) और मेट्रो-7 (दहिसर ईस्ट-अंधेरी ईस्ट) के लिए मेट्रो रैक बनाने का ठेका मिल चुका है।

बहुप्रणाली माल परिवहन अधिनियम की जगह एक राष्ट्रीय माल परिवहन कानून लाने का विचार

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव ने नए कानून के बारे में उद्योग जगत से मांगे सुझाव

माल अधिनियम के बहुप्रणाली परिवहन कानून के स्थान पर वाणिज्य मंत्रालय एक पूर्ण विकसित राष्ट्रीय माल परिवहन (उपस्कर या लॉजिस्टिक्स) कानून लाने के बारे में विचार कर रहा है। इस पहल का मकसद माल परिवहन की सुविधा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के माल परिवहन सुविधा (लॉजिस्टिक्स) विभाग में विशेष सचिव पवन अग्रवाल ने कहा कि एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स दक्षता और उन्नयन पूर्वानुमान योग्य व सुरक्षा कानून (एनएलईएपीएस) विचाराधीन है। इस कानून का मकसद सामान परिवहन क्षेत्र के विभिन्न भागीदारों को परिभाषित करना और एक आसान नियामकीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

उन्होंने उद्योग चेंबर पीएचडीसीसीआइ द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर का क्या काम है, यह अभी हमारे लिए बहुत स्पष्ट नहीं है। उसेअभी हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर क्या है और इसमें कौन-कौन से तत्त्व हैं। इस दिशा मैं सिर्फ इस सोच को साझा कर रहा हूं कि पहले के कानून (बहुप्रणाली माल परिवहन अधिनियम) को हम एक विस्तृत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून के साथ बदलने पर विचार कर रहे हैं। मल्टीमॉडल परिवहन में माल की 'एंड-टू-एंड डिलीवरी' के लिए एक से अधिक तरीकों जैसे रेल, सड़क या समुद्र इत्यादि का संयोजन शामिल है। विशेष सचिव ने नए कानून के बारे में उद्योग जगत के विचार मांगे हैं।

पहली तिमाही में माल ढुलाई में सबसे आगे रहा पारादीप बंदरगाह

भुवनेश्वर, 4 जुलाई (भाषा)।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून के दौरान देश के प्रमुख बंदरगाहों में ओडीशा के पारादीप बंदरगाह से सबसे ज्यादा 2.57 करोड़ टन माल की ढुलाई की गई। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) के चेयरमैन रिंकेश रॉय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

रॉय ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई बाधाओं को पार करते हुए बंदरगाह ने अप्रैल-जून के दौरान 2.53 करोड़ टन सामान जहाज पर चढ़ाया और उतारा। यह जून में समाप्त तिमाही में देश के प्रमुख बंदरगाहों में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। रॉय ने कहा कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है। समुद्री उद्योग को सुगमता से काम करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिक्कतों के बावजूद पारादीप बंदरगाह ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

ओडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय पेट्रोलियम व इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि के लिए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को बधाई दी है। वहीं रॉय और पीपीटी के डिप्टी चेयरमैन एके बोस ने सभी कर्मचारियों, यूनियनों, राज्य सरकार और जगतसिंहपुर जिला प्रशासन का उनके सहयोग के लिए आभार जताया है।

कोयला श्रमिकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)। कोल इंडिया के श्रमिक संगठनों की हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल का आह्वान कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने के विरोध में किया गया था।

कोल इंडिया की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) सहित पांच श्रमिक यूनियनें वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने के फैसले के विरोध में गुरुवार से हड़ताल पर हैं। पांचों यूनियनों की शनिवार को वर्चुअल बैठक होनी है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

Indiabulls Housing Finance Limited

Extract of Consolidated Audited Financial Results for the year ended March 31, 2020

(₹ in Crores)

Sr No.	Particulars	Quarter ended 31.03.20 (Unaudited)	Year ended 31.03.20 (Audited)	Year ended 31.03.19 (Audited)	Quarter ended 31.03.19 (Unaudited)
1.	**Total income from operations**	**2,950.04**	**13,216.44**	**17,019.62**	**4,343.34**
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	94.38	2,560.89	5,603.98	1,427.48
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	94.38	2,560.89	5,603.98	1,427.48
4.	**Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)**	**137.06**	**2,199.80**	**4,090.53**	**1,006.15**
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(65.45)	1,835.13	4,085.19	949.08
6.	Equity Share Capital	83.83	83.83	85.48	85.48
7.	Earnings per Share (EPS) before extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised)				
	-Basic (Amount in ₹)	3.27	51.70	95.83	23.54
	-Diluted (Amount in ₹)	3.27	51.69	95.26	23.43
	Earnings per Share (EPS) after extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised)				
	-Basic (Amount in ₹)	3.27	51.70	95.83	23.54
	-Diluted (Amount in ₹)	3.27	51.69	95.26	23.43

Notes:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on July 03, 2020.
2. The financial results have been prepared in accordance with Ind AS, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India.
3. **Key Standalone Financial Information:**

(₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 31.03.20 (Unaudited)	Year ended 31.03.20 (Audited)	Year ended 31.03.19 (Audited)	Quarter ended 31.03.19 (Unaudited)
Total Income	2,627.68	11,415.30	15,439.12	3,757.92
Profit before Tax	789.03	2,546.72	5,147.62	1,252.80
Net Profit after Tax	693.53	2,159.91	3,729.26	875.39

4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (http://www.indiabullshomeloans.com) and on the website of BSE (http://www.bseindia.com) and NSE (http://www.nseindia.com).
5. Figures for the prior year / period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

Registered Office: M-62&63, First Floor, Connaught Place, New Delhi- 110 001.
(CIN: L65922DL2005PLC136029)

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : July 03, 2020

Gagan Banga
Vice-Chairman, Managing Director & CEO

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 506.84 अरब डॉलर पर

मुंबई, 4 जुलाई (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान 1.27 अरब डॉलर बढ़कर 506.84 अरब डॉलर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

पांच जून को समाप्त सप्ताह में पहली बार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के स्तर से ऊपर गया था। 12 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 507.64 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में 26 जून को समाप्त सप्ताह में आई तेजी का कारण कुल मुद्रा भंडार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों का बढ़ना है।

आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 56.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 467.60 अरब डॉलर और स्वर्ण आरक्षित भंडार 70.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 33.52 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार 30 लाख डॉलर घटकर 1.44 अरब डॉलर रह गया।

अनुसूची II
प्रपत्र ख
सार्वजनिक घोषणा
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 का विनियम 12]
श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के हितधारकों के अवधानार्थ
सुसंगत विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	31/08/1998
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज- कानपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L17122UP1988PLC009985
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 19/x-1, कृष्णापुरम, जी.टी. रोड, कानपुर, उ.प्र. 208 007 कॉर्पोरेट कार्यालयः C-40, सेक्टर-57, नोएडा, उ.प्र. कार्यशालाः 1, मलावाँ इकाई यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, पो.ऑ. मलावाँ, जिला फतेहपुर, उ.प्र. 2, अभयपुर इकाई पो.ऑ. औंग, जी.टी. रोड, जिला फतेहपुर, उ.प्र. 3, रिवाड़ी बुजुर्ग इकाई ग्राम एवं पोस्ट-रिवाड़ी बुजुर्ग परगना एवंतहसील-बिंदकी, जिला फतेहपुर, उ.प्र. 4, रुड़की इकाई देव भूमि इण्डस्ट्रियल एस्टेट, ग्राम बन्ता खेड़ी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 5, स्पिनिंग इकाई यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, पो.ऑ. मलावाँ, जिला फतेहपुर, उ.प्र.
6.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	30/06/2020
7.	कार्पोरेट देनदार के परिसमापन के आरंभन की तिथि	01/07/2020, (परिसमापक को आदेश की सूचना 03/07/2020 को प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	रोहित सहगल पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00528/ 2017-18/ 10953
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के रूप में परिसमापक का पता तथा ई-मेल	पंजीकृत कार्यालयः ए-604, सुज्जन विहार, सेक्टर 43, गुरुग्राम, हरियाणा, 122002 ई-मेलः iamrs101@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ होने वाले पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल	पत्राचार का पता : E-10A, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 ई-मेलः Shrilakshmi@aaainsolvency.com rohit.sehgal@aaainsolvency.com दूरभाषः 011-46664600
11.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	02/08.2020

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, उत्तर प्रदेश ने 01.07.2020 (परिसमापक से आदेश 03.07.2020 को सम्पर्क किया गया) को श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के परिसमापन प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है।

एतद्वारा श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के हितधारकों को मद सं. 10 के सम्मुख उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 02.08.2020 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

रोहित सहगल
परिसमापक
श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00528/ 2017-18/ 10953
ई-मेल: iamrs101@gmail.com

तिथिः 04.07.2020
स्थानः नई दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिए)
[(विशिष्ट-IV)देखें नियम 8(1)]

शाखा कार्यालयः शालीमार बाग, दिल्ली

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्ती परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को माँग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यसवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः-

अचल सम्पत्तियों एवं चल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	ऋणधारकों/गारंटरों के नाम	गिरवी रखी गई/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	**ऋणधारकः** मै. डी एंड के क्रिएशन (प्रॉप. श्रीमती कंचन हांडा) तथा श्रीमती कंचन हंडा, पत्नी श्री हेमन्त हंडा	श्रीमती कंचन हंडा,पत्नी श्री हेमन्त हंडा के नाम में सुभाष नगर, तिहार-I, नई दिल्ली में स्थित फ्री होल्ड निर्मित सम्पत्ति सं. 2/49, एरिया माप 100 वर्ग यार्ड्स में बिना छत/टैरेस के अधिकार के सम्पूर्ण दूसरे तल के अंतर्गत शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** **पूर्वः** मैन रोड, **पश्चिमः** गली, **उत्तरः** अन्य सम्पत्ति **दक्षिणः** अन्य सम्पत्ति **चल परिसम्पत्तियों का विवरणः** 1. शॉप नं. 2/49, निम्न भूतल, सुभाष नगर, दिल्ली-110027 अथवा अन्यत्र पड़ी स्टॉक का हाइपोथेकेशन। 2. मै. डी एंड के क्रिएशन (प्रॉप श्रीमती कंचन हंडा को स्वीकृत सावधि ऋण से निर्मित परिसम्पत्तियाँ)	30.01.2020	29.06.2020	रु. 7135045/- के साथ 30.01.2020 से ब्याज/दंड ब्याज/खर्चे तथा उस पर अन्य खर्चे
2.	**ऋणधारकः** श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, पत्नी श्री रविन्दर कुमार शर्मा एवं सुश्री वैशाली शर्मा, पुत्री श्री रविन्दर कुमार शर्मा	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, पत्नी श्री रविन्दर कुमार शर्मा के नाम में ई-2 ब्लॉक, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 में स्थित भूमि कुल क्षेत्रफल माप 200 वर्ग यार्ड्स में से फ्रीहोल्ड मकान म्यूनिसिपल नं. ई-2/59ए, प्लॉट नं. 59, भूमि माप 41.8 वर्ग मी. अथवा 50 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित के भाग में छत के अधिकार के बिना सम्पूर्ण भूतल के अंतर्गत शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** **पूर्वः** अन्य सम्पत्ति **पश्चिमः** सम्पत्ति सं. ई-2/60 **उत्तरः** शेष भाग **दक्षिणः** 10 फीट गली	30.01.2020	29.06.2020	रु. 1420859.94 के साथ 30.01.2020 से ब्याज/दंड ब्याज/खर्चे तथा उस पर अन्य खर्चे
3.	**ऋणधारकः** श्रीमती सोनिया शर्मा पत्नी श्री दीपक कुमार शर्मा एवं श्री दीपक कुमार शर्मा, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	श्रीमती सोनिया शर्मा, पत्नी श्री दीपक कुमार शर्मा के नाम में शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 में स्थित कुल भूमि क्षेत्रफल माप 200 वर्ग यार्ड्स में से प्लॉट नं. 59, भूमि माप 41.8 वर्ग मी. अर्थात् 50 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित फ्रीहोल्ड मकान म्यूनिसिपल नं. ई-2/59ए के भाग में बिना छत के अधिकार के सम्पूर्ण दूसरे तल के अंतर्गत शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** **पूर्वः** अन्य सम्पत्ति **पश्चिमः** सम्पत्ति सं. ई-2/60 **उत्तरः** शेष भाग **दक्षिणः** 10 फीट गली	29.01.2020	29.06.2020	रु. 7,11,388.66 के साथ 29.01.2020 से ब्याज/दंड ब्याज/खर्चे तथा उस पर अन्य खर्चे

कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29/06/2020

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रुप से ऋणधारक/कों तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये ई-नीलामी तिथि 24.7.2020 को "जैसा है जहाँ है, जो भी जैसा है तथा जो कुछ भी वहाँ है आधार" पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण नीचे दिया गया हैः

ऋणधारक/गारन्टरों/मार्टगैजरों का नाम एवं पता, तिथि के साथ बकाया राशि देयता	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	ईएमडी जमा करने के लिये खाता सं. तथा आईएफएस कोड
बिनझोल शाखा, वीपीओ-विनझोल, पानीपत, हरियाणा			
ऋणधारकः मैं रितिका फार्म्स (प्रॉप. प्रताप सिंह) ग्राम- छाजपुर कलॉन, तहसील बपोली, जिला पानीपत, हरियाणा मार्टगैजरों: 1) श्रीमती राम रती देवी, पत्नी श्री ईश्वर सिंह, एच.नं.-583, सद्दाराना, रिसालु, पानीपत, हरियाणा-132104 2. श्रीमती सुमन मलिक, पत्नी प्रताप सिंह, एच.नं.-583, सद्दाराना, रिसालु, पानीपत, हरियाणा-132104 3. श्रीमती नीना मलिक, पत्नी श्री संदीप मलिक एच.नं.-522, सद्दा राना, रिसालु, पानीपत, हरियाणा-132104 4. श्रीमती राज वाला, पत्नी राजेश मलिक एच.नं. 13, ब्लॉक-02, सद्छा राना, रिसालु, पानीपत, हरियाणा-132104 अन्य गारंटरों: 1) श्री प्रताप सिंह, पुत्र श्री ईश्वर सिंह, एच.नं.-583, सद्दाराना, रिसालु, पानीपत, हरियाणा-132104 2. श्री ईश्वर सिंह, पुत्र श्री मोजी, एच.नं.-583, सद्दाराना, रिसालु, पानीपत, हरियाणा-132104 3. श्री राजेश मलिक, पुत्र श्री ईश्वर सिंह, एच.नं. 13, ब्लॉक-02, सद्दा राना, रिसालु, पानीपत, हरियाणा-132104 4. श्री संदीप मलिक, पुत्र श्री ईश्वर सिंह, एच.नं.-522, सद्दा राना, रिसालु, पानीपत, हरियाणा-132104 5. श्री संदीप कुमार, पुत्र श्री जगवीर बीपीओ मछरोली, समलखा, पानीपत, हरियाणा-132101, 6) श्री जगपाल, पुत्र मंगलू, ग्रामः छाजपुर कलॉन, पानीपत, हरियाणा-132104, 7) श्री जोगिन्दर, पुत्र श्री मंगलू, ग्रामः छाजपुर कलॉन, पानीपत, हरियाणा-132104 आगे के ब्याज तथा लागत के साथ 30.06.2020 को रु. 16,15,62,421.60 (रुपये सोलह करोड़ पन्द्रह लाख बासठ हजार चार सौ इक्कीस तथा पैसे साठ मात्र)	1) रामरती देवी, पत्नी ईश्वर सिंह के नाम में बिक्री प्रलेख सं. 1962 तिथि 27.12.2011 तथा प्रलेख सं. 1946 एवं 1947 तिथि 23.12.2011 के माध्यम से पॉल्ट्री भूमि तथा भवन जो खेवत नं. 140 मिन, खतोनी नं. 197, खसरा नं. 42/25(7-8), 43//21 (8-0), 22 (8-0), 23/2 (5-16), 52//1 (8-0), 2(8-0), 3/2 (5-0), 8/2 (4-4), 9/1 (6-16), 53//5 (7-8) तथा खेवत नं. 140 मिन, खतोनी नं. 197, खसरा नं. 61//2(7-6), 3(8-0), 7/2(2-4), 8(8-0), 9(8-0), 10/1 (1-18), 61//12(3-7), 14(8-0), 13 (7-16), 17(4-16), 274(0-2) का भाग है, वाका विलेज छाजपुर कलॉन, सब-तहसील-बपोली, जिला पानीपत। एरियाः 3.979 वर्ग यार्ड्स।	रु. 4,13,13,200/- (अर्थात् एफएसबी रु. 40900000+रु. 413131/- (अर्थात् अचल सम्पत्ति का बिक्री मूल्य रु. 50 लाख से अधिक होने के कारण कर से पूर्व आरक्षित मूल्य पर 1% कर) आरक्षित मूल्य का 10%	खाता नं. 30420113301010 इंडियन ओवरसीज बैंक, बिनझोल, शाखा, आईएफएस कोडः IOBA0003042 शाखा का पताः वीपीओ-बिनझोल, पानीपत हरियाणा-132103
	2) बिक्री प्रलेख सं. 3670 तिथि 6.9.2012 के अनुसार श्रीमती सुमन मलिक, पत्नी प्रताप मलिक के नाम में यह आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 583, सेक्टर-25, पार्ट-II, हुडा, पानीपत, हरियाणा में स्थित है। उत्तरः प्लॉट नं. 584, दक्षिणः मकान सं. 582, पूर्वः प्लॉट नं. 586, पश्चिम रोड, एरियाः 168.93 वर्ग यार्ड।	रु. 65,65,700/- (अर्थात् एफएसबी रु. 6500000/-+ रु. 65656/-(अर्थात् अचल सम्पत्ति का बिक्री मूल्य रु. 50 लाख से अधिक होने के कारण कर से पूर्व आरक्षित मूल्य पर 10% कर) आरक्षित मूल्य का 10%	
	3) बिक्री प्रलेख सं. 3667 तिथि 6.9.2012 के माध्यम से श्रीमती नीना मलिक, पत्नी संदीप मलिक के नाम में आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 1150, सेक्टर-25, पार्ट-II, हुडा, पानीपत, हरियाणा में स्थित है। उत्तरः प्लॉट नं. 1149, दक्षिणः मकान सं. 1151, पूर्वः प्लॉट नं. 1161, पश्चिमः रोड, एरियाः 119.25 वर्ग यार्ड्स।	रु. 42,00,000/- (अर्थात् एफएसबी रु. 42,00,000/- क्योंकि अचल सम्पत्ति का मूल्य रु. 50 लाख से कम है) आरक्षित मूल्य का 10%	
	4) बिक्री प्रलेख सं. 3151 तिथि 13.8.2012 के माध्यम से श्रीमती राजवाला, पत्नी राजेश मलिक के नाम में आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 691, सेक्टर-25, पार्ट-II, हुडा, पानीपत, हरियाणा में स्थित है। उत्तरः प्लॉट नं. 706, दक्षिणः रोड पर मकान, पूर्वः प्लॉट नं. 690, पश्चिमः 692, एरियाः 116.5 वर्ग यार्ड्स।	रु. 45,00,000/- (अर्थात् एफएसबी रु. 45000000/- क्योंकि अचल सम्पत्ति का मूल्य रु. 50 लाख से कम है) आरक्षित मूल्य का 10%	
विशिष्ट एसएमई पानीपत शाखा, संजय चौक, जी.टी. रोड, पानीपत, हरियाणा-132103			
ऋणधारकः 1. श्री सतीश कुमार, पुत्र श्री भाले राम, 2. श्री चरण सिंह, पुत्र शी माले राम, 3. श्रीमती संगीता, पत्नी श्री सतीश कुमार, 4. श्रीमती निर्मला, पत्नी श्री चरण सिंह, निवासीः मकान सं. 59, सेक्टर-18, हुडा, पानीपत, हरियाणा-132103 आगे के ब्याज तथा लागत के साथ 8.6.2020 को रु. 26,42,809/- (रुपए छब्बीस लाख बयालिस हजार आठ सौ नौ मात्र)	सतीश कुमार, पुत्र श्री भाले राम तथा श्री चमन सिंह, पुत्र श्री भाले राम के नाम में मकान सं. 59, सेक्टर-18, अर्बण इस्टेट, पानीपत, हरियाणा में स्थित प्लॉट माप 315.10 वर्ग मी. पर निर्मित आवासीय सम्पत्ति	रु. 1,18,08,200/- रु. 11,80,820/-	28640113301010 इंडियन ओवरसीज बैंक, विशिष्ट एसएमई पानीपत, आईएफएस कोडः IOBA0002864 शाखा का पताः विशिष्ट एसएमई शाखा, संजय चौक, जी.टी. रोड, पानीपत
ऋणधारकः 1. मै. शिव हैंडलूम, प्राप्राईटर-श्री शिवचरण धीमान, पुत्र श्री मई चंदधीभान, बबैल रोड, गव. डिस्पेन्सरी के निकट, भारत नगर, पानीपत-132103 2. श्री शिवचरण धीमान, प्रॉप. मै. शिव हैंडलूम, पुत्र श्री मईचंद धीमान, बबैल रोड, गव. डिस्पेन्सरी के निकट, भारत नगर, पानीपत-132103 गारन्टरों: 1. श्रीमती रेखा देवी, पत्नी श्री शिवचरण धीमान शिवमंदिर गली/ खेरा के सामने, बबैल रोड, भारत नगर, पानीपत-132103 आगे के ब्याज तथा लागत के साथ 31.05.2020 को रु. 35,85,656/- (रुपए पैंतीस लाख पचासी हजार छह सौ छप्पन मात्र)	1. भारत नगर, बबैल रोड के निकट, एम.सी. लिमिट के बाहर, पानीपत में स्थित औद्योगिक भवन, माप 200 वर्ग यार्ड्स, खेवत नं. 339, खसरा नं. 101/5 का भाग, बाका पट्टी मखदूम, जडगन आबादी, माप 200 वर्ग यार्ड्स, स्वामीः श्री शिव चरण धीमान, पुत्र श्री मई चंद धीमान	रु. 27,50,000/- रु. 2,75,000/-	
	2. भारत नगर, निकट शिव मंदिर/ खेरा, एम.सी. लिमिट के बाहर, पानीपत में स्थित आवासीय भवन माप 85 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 127, खतौनी नं. 162, खसरा नं. 100//17 (8-0), 18(8-0), का भाग, बाका पट्टी मखदूम जडगन, आबादी, स्वामीः श्रीमती रेखा रानी, पत्नी श्री शिवचरण	रु. 10,70,000/- रु. 1,07,000/-	

ई-नीलामी से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 24.07.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक, बिक्री की पूर्णता तक पांच मिनट के स्वतः विस्तार के साथ
सम्पत्ति का निरीक्षणः 6.7.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक
बोली गुणकः रु. 10,000/-, अधिभार यदि कोई होः कोई ज्ञात अधिभार नहीं
- ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑन लाइन आवेदन जमा करनाः 6.7.2020 को 9.00 बजे पूर्वा. से
- ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः 23.7.2020 को 5.00 बजे अप. तक

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक तथा www.publishtenders.gov.in, www.iob.in एवं https://www.iob.in/e-Auctions.aspx देखें अथवा सम्पर्क नं. 0180-2661104, 9198540903, 9466802942, 8252697711 पर अधोहस्ताक्षरी को कॉल करें तथा सेवा प्रदाता श्री विकास कुमार, मो.: 8142000809, मेलः vikas@bankauctions.in अथवा info@bankauctions.in पर सम्पर्क करें।

तिथिः 5.7.2020
स्थानः पानीपत

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

खबर कोना

साउथंपटन में शुक्रवार को अभ्यास मैच के तीसरे दिन चौंका लगाते इंग्लैंड के जोस बटलर।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की तैयारी में राजस्थान

जयपुर, 4 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान क्रिकेट संघ राजधानी के निकट 75000 दर्शकों की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की सोच रहा है। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा ने कहा कि बनने पर यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। मोटेरा स्टेडियम की दर्शक क्षमता एक लाख दस हजार और एमसीजी की करीब एक लाख है। समझा जाता है कि यह योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत के बेटे और आरसीए अध्यक्ष वैभव गेहलोत की है। शर्मा ने बताया कि इसे जयपुर से 25 किलोमीटर दूर चोंप गांव में बनाया जाएगा।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, शीर्ष खिलाड़ी राजस्व अनुमानों पर सहमत

सिडनी, 4 जुलाई (एपी)।

शीर्ष क्रिकेटरों ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है कि वह कोरोना वायरस महामारी की अनिश्चितता के दौरान भविष्य के राजस्व के अपने मूल्यांकन को स्थगित कर दें। शनिवार को इस समझौते के घोषित होने से पिछले एक महीने से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया। इससे पहले जून में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2020-21 वित्तीय वर्ष में राजस्व में लगभग 50 प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अब पूर्वानुमान हटा दिया है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संघ ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट राजस्व के पूर्वानुमान विवाद के अपने नोटिस को वापस ले लिया है।

एलीट युवा योजना के लिए एआइएफएफ को पूर्ण सदस्यता मिली

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआइएफएफ) को एएफसी एलीट युवा योजना में पूर्ण सदस्यता से सम्मानित किया है। एआइएफएफ के महासचिव कुशाल दास ने कहा, 'एएफसी एलीट युवा योजना ने सभी सदस्य संघों के लिए अपनी युवा फुटबॉल संरचना का मूल्यांकन करने के लिए एक मानढंड निर्धारित किया है। एआइएफएफ युवा लीग संरचना को तैयार करने और भारत में फुटबॉलरों की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है।' भारतीय फुटबॉल तकनीकी निदेशक इसाक दोरु ने कहा कि फुटबॉल के विकास के लिए शीर्ष अकादमियों का होना बहुत जरूरी है।

एटलेटिको ने मालोर्का पर 3-0 से जीत हासिल की

बार्सीलोना, 4 जुलाई (एपी)।

अलवारो मोराता के दो गोल की मदद से एटलेटिको मैड्रिड ने मालोर्का पर 3-0 से जीत हासिल की और स्पेनिश फुटबॉल लीग में अपना स्थान मजबूत किया।

डिएगो सिमोन की टीम खिताब की दौड़ से काफी समय से बाहर चल रही थी जिसे शीर्ष पर चल रहे रियाल मैड्रिड और दूसरे स्थान पर चल रहे बार्सीलोना ने पछाड़ दिया था जिससे वह आठ अंक से पिछड़ रही है।

एटलेटिको मैड्रिड अब ला लीगा में तीसरे स्थान पर रहने की दौड़ में हैं। मार्च में जब लीग निलंबित हुई थी तब वह अगले सत्र के लिए चैंपियंस लीग स्थान हासिल करने में जूझ रही थी।

स्पेनिश लीग जब कोविड-19 महामारी के कारण तीन महीने के विलंब के बाद शुरू हुई थी, तब से एटलेटिको को सात मैचों में एक में भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है।

चार महीने बाद जे-लीग की वापसी

तोक्यो के नजदीक योकोहामा के निपात्सु स्टेडियम में शनिवार को मुकाबले के दौरान योकोहामा व होकैडो के खिलाड़ी।

तोक्यो, 4 जुलाई (एपी)।

कोरोना वायरस महामारी के कारण चार महीने तक स्थगित रहने के बाद जापान की पेशेवर फुटबॉल लीग (जे-लीग) शनिवार को फिर से शुरू हुई।

लीग के फिर से शुरू होने पर सभी 18 शीर्ष टीमों मैदान में उतरीं जहां प्रशंसको की गैरमौजूदगी में नौ मैच खेले गए। इस दौरान गत चैंपियन योकोहामा का सामना उरवा रेड्स से तोक्यो के बाहरी इलाके में स्थित साइतामा में हुआ।

जे-लीग के शीर्ष डिविजन में केवल एक दौर के मैच के बाद फरवरी में स्थगित कर दिया गया था। जापान की लोकप्रिय प्रो-बेसबॉल लीग भी स्टेडियम में दर्शकों के बिना पिछले महीने फिर से शुरू हुई थी।

पहले टैस्ट के लिए इंग्लैंड टीम घोषित, बेयरस्टो और मोईन की अनदेखी

लंदन, 4 जुलाई (भाषा)।

इंग्लैंड ने अगले हफ्ते वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की टैस्ट श्रृंखला के पहले टैस्ट के लिए शनिवार को 13 सदस्यीय टीम का चयन किया जिसमें मोईन अली और विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो को शामिल नहीं किया गया।

ऑल राउंडर बेन स्टोक्स कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीम में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्राड, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड के अलावा आल राउंडर स्टोक्स और क्रिस वोक्स शामिल हैं।

स्पिन विभाग में जैक लीच के बजाय स्पिन गेंदबाज डॉम बेस को तरजीह दी गई। बेस को ट्रेनिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन के आधार पर टीम में शामिल किया गया।

लीच नौ खिलाड़ियों के रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं लेकिन इनसे ज्यादा अनुभवी मोईन को इसमें जगह नहीं दी गई। बेयरस्टो को भी ट्रेनिंग करने वाले 30 खिलाड़ियों के दल में से टीम में शामिल नहीं किया गया।

बेन स्टोक्स

ऑल राउंडर बेन स्टोक्स कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीम में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्राड, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड के अलावा आल राउंडर स्टोक्स और क्रिस वोक्स शामिल हैं।

टीम इस प्रकार हैं:

बेन स्टोक्स (कप्तान), जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, डॉम बेस, स्टुअर्ट ब्राड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), जाक क्रॉले, जो डेनली, ओली पोप, डॉम सिबले, क्रिस वोक्स, मार्क वुड। रिजर्व खिलाड़ी: जेम्स ब्रेसी, सैम कुरेन, बेन फोक्स (विकेटकीपर), डैन लारेंस, जैक लीच, साकिब महमूद, क्रेग ओवरटन, ओली रोबिनसन और ओली स्टोन।

फुटबॉल दिल्ली ने खिलाड़ियों की पंजीकरण फीस माफ की

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

फुटबॉल दिल्ली ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए खिलाड़ियों के पंजीकरण और क्लब एवं अकादमियों की मान्यता और लाइसेंस फीस माफ करने का फैसला किया है।

यह फैसला शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित फुटबॉल दिल्ली की कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। इसकी अवधि 31 मार्च 2021 तक रहेगी।

फुटबॉल दिल्ली के अध्यक्ष शाजी प्रभाकरण ने विज्ञप्ति के जरिए कहा, 'इस फैसले से क्लब और अकादमी काफी धन राशि की बचत कर पाएंगे।'

उन्होंने कहा, 'कोविड-19 महामारी के कारण खिलाड़ी, रेफरी, दिल्ली के क्लब एवं फुटबॉल अकादमी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस कठिन समय में उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं।'

इसके साथ ही कार्यकारी समिति ने तीन अगस्त को दिल्ली फुटबॉल दिवस के मौके पर डिजिटल फुटबॉल सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया। इस दिन भारतीय कप्तान और दिल्ली के खिलाड़ी सुनील छेत्री का जन्मदिन भी है।

डिजिटल सम्मेलन का विषय 'दिल्ली को विविधता वाला फुटबॉल शहर बनाना' रहेगा।

शाजी प्रभाकरण

'*महामारी* के कारण खिलाड़ी, रेफरी, दिल्ली के क्लब एवं फुटबॉल अकादमी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस कठिन समय में उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं।'
-शाजी प्रभाकरण
अध्यक्ष, फुटबॉल दिल्ली

दो ओलंपिक स्वर्ण के अलावा पांच विश्व चैंपियनशिप भी जीता

लिन डैन ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन को अलविदा कहा

बेजिंग, 4 जुलाई (भाषा)।

बैडमिंटन के इतिहास में महानतम खिलाड़ियों में शुमार दो बार के ओलंपिक चैंपियन चीन के लिन डैन ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन को अलविदा कहकर दो दशक के लंबे सुनहरे करिअर का पटाक्षेप कर दिया।

लगातार दो बार ओलंपिक पुरूष एकल खिताब जीतने वाले एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी 'सुपर डैन' ने चीन के ट्विटर जैसे सोशल मीडिया वीबो पर यह जानकारी दी।

'*मैने* कभी इस दिन के बारे में नहीं सोचा था। मैंने हरसंभव कोशिश और मेहनत की ताकि अपने करिअर को विस्तार दे सकूं।'

बेजिंग ओलंपिक 2008 और लंदन ओलंपिक 2012 में स्वर्ण पदक जीतने वाले 36 वर्ष के डैन ने कहा, '2000 से 2020 तक 20 साल बाद मैं राष्ट्रीय टीम को अलविदा कह रहा हूं। इसे कह पाना काफी मुश्किल है।'

उन्होंने कहा, 'इस उम्र में शरीर और चोटों का सिलसिला मुझे आगे खेलने की इजाजत नहीं देता। आने वाले समय में परिवार को ज्यादा वक्त दे पाऊंगा । एक नई प्रतिस्पर्धा के बारे में भी सोच रहा हूं।'

लिन डैन ने दो ओलंपिक स्वर्ण के अलावा पांच विश्व चैंपियनशिप खिताब और छह आल इंग्लैंड खिताब जीते। उन्होंने 666 एकल खिताब अपने नाम किए हैं।

ऑनलाइन निशानेबाजी लीग में इटालियन स्टाइल से हारा आस्ट्रियन रॉक्स

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

इटालियन स्टाइल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन निशानेबाजी लीग के पहले दिन आस्ट्रियन रॉक्स को 10-8 से हरा दिया ।

दस मीटर एयर राइफल में दोनों टीमें पहले और छठे दौर में बराबरी पर थी।

दुनिया की पहली ऑनलाइन निशानेबाजी लीग

तोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुके इटली के मार्को सुप्पिनी ने दो बार 10-9 का स्कोर किया जबकि दो बार 10-8 स्कोर किया।

मुकाबले में शामिल निशानेबाजों में सुप्पिनी के अलावा लोरेंजो बाच्ची (इटली) और आस्ट्रिलया के मार्टिन स्ट्रेंप्ल भी कोटा हासिल कर चुके हैं ।

टूर्नामेंट में छह टीमों को दो समूहों में बांटा गया है और हर पूल से शीर्ष दो टीमें 18 और 19 जुलाई को सेमीफाइनल खेलेंगी। फाइनल 26 जुलाई को खेला जाएगा

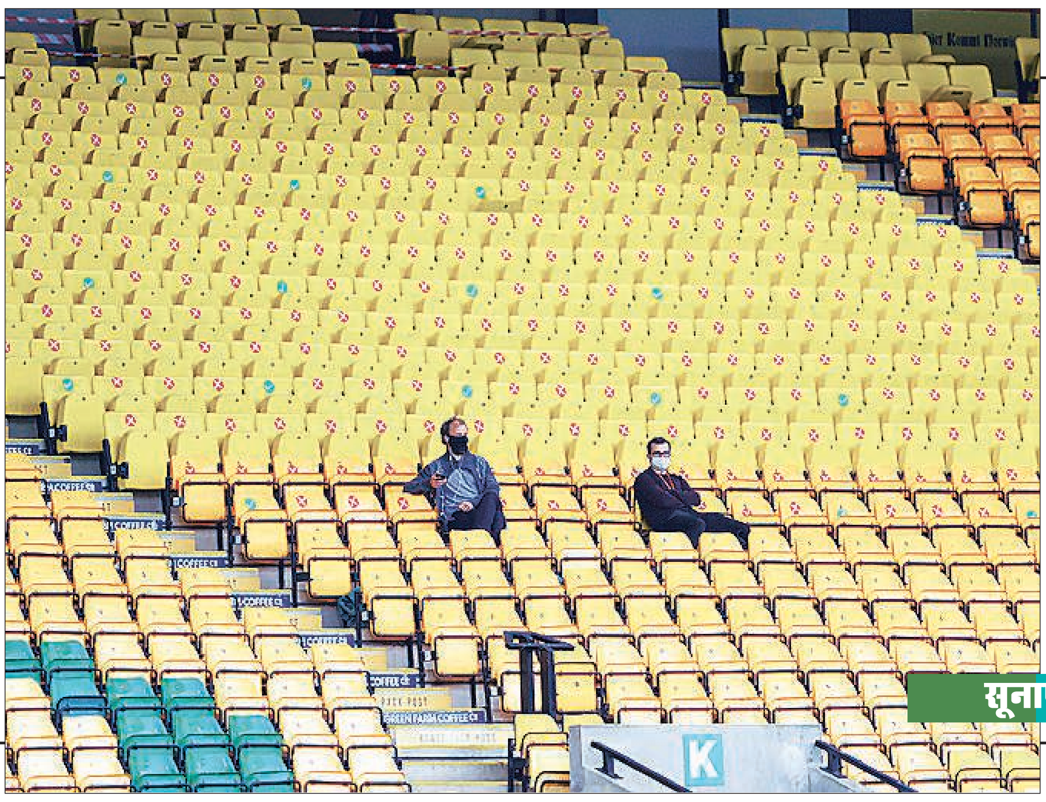

इंग्लैंड के नॉर्विच में शनिवार को ब्राइटन व नॉर्विच सिटी के बीच इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल मुकाबले के दौरान खाली दर्शक दीर्घा में बैठे कर्मचारी। मुकाबले में ब्राइटन ने नॉर्विच को 1-0 से पटखनी दी।

सूनापन

भारतीय प्रशिक्षकों के लिए वेतन की ऊपरी सीमा हटाएगा खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)।

खेल मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा दो लाख रुपए को हटाने की घोषणा की, ताकि वे बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित हों और पूर्व खिलाड़ियों को हाई परफोर्मेंस प्रशिक्षक बनने के लिए उत्साहित किया जा सके।

मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी विदेशी कोचों के अनुबंध को अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ने का फैसला किया जिसके बाद यह घोषणा की गई। इसके साथ ही ओलंपिक से तालमेल बैठाते हुए अब भारतीय और विदेशी कोच को चार साल के लिए चुनने का फैसला किया गया।

खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने यहां जारी बयान में कहा, 'कई भारतीय कोच बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं और उन्हें कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। सरकार देश भर से सर्वश्रेष्ठ कोचिंग प्रतिभाओं को आकर्षित करने की इच्छुक है। एलीट एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए हम नहीं चाहते हैं कि कोच के ऊपरी वेतन की कोई सीमा कोई रूकावट बने।'

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व दिग्गज एथलीटों को खेल तंत्र में आकर्षित करने के लिए बढ़ी हुई पारिश्रमिक और लंबी अनुबंध अवधि की पेशकश की जाएगी। इसका मकसद ओलंपिक सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके अनुभव और कौशल का उपयोग करने है।

भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे घरेलू कोच बेहतर नतीजे देने के लिए प्रेरित होंगे क्योंकि उन्हें विदेशी कोच के समकक्ष रखा जाएगा।

कोरोना का कहर

ट्रेनिंग बहाल होने के दौरान किए गए थे परीक्षण

मेजर लीग बेसबॉल के 31 खिलाड़ी व सात कर्मचारी संक्रमित

न्यूयार्क, 4 जुलाई (एपी)।

मेजर लीग बेसबॉल (एमएलबी) के 31 खिलाड़ी और सात स्टाफ सदस्य कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं।

ट्रेनिंग बहाल होने के दौरान ये परीक्षण किए गए थे। एमएलबी और खिलाड़ियों के संघ ने शुक्रवार को जांच के नतीजों की घोषणा की।

टीमों ने लीग के कोरोना वायरस के कारण 12 मार्च से निलंबित होने के बाद पहली बार ट्रेनिंग शुरू की थी।

इस दौरान 30 टीमों की जांच की गई थी। इन 30 टीमों में से 19 टीमों में कोरोना के मामले पॉजिटिव आए। नमूनों के नतीजों को दक्षिण जोर्डन में खेल चिकित्सा शोध एवं परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। जांच के दौरान 3185 नमूने एकत्र किए गए थे जिनमें से इन मामलों की पुष्टि हुई है।

सात बार के नासकार चैंपियन जिम्मी जॉनसन भी हुए ग्रसित

सात बार के नासकार चैंपियन जॉनसन इस हफ्ते के अंत में इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे में होने वाली रेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

जिमी जॉनसन संक्रमित पाए जाने वाले पहले नासकार ड्राइवर

इंडियानापोलिस, 4 जुलाई (एपी)।

सात बार के नासकार चैंपियन जिमी जॉनसन कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं और वह इस हफ्ते के अंत में इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे में होने वाली रेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

किसी भी नासकार सीरीज में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले 44 वर्षीय जॉनसन पहले ड्राइवर हैं। इससे किसी अन्य रेस के प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं मिला है।

हेंड्रिक मोटरस्पोर्ट्स ने कहा कि जॉनसन तब तक रेस में नहीं लौटेंगे जब तक डॉक्टर उन्हें मंजूरी नहीं दे देते। उन्हें शुक्रवार को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया जब उनकी पत्नी चानी एलर्जी जैसे लक्षण पाए जाने के बाद पॉजिटिव मिलीं। हालांकि जॉनसन में अभी तक कोई लक्षण नहीं हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 230 *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना- एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।